खण्ड-172, अंक-7
बुधवार, 19 वैशाख, शक संवत् 1878
(9 मई, 1956 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 172 में 8 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९५६

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बुधवार, ९ मई, १९५६

विधान सभा की बैठक सभा-मंडप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष श्री आत्माराम गोविंद खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्यों की सूची (२९५)

अंसमान सिंह, श्री
अक्षयवर सिंह, श्री
अब्बीज इमाम, श्री
अनन्तस्वरूप सिंह, श्री
अब्दुल मुईज खां, श्री
अमरेशचन्द्र पांडेय, श्री
अमृतनाथ मिश्र, श्री
अवधेशचन्द्र सिंह, श्री
अवधेशप्रताप सिंह, श्री
अशरफ अली खां, श्री
आशालता व्यास, श्रीमती
इरतजा हुसेन, श्री
इस्तफा हुसेन, श्री
उदयभान सिंह, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उमाशंकर मिश्र, श्री
उम्मेद सिंह, श्री
उल्फतसिंह चौहान निर्भय, श्री
ऐजाज रसूल, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमला सिंह, श्री
करन सिंह, श्री
कल्याणचन्द मोहिले उपनाम छुन्नन गुरू, श्री
कल्याणराय, श्री
कालीचरण टंडन, श्री
काशी प्रसाद पांडेय, श्री
किशनस्वरूप भटनागर, श्री
कृष्णचन्द्र गुप्त, श्री
कृष्णशरण आर्य, श्री
केवलसिंह, श्री
केशभान राय, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशव पांडेय, श्री
केशवराम, श्री
कैलाश प्रकाश, श्री
खुशीराम, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गज्जूराम, श्री
गणेशप्रसाद जायसवाल, श्री
गिरजारमण शुक्ल, श्री
गिरधारीलाल, श्री
गुरुप्रसाद पांडेय, श्री
गुरुप्रसाद सिंह, श्री
गुलजार, श्री
गेंदासिंह, श्री
गोवर्धन तिवारी, श्री
गौरीराम, श्री
घनश्यामदास, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास, श्री
चरणसिंह, श्री
चुन्नीलाल सगर, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगतनारायण, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री
जगदीशसरन, श्री
जगनप्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगन्नाथ मल्ल, श्री
जगन्नाथ सिंह, श्री

जगमोहन सिंह नेगी, श्री
जयपाल सिंह, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जयेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
जवाहरलाल, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जोरावर वर्मा, श्री
झारखंडे राय, श्री
टीकाराम, श्री (बदायूं)
डल्लाराम, श्री
ताराचन्द माहेश्वरी, श्री
तिरमल सिंह, श्री
तुलाराम, श्री
तेजप्रताप सिंह, श्री
तेजबहादुर, श्री
तेजासिंह, श्री
त्रिलोकीनाथ कौल, श्री
दयालदास भगत, श्री
दलबहादुर सिंह, श्री
दाऊदयाल खन्ना, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपनारायण वर्मा, श्री
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवदत्त शर्मा, श्री
देवमूर्तिराम, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्रप्रताप नारायण सिंह, श्री
द्वारका प्रसाद मित्तल, श्री
द्वारका प्रसाद मौर्य, श्री
द्वारिका प्रसाद पांडेय, श्री
धर्मसिंह, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
नत्थूसिंह, श्री
नन्दकुमार देव वाशिष्ठ, श्री
नरदेव शास्त्री, श्री
नवलकिशोर, श्री
नाजिम अली, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायणदास, श्री
नारायणदीन वाल्मीकि, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नेत्रपाल सिंह, श्री
पद्मनाथ सिंह, श्री
परमानन्द सिन्हा, श्री
परमेश्वरीदयाल, श्री
परिपूर्णानन्द वर्मा, श्री
पुत्तूलाल, श्री
पुहूनराम, श्री
पुलिनविहारी बनर्जी, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतिपाल सिंह, श्री
प्रभाकर शुक्ल, श्री
प्रभुदयाल, श्री
प्रेमकिशन खन्ना, श्री
फजलुल हक, श्री
फतेहसिंह राणा, श्री
फूल सिंह, श्री
बनारसीदास, श्री
बलदेवसिंह, श्री (गोंडा)
बलदेव सिंह, श्री (बनारस)
बलदेव सिंह आर्य, श्री
बलवन्तसिंह, श्री
बशीर अहमद हकीम, श्री
बसन्तलाल, श्री
बाबूनन्दन, श्री
बाबूराम गुप्त, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बालेन्दुशाह, महाराजकुमार
बिशम्भर सिंह, श्री
बेचनराम, श्री
बेनीसिंह, श्री
बैजनाथ प्रसाद सिंह, श्री
बैजूराम, श्री
भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री
भगवानदीन वाल्मीकि, श्री
भीमसेन, श्री
भूपाल सिंह खाती, श्री
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री
मकसूद आलम खां, श्री
मंगला प्रसाद, श्री
मथुरा प्रसाद त्रिपाठी, श्री
मथुराप्रसाद पांडेय, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मन्नी लाल गुरुदेव, श्री
मलखान सिंह, श्री
महमूद अली खां, श्री (रामपुर)
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महादेवप्रसाद, श्री
महावीर सिंह, श्री
महीलाल, श्री

मुन्नू लाल, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुश्ताक अली खां, श्री
मुहम्मद अब्दुल लतीफ, श्री
मुहम्मद इब्राहीम, श्री हाफिज
मुहम्मद नसीर, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल गौतम, श्री
मोहन लाल वर्मा, श्री
मोहन सिंह, श्री
यमुना सिंह, श्री
रघुराज सिंह, श्री
रघुवीर सिंह, श्री
रणंजय सिंह, श्री
रतनलाल जैन, श्री
रमेश वर्मा, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजनारायण सिंह, श्री
राजवंशी, श्री
राजाराम, श्री
राजाराम किसान, श्री
राजाराम मिश्र, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्रदत्त, श्री
रामअधार तिवारी, श्री
राम अधीन सिंह यादव, श्री
रामअनन्त पांडेय, श्री
रामअवध सिंह, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामगुलाम सिंह, श्री
रामजी लाल सहायक, श्री
रामजी सहाय, श्री
रामदास रविदास, श्री
राम दुलारे मिश्र, श्री
राम नरेश शुक्ल, श्री
राम प्रसाद, श्री
राम प्रसाद देशमुख, श्री
राम प्रसाद नौटियाल, श्री
राम प्रसाद सिंह, श्री
राम बली मिश्र, श्री
राम भजन, श्री
राम मूर्ति, श्री
राम रतन प्रसाद, श्री
रामराज शुक्ल, श्री
रामलखन, श्री
रामलखन मिश्र, श्री
रामबचन यादव, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसुन्दर पांडेय, श्री
राम सुभग वर्मा, श्री
राम सुमेर, श्री
रामसेवक यादव, श्री
राम स्वरूप गुप्त, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामस्वरूप मिश्र विशारद, श्री
रामहरख यादव, श्री
रामेश्वर प्रसाद, श्री
रामेश्वर लाल, श्री
लक्ष्मणदत्त भट्ट, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मीदेवी, श्रीमती
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लताफत हुसेन, श्री
लालबहादुर सिंह कश्यप, श्री
लुत्फअली खां, श्री
वंशीदास धनगर, श्री
वंशीधर मिश्र, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नकवी, श्री
वासुदेवप्रसाद मिश्र, श्री
विजयशंकर प्रसाद, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विश्राम राय, श्री
विष्णुशरण दुब्लिश, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्रपति यादव, श्री
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेन्द्र शाह राजा, श्री
व्रजभूषण मिश्र, श्री
व्रजरानी मिश्र, श्रीमती
व्रजवासी लाल, श्री
व्रजबिहारी मिश्र, श्री
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शम्भूनाथ चतुर्वेदी, श्री
शांति प्रपन्न शर्मा, श्री
शारदा बख्श सिंह, श्री

शिवकुमार मिश्र, श्री
शिवकुमार शर्मा, श्री
शिवदान सिंह, श्री
शिवनाथ काटजू, श्री
शिवनारायण, श्री
शिवपूजन राय, श्री
शिवप्रसाद, श्री
शिवमंगल सिंह कपूर, श्री
शिवराज बली सिंह, श्री
शिवराज सिंह यादव, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिवराम राय, श्री
शिववक्ष सिंह राठौर, श्री
शिवशरण लाल श्रीवास्तव, श्री
शुकदेव प्रसाद, श्री
शुगनचन्द, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामाचरण वाजपेयी शास्त्री, श्री
श्रीकृष्णदत्त पालीवाल, श्री
श्रीचन्द, श्री
श्रीनाथ भार्गव, श्री
श्रीनाथराम, श्री
श्रीनिवास, श्री
श्रीपतिसहाय, श्री
सईदजहां मखफी शेरवानी, श्रीमती
संग्राम सिंह, श्री
सच्चिदानन्दनाथ त्रिपाठी, श्री
सत्यनारायणदत्त, श्री
सत्यसिंह राणा, श्री
सफिया अब्दुल वाजिद, श्रीमती
सम्पूर्णानन्द, डाक्टर
सावित्रीदेवी, श्रीमती
सियाराम चौधरी, श्री
सीताराम, डाक्टर
सीताराम शुक्ल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुन्दरदास, श्री दीवान
सुन्दरलाल, श्री
सुरुजूराम, श्री
सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुल्तानआलम खां, श्री
सूर्यप्रसाद अवस्थी, श्री
सूर्य्यबली पांडेय, श्री
सेवाराम, श्री
हबीबुर्रहमान अंसारी, श्री
हबीबुर्रहमान खां हकीम, श्री
हमीद खां, श्री
हरगोविंद सिंह, श्री
हरदेव सिंह, श्री
हरसहाय गुप्त, श्री
हरिसिंह, श्री

प्रश्नोत्तर

बुधवार, ९ मई, १९५६

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

फिरोजाबाद टी० बी० अस्पताल में शय्याओं तथा दवाओं की कमी

१—श्री गंगाधर जाटव** (जिला आगरा)—क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपा करके बतायेंगे कि फिरोजाबाद के सरोजिनी नायडू अस्पताल में क्षय रोगियों के लिये पलंग तथा दवा व इंजेक्शन इत्यादि की कमी है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सामान मंगाने का विचार रखती है ?

नियोजन मन्त्री के सभा सचिव (श्री बनारसी दास)—फिरोजाबाद टी० बी० अस्पताल में इस समय रोगियों के लिये २६ शय्याएं हैं। इसके अतिरिक्त वहां ६४ शय्यायें और बनायी जा रही हैं। दवा व इन्जेक्शन की कमी की कोई शिकायत अभी तक सरकार के पास नहीं आयी है। शय्याओं की संख्या बढ़ जाने पर दवा व इन्जेक्शन भी बढ़ा दिये जायेंगे।

**२—श्री गंगाधर जाटव—क्या यह सत्य है कि जिन क्षय रोगियों का इलाज उक्त अस्पताल में होता है उनके लिये दवायें तथा इन्जेक्शन आदि अस्पताल की ओर से प्राप्त नहीं हैं और गरीब क्षय रोगी दवा तथा इन्जेक्शन के अभाव में लाभ-प्राप्त नहीं कर पाते ?

श्री बनारसी दास—इस अस्पताल की २६ शय्याओं में २० शय्यायें निःशुल्क हैं। जिन पर भर्ती होने वाले रोगियों का उपचार बिलकुल मुफ्त होता है। उनको दवा आदि भी अस्पताल की ओर से निःशुल्क दी जाती है। बाकी रोगियों से बहुमूल्य दवा व इंजेक्शन के दाम ले लिये जाते हैं।

श्री गंगाधर जाटव—क्या माननीय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि यह जो ६४ शय्यायें बढ़ायी जा रही हैं उनके लिये शीघ्र से शीघ्र कितना समय लगेगा ?

श्री बनारसी दास—इसके लिये स्वीकृति दी जा चुकी है और बनवाने के लिये टेंडर भी मांगे जा चुके हैं।

श्री गंगाधर जाटव—क्या सरकार को ज्ञात है कि उक्त अस्पताल में जाने वाले रोगियों की संख्या सैकड़ों की तादाद में है और उसमें निःशुल्क चिकित्सा उनकी नहीं होती है ?

श्री बनारसी दास—यह तो सही है कि टी० बी० के रोगियों की संख्या काफी है। हर अस्पताल में काफी लोग आते हैं। लेकिन जहां तक फीरोजाबाद का सवाल है उत्तर दिया जा चुका है कि वहां इस समय २६ शय्यायें हैं और आगे और बढ़ा रहे हैं।

विधायकों को प्राथमिकता देने के लिये उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव का परिपत्र

**३—श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव ने राज्य सरकार के समस्त अधिकारियों को इस आशय का निर्देश दिया है कि वे विधान मंडल तथा लोक सभा के सदस्यों को प्राथमिकता दें ?

मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)—जी हां।

**४—श्री रामसुन्दर पांडेय—यदि हां, तो क्या उस आदेश की प्रतिलिपि मुख्य मंत्री सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगे।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—आदेश की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखी गयी है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ५६२ पर)

श्री रामसुन्दर पांडेय—माननीय मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजभाषा हिन्दी स्वीकृत हो जाने के बाद, तथा उनकी घोषणा के बाद कि सारा काम-काज हिन्दी में होगा यह आदेश अंग्रेजी में क्यों भेजा गया ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—धीरे-धीरे सब काम अंग्रेजी से हिन्दी में होता जा रहा है। कुछ दिन के बाद शायद ऐसे पत्र हिन्दी में जाया करेंगे जरूर।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या माननीय मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इस आदेश के भेजने की आवश्यकता मुख्य सचिव को क्यों हुयी ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—मेरे पास इस बात की शिकायतें आयीं कि कभी-कभी सदन के माननीय सदस्यों का कुछ बड़े अफसरों के यहां काफी समय नष्ट होता है। ऐसा खयाल है कि बड़े अफसरों के यहां और लोग जो जाते हैं वह अपने किसी निजी काम से जाते होंगे और विधान

सभा और विधान परिषद् के सदस्य निजी काम या सलाम करने नहीं जाते होंगे। वह कांस्टीट्यूयेन्सी के सार्वजनिक काम से जाते होंगे। तो सार्वजनिक काम को प्राथमिकता होना ही चाहिये, इसलिये इस बात की ओर सरकारी अफसरों का ध्यान आकृष्ट करने के लिये परिपत्र भेजा गया।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या माननीय मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वह कौन-कौन से जिले हैं जहां के अधिकारियों के खिलाफ इस तरह की शिकायत सरकार के पास आयी थी कि वह व्यवस्थापकों से मिलने में देरी करते हैं?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—इस किस्म का ब्योरा रखने की मैंने कोई जरूरत नहीं समझी।

विलीन टेहरी राज्य के शिक्षा विभाग में शास्त्रियों की पुनर्नियुक्ति

****५—श्री जयेन्द्र सिंह विष्ट** (जिला टेहरी-गढ़वाल)—क्या यह सही है कि विलीन टिहरी राज्य के शिक्षा विभाग के कतिपय unabsorbed शास्त्रियों को शास्त्री ग्रेड में absorbed करने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है? यदि हां, तो कब से?

शिक्षा उपमन्त्री (डाक्टर सीताराम)—जी हां। पिछले २ मास से।

श्री जयेन्द्र सिंह विष्ट—क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि कितने शास्त्रियों को अब तक ऐबजार्ब किया गया है और किस-किस के मामले अभी तक विचाराधीन हैं?

डाक्टर सीताराम—१३ शास्त्री अध्यापन का कार्य कर रहे हैं जिनका मसला अभी विचाराधीन है।

श्री जयेन्द्र सिंह विष्ट—क्या यह सही है कि जिन शास्त्रियों का मामला विचाराधीन है उनसे जूनियर सरकार ने ऐबजार्ब कर लिये हैं?

डाक्टर सीताराम—हां, हो सकता है कि एक के बारे में माननीय सदस्य कह रहे हों। लेकिन वह बेटर क्वालीफाइड हैं और टैम्पोरेरी तरीके से वह काम कर रहे हैं, परमानेन्ट तरीके से वह अभी ऐबजार्ब नहीं हुए हैं।

श्री जयेन्द्र सिंह विष्ट—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि इनका मामला कब तक विचाराधीन रहेगा?

डाक्टर सीताराम—पिछले दो महीने से विचाराधीन है। शिक्षा संचालक से आख्या मांगी गयी है और उनकी संस्तुति प्राप्त हो जाने के पश्चात् इस पर निर्णय दिया जा सकेगा?

लाजपतनगर, लखनऊ के मकानों के सम्बन्ध में शिकायत

****६—श्री रामदुलारे मिश्र** (जिला कानपुर)—क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि लखनऊ में पुरुषार्थियों (रिफ्यूजियों) के रहने के लिये जो लाजपतराय नगर बनाया गया है उसमें कितने ब्लाक और कितने मकान हैं? पुरुषार्थियों को यह मकान किस कीमत पर तथा किन शर्तों पर दिये गये हैं?

सूचना मन्त्री के सभा-सचिव (श्री लक्ष्मी शंकर यादव)—विक्टोरिया पार्क, चौक, लखनऊ में सरकार ने केंद्रीय सरकार से ऋण ले कर २९ ब्लाक में २४४ मकान शरणार्थियों के पुनर्वास के लिये बनाये हैं। इस कालोनी का नाम लाजपत नगर है। ये मकान डिस-प्लेस्ड परसन्स कम्पेन्सेशन ऐक्ट, १९५४ के अधीन शरणार्थियों को केन्द्रीय सरकार द्वारा दिये जा रहे हैं, इन मकानों का मूल्यांकन केन्द्रीय सरकार द्वारा हुआ है और इसमें राजकीय सरकार का कोई हाथ नहीं है।

**७—श्री रामदुलारे मिश्र—क्या यह सही है कि उपर्युक्त नगर नीचे की भूमि पर बसा होने के कारण बरसात का दूर-दूर का पानी इन मकानों में बराबर भरा रहता है जिससे गन्दगी और बीमारी से लोगों के स्वास्थ्य को हानि होती है ?

श्री लक्ष्मी शंकर यादव—जी नहीं।

श्री राम दुलारे मिश्र—क्या माननीय मन्त्री जी बतावेंगे कि २४४ मकान जिस नगर में आबाद हैं उनकी चिकित्सा और शिक्षा की क्या व्यवस्था है ?

श्री लक्ष्मी शंकर यादव—इसके लिये नोटिस चाहिये।

श्री रामदुलारे मिश्र—क्या यह सही है कि बरसात के पानी की वजह से बहुत से मकानों की छतों को क्षति हुई है और इसकी सूचना सम्बन्धित अधिकारियों को दी गई और इस सम्बन्ध में कोई डेप्यूटेशन सम्बन्धित अधिकारियों से मिला ?

श्री लक्ष्मी शंकर यादव—बरसात के पानी से नुकसान तो हुआ नहीं और न बरसात का पानी उसमें जाता है। यह बात जरूर है जब कभी ज्यादा बारिश होती है तो मकानों के आंगन का ही पानी कभी-कभी इकट्ठा हो जाता है और थोड़ी देर में वह भी पानी निकल जाता है। डेप्यूटेशन का मालूम नहीं है।

श्री जोरावर वर्मा (जिला हमीरपुर)—यह जो मकान शरणार्थियों को दिये गये हैं उनका पूरा सेटिलमेंट हो गया है या शरणार्थियों को अभी कुछ रुपया देना बाकी है ?

श्री लक्ष्मी शंकर यादव—इसकी नोटिस चाहिये।

तारांकित प्रश्न

द्वितीय पंचवर्षीय योजना में बच्चों के लिए चिकित्सा सम्बन्धी कार्य

*१—श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी (जिला हमीरपुर)—क्या बच्चों में मेन्टल डिफिशियेन्सी दूर करने की किसी योजना पर सरकार विचार कर रही है ?

श्री बनारसी दास—जी हां।

*२—श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी—यदि हां, तो इस योजना की रूपरेखा क्या होगी ?

श्री बनारसी दास—द्वितीय पंचवर्षीय योजना में बच्चों के विशेष इलाज के लिये निम्नलिखित सुझाव दिये गये हैं :

१—उत्तर प्रदेश के १० बड़े-बड़े नगरों में विशेषज्ञों के अधीन बाल रोग चिकित्सालय खोलने की योजना है जिनमें से दो चिकित्सालय १९५६-५७ में खोले जावेंगे।

२—बच्चों के विशेष रोगों के लिये एक नया अस्पताल इलाहाबाद में खोले जाने की व्यवस्था है।

३—५ मस्तिष्क क्लिनिकों की भी खोलने की योजना द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित है। जहां पर बच्चों के मस्तिष्क रोगों का इलाज भी होगा। इनके अतिरिक्त स्कूली चिकित्सा सेवाओं का विस्तार जो बच्चों की जांच करेगी और स्कूल से पढ़ने वाले बच्चों में से जो कि बेकार मस्तिष्क के हैं छांट लिये जायेंगे ताकि उनके विशिष्ट उपचार का प्रबन्ध बाल चिकित्सालय में किया जा सके।

श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी—क्या माननीय मन्त्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार ने कोई ऐसा सर्वे किया है जिससे यह ज्ञात हो सके कि ऐसे बच्चों की संख्या प्रदेश में कितनी है ?

श्री बनारसी दास—इस प्रकार का तो कोई सर्वे नहीं किया गया है कि ऐसे बच्चों में जिनमें डिफिसियेंसी है उनकी तादाद कितनी है। पहले सरकार ने कुछ जगह अवश्य एक कमेटी बिठायी थी यह देखने के लिये कि बच्चों के अन्दर कितने रोग हैं, तो विशेष रूप से उन्होंने नेत्र चिकित्सा की ओर ध्यान आकर्षित किया था। मेंटल डेफिसियेंसी कितनी है इसके कोई आंकड़े सरकार के पास नहीं हैं।

श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी—क्या माननीय मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इन चिकित्सालयों में कितने बेड्स होंगे और किस आयु के बच्चों को भर्ती किया जायगा?

श्री बनारसी दास—यह जैसा अभी बतलाया गया है कि लखनऊ के अन्दर एक बड़ा चिकित्सालय होगा और आगरे के अन्दर होगा। बच्चों का मसला तो आप समझते हैं कि बच्चे की जितनी उम्र होती है उस उम्र के सभी बच्चे जन्म से लेकर १५ वर्ष के नीचे तक के उसमें जा सकते हैं।

चुर्क सीमेंट फैक्टरी की फुटकर बिक्री की दुकान

*३—**श्री व्रजभूषण मिश्र** (जिला मिर्जापुर)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि चुर्क सीमेंट फैक्टरी के फाटक पर एक डिपो खोल कर फुटकर बिक्री की व्यवस्था करके स्थानीय जनता को सस्ती और सुविधा पूर्वक सीमेंट मिलने की व्यवस्था किये जाने की मांग जनता तथा जन प्रतिनिधियों द्वारा प्रारम्भ से ही बराबर की जा रही है?

श्री बनारसी दास—कुछ लोगों की यह मांग थी।

*४—**श्री व्रजभूषण मिश्र**—क्या ऐसी व्यवस्था न होने से उक्त सीमेंट लेने के लिये दुद्धी तथा राबर्ट्सगंज तहसील की जनता को बड़ी कठिनाई होती है।

श्री बनारसी दास—चुर्क में फुटकर बिक्री की एक दुकान खुल चुकी है।

श्री व्रजभूषण मिश्र—क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह दूकान कब से खुली और दूकानदार कौन है?

श्री बनारसी दास—जी हां, पहले तो वहां पर डिस्ट्रिक्ट फेडरेशन को मुकर्रर किया गया था लेकिन उसने प्रबन्ध नहीं किया और उसके बाद कोआपरेटिव डेवलपमेंट फेडरेशन, दुद्धी को वहीं पर मुकर्रर किया गया है और वही इस वक्त में वहां पर काम कर रहा है।

श्री व्रजभूषण मिश्र—कब से खुली है इसका जवाब नहीं दिया गया।

श्री बनारसी दास—वैसे तो वहां गत साल आदेश दिया गया लेकिन उसकी ठीक तारीख मेरे पास नहीं है कि कब से खुली है। साल भर के अन्दर ही खोली गई है।

श्री व्रजभूषण मिश्र—क्या माननीय मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि वहां पर चुर्क में जो सीमेंट बिकती है उसका दाम वही है जो कि दूसरी जगह होता है और उसमें ट्रांसपोर्ट की रियायत नहीं की गई है?

श्री बनारसी दास—वैसे चुर्क के अन्दर सीमेंट का दाम ५ रु० ७ आ० फी बोरा है जबकि कि हेडक्वार्टर पर ५ रु० ८ आ० ६ पा० है। इस तरह से आप देखेंगे कि एक दूसरे स्थान पर ५ रु० ६ आ० है। दो आने फी बोरे का अन्तर है और वैसे यह दाम गवर्नमेंट आफ इंडिया की तरफ से निश्चित किये जाते हैं जिसमें ट्रांसपोर्ट का खर्चा भी शामिल होता है। तो मिर्जापुर के लिये कोई अलग दाम निश्चित नहीं हो सकता। केवल जो स्थानीय ट्रांसपोर्ट का खर्चा है उसकी कमी हो सकती है।

श्री वजभूषण मिश्र—क्या माननीय मन्त्री जी को ज्ञात है कि जो फर्क कहा गया है वह ट्रांसपोर्ट चार्जेज का फर्क नहीं है बल्कि चुंगी जो लगती है उसके चार्जेज ज्यादा हैं ?

श्री बनारसी दास—जी हां, जो इंसीडेंटल चार्जेज हैं वह भी उसमें शामिल किये जाते हैं। वैसे गवर्नमेंट आफ इंडिया की तरफ से जो भाव निश्चित है वह मिर्जापुर और प्रदेश के सभी स्थानों के लिये ७८ रुपये फी टन है, जिसमें खर्चा भी होता है, स्थानीय इंसीडेंटल चार्जेज, एक्साइज ड्यूटी, चुंगी, मुनाफा, किराया वगैरा सब शामिल है।

श्री जगन्नाथ मल्ल (जिला देवरिया)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि गवर्नमेंट आफ इंडिया सीमेंट के दाम तय करते वक्त यू० पी० सरकार से सलाह लेती है या नहीं ?

नियोजन मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)—दाम तय करते वक्त केन्द्रीय सरकार उन तमाम आंकड़ों को अपने सामने रखती है जो आंकड़े व्यय आदि के सम्बन्ध में, उस फ़ैक्टरी में लगाने के सम्बन्ध में होते हैं और उनकी बुनियाद पर वह दर तय करती है।

*५–६—**श्री बसन्त लाल** (जिला जालौन)—[२३ मई, १९५६ के लिये स्थगित किये गये।]

*७–९—**श्री नन्दकुमार देव वाशिष्ठ** (जिला अलीगढ़)—[६ जून, १९५६ के लिये स्थगित किये गये।]

*१०—**श्री बसन्त लाल**—[६ जून, १९५६ के लिये स्थगित किया गया।]

देवरिया जिले के कसिया तथा सलेमपुर विकास केन्द्रों के अन्तर्गत वृक्षारोपण

*११—**श्री रामसुभग वर्मा** (जिला देवरिया)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला देवरिया विकास केन्द्र कसया तथा सलेमपुर द्वारा कितने गांवों में कितने वृक्ष लगाये गये हैं और उसमें से कितने वृक्ष इस समय मौजूद हैं ?

नियोजन उपमंत्री (श्री फूलसिंह)—देवरिया जिले के कसिया तथा सलेमपुर केन्द्रों ने क्रमशः १५३ तथा २२५ गांवों में १६,४७४ तथा ५८,४०१ वृक्ष लगाए। इनमें से लगभग ६० प्रतिशत इस समय मौजूद हैं।

श्री रामसुभग वर्मा—क्या माननीय मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इन वृक्षों के लगाने में कितने रुपये व्यय हुए हैं ?

श्री फूलसिंह—ये आंकड़े तो मेरे पास अभी मौजूद नहीं हैं।

श्री रामसुभग वर्मा—क्या माननीय मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि ये वृक्ष किस महीने में लगाये गये थे ?

श्री फूलसिंह—ये तो मुख्तलिफ समय में लगते रहे हैं। उसकी सूची बनाने में कठिनाई होगी।

बगासे घास से कागज बनाने के लिए फैक्टरी खोलने की सिफारिश

*१२—**श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी**—क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने केन्द्रीय सरकार को प्रदेश में कागज बनाने के कारखानों को खोलने के लिये सिफारिश की है ?

श्री बनारसी दास—राज्य सरकार ने केन्द्रीय सरकार को प्रदेश में बगासे (bagasse) पर आधारित कागज फैक्टरी खोलने की सिफारिश की है।

श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी—क्या माननीय मन्त्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि यह फैक्टरी किस स्थान पर खोली जायगी और क्या वह पब्लिक सेक्टर में होगी या प्राइवेट सेक्टर में ?

श्री बनारसी दास—सर शादीलाल शुगर मिल और जैन मिल्स ने मंसूरपुर में एक बगासे के आधार पर पेपर फैक्टरी लगाने के लिये प्रार्थना-पत्र दिया है, जिसकी सिफारिश इस सरकार ने की है। इसके अतिरिक्त एक दूसरी मिल, जसवन्त शुगर मिल ने एक दरख्वास्त दी है जो विचाराधीन है। अगर वह स्वीकृत हुई तो जिस स्थान के लिये प्रार्थना-पत्र दिया गया वहां खोली जायगी और जाहिर है कि प्राइवेट सेक्टर में होगी।

श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी—क्या माननीय मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि यह बगासे घास उत्पादन क्षेत्र अपने प्रदेश में और कहां-कहां हैं ?

श्री बनारसी दास—ये तो हर जगह जहां कि शुगर फ़ैक्टरीज हैं वहां बगासे मिलती है, जो छोही ईख से निकलती है, उससे निकाली जाती है। उससे कागज बनाने के लिए यह उनकी योजना है।

श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी—क्या माननीय मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि इस फैक्टरी के खोले जाने से कितने आदमियों को एम्पलायमेंट मिल सकेगा ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जिन मिल्स ने अर्जी दे रखी है उन्होंने यह बताया था कि कदाचित् ७०० या ८०० आदमी एम्प्लायमेंट पायेंगे। जहां अभी इन दो फैक्टरियों के विषय की चर्चा की गई है वहां मैं यह भी उत्तर में बता देना चाहता हूं कि एक और फैक्टरी जो कि कदाचित् पब्लिक सेक्टर में या प्राइवेट सेक्टर में लगेगी, उसके विषय में भी केन्द्रीय सरकार से बात-चीत चल रही है। प्रदेशीय सरकार एक और कागज की फैक्टरी लगाना चाहती थी और इस बुनियाद पर लगाना चाहती थी कि अपने प्रदेश में फर ऐंड स्प्रस लकड़ी जो कि ११,००० फिट की ऊंचाई पर मिलती है उसको लाने का विचार कर रही थी। पिछले साल में केन्द्रीय सरकार ने प्रदेशीय सरकार के पास एक आदेश भेजा और उन्होंने यह बात जाहिर करने की कोशिश की कि केन्द्रीय सरकार स्वतः अपने कंसल्टेंट्स के द्वारा विचार करके यह निर्णय करेगी कि वह फैक्टरी पब्लिक सेक्टर में लगेगी या प्राइवेट सेक्टर में। इसलिये उन्होंने एक कमेटी इंस्पेक्टर जनरल आफ फारेस्ट्स की अध्यक्षता में नियुक्त कर रखी है। वह कमेटी यहां पर भी आ चुकी है और उसने यहां से लकड़ी इत्यादि की प्राप्ति के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त कर ली है और जब वह कमेटी अपना निर्णय देगी तब यह निर्णय किया जा सकेगा कि एक और फैक्टरी प्राइवेट सेक्टर में या पब्लिक सेक्टर में, कहां इस क्षेत्र में लगायी जा सकती है जहां फर ऐंड स्प्रस की लकड़ी अधिक मात्रा में मिलती है।

बुद्ध जयन्ती के अवसर पर कुशीनगर अस्पताल को वृहद् रूप देना

*१३—**श्री रामसुभग वर्मा**—क्या सरकार २५ सौवीं बुद्ध जयन्ती के अवसर पर कुशीनगर, देवरिया में देश और विदेश से आने वाले यात्रियों के स्वास्थ्य का ख्याल रखते हुये कसिया अस्पताल को वृहद् रूप देने जा रही है ?

नियोजन मंत्री के सभासचिव (श्री बलदेव सिंह)— बुद्ध जयन्ती के अवसर पर कसिया अस्पताल में निम्नप्रकार की व्यवस्था की जा रही है :

(१) कसया अस्पताल में पलंगों की संख्या आवश्यकतानुसार बढ़ायी जायेंगी।

(२) अस्पताल में औषधियां पर्याप्त मात्रा में रख दी गई हैं। आवश्यकता पड़ने पर और भी औषधियां तथा अन्य सामग्रियां संचित कोष से तत्काल दी जायंगी।

श्री रामसुभग वर्मा—क्या सरकार ने कुछ अनुमान मेले के अवसर पर आगन्तुकों और दवाइयों इत्यादि के विषय में लगाया है, यदि हां, तो वह कितना और क्या ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—वहां कितना खर्च होगा इसके अनुमान के लिये ठीक-ठीक आंकड़े तो मेरे पास नहीं हैं लेकिन जो कुछ व्यवस्था वहां करना आवश्यक है उसकी व्यवस्था सरकार की ओर से कर दी गई है।

श्री रामसुभग वर्मा—कसया अस्पताल की इमारत में कितने पलंगों के लिये स्थान हो सकता है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—६ पलंगों के लिये वहां इंतजाम हो सकता है। अभी जब मैं गया था तब मैंने वहां के निरीक्षण के बाद कुछ और भी आदेश दिये हैं जिससे कुछ और पलंगों को वहां बढ़ाया जा सकता है।

श्री गेंदा सिंह (जिला देवरिया)—क्या यह सही है कि कसया अस्पताल की इमारत बहुत पुराने जमाने की है और बहुत जीर्णशीर्ण अवस्था में है और उसमें ज्यादा लोगों के रहने के लिये स्थान नहीं है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—कसिया की जो इमारतें हैं वह नई बन गयी हैं चूंकि वह कम्युनिटी प्रोजेक्ट का एक क्षेत्र था और कम्युनिटी प्रोजेक्ट के बजट से नई इमारतें बना दी गई हैं। एक इमारत जरूर बहुत पुरानी है इसलिये उसके विषय में ऐसे आदेश जारी हुये हैं कि वह इमारत फिर से तोड़ कर बनाई जाय। अभी तक कसिया अस्पताल डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का अस्पताल है। अभी उसका प्रान्तीयकरण नहीं हुआ है। प्रान्तीयकरण हो जाय या जिला बोर्ड उसे बनाने के लिये उद्यत हो तब वह पुरानी इमारत बदलेगी। बहरहाल इस विषय में आदेश दिये गये हैं कि इस स्थान की महत्ता को देखते हुये इस अस्पताल की पुरानी इमारत को फिर से नये तरीके से बना दिया जाय।

श्री रामसुभग वर्मा—क्या माननीय मन्त्री जी बतायेंगे कि कितने रुपये संचित कोष से अस्पताल के लिये दिये गये हैं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—इस वक्त तो यह नहीं कहा जा सकता लेकिन चूंकि बुद्ध जयन्ती के अवसर पर मेला होने वाला है उसके लिये हमारी तरफ से ऐसे आदेश जारी किये गये हैं कि जितनी मात्रा में वहां दवाओं आदि की आवश्यकता हो जैसा डाक्टर लोग अनुमान लगा कर निर्णय करें उतनी मात्रा में दवाओं इत्यादि रखने का प्रबन्ध वहां रहे और अधिक संख्या में डाक्टरों इत्यादि को रख कर प्रबन्ध करना चाहिये।

केन्द्रीय सरकार से प्राप्त रासायनिक खादों का प्रयोग

*१४—**श्री उमाशंकर (जिला आजमगढ़)**—क्या सरकार कृपा कर के यह बतायेगी कि गवर्नमेंट आफ इंडिया मिनिस्ट्री आफ फूड एण्ड एग्रीकल्चर के परिपत्र संख्या एफ-१२६७/५४, दिनांक १८ मार्च, ५४ के अनुसार सरकार को कितनी-कितनी रासायनिक खादें प्राप्त हुई हैं ?

श्री फूल सिंह—सन् १९५४ में निम्नलिखित मात्रा में खादें प्राप्त हुईं :—

	टन
(१) मूत्रज खाद	११५
(२) सूपर फासफेट	६२०
(३) मिश्रित खाद	१,४३५
(४) अमोनियम सल्फेट	२५०

*१५—श्री उमाशंकर—क्या सरकार एक लिस्ट मेज पर रखेगी कि कहां-कहां उसका प्रयोग हुआ है और उसके परिणाम क्या हुये हैं ?

श्री फूल सिंह—सूची माननीय मेम्बर की मेज पर रख दी गयी है।

प्रदर्शन सफल रहे तथा खादों के महत्व से लोग प्रभावित भी हुये।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ५६३–५६५ पर)

श्री उमाशंकर—क्या माननीय मन्त्री जी कृपा करके बतायेंगे कि यह खाद किस विभाग की देख-रेख में तकसीम की गई है ?

श्री फूल सिंह—नियोजन विभाग की देख-रेख में।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या माननीय मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि यह खाद मुफ्त किसानों को बांटी गयी या कीमत ले कर दी गयी ?

श्री फूलसिंह—डिमान्स्ट्रेशन के लिये मुफ्त बंटी।

श्री उमाशंकर—आवश्यकतानुसार किसी जिले के उन व्यक्तियों की लिस्ट मांगी जाय जिनको खाद दी गयी है तो क्या सरकार उसे देने को तैयार है ?

श्री फूल सिंह—बहुत बड़ी लिस्ट हो जायगी। माननीय सदस्य उसको अपने-अपने जिले में देख सकते हैं।

श्री तेज प्रताप सिंह (जिला हमीरपुर)—क्या माननीय मन्त्री जी बतलायेंगे कि जो ये खादें वितरित की गयी हैं उनमें सब से अधिक कौन पसन्द की गयी है किसानों द्वारा और किस खाद की सबसे ज्यादा मांग किसानों ने की है ?

श्री फूल सिंह—अब यह तो मुख्तलिफ़ फस्लों के लिये मुख्तलिफ़ खादें हैं।

श्री श्रीचन्द्र (जिला मुजफ्फरनगर)—क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिन खादों की सूची दी हुई है उसमें अमोनियम क्लोराइड भी है या नहीं ?

श्री फूल सिंह—जो सूची मैंने पढ़ी उसमें क्लोराइड नहीं है।

नैनीताल जिले के तराई भावर क्षेत्र में गन्ना पेरने की व्यवस्था

*१६—श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—क्या सरकार बतायेगी कि नैनीताल जिले के तराई भावर क्षेत्र में गत वर्ष के "केन सीजन" में व चालू वर्ष के केन सीजन में कितना-कितना गन्ना बोया गया है ?

श्री फूल सिंह—प्राप्त सूचना के अनुसार नैनीताल जिले के क्षेत्रों में जहां से गन्ना सहकारी गन्ना यूनियनों द्वारा मिलों को दिया जाता है गत केन सीजन तथा चालू सीजन में क्रमशः १८.२४ तथा ३०.२३ हजार एकड़ में गन्ना पैदा किया गया।

*१७—श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या सरकार को सूचना है कि इस वर्ष जो गन्ना उक्त तराई भावर क्षेत्र में बोया गया है, वह निकटस्थ मिलों के पेरने की साधारण क्षमता से ज्यादा है ?

श्री फूल सिंह—जी हां।

*१८—श्री नारायणदत्त तिवारी—यदि हां, तो क्या सरकार बतायेगी कि वह इस क्षेत्र के अतिरिक्त गन्ने को समय से पेरे जाने के हेतु क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री फूल सिंह—उक्त क्षेत्र में अतिरिक्त गन्ने की पेराई के लिए हर सम्भव प्रयत्न किया जा रहा है । हर निकटस्थ मिल को अधिक से अधिक मात्रा में गन्ना दे कर और सीजन को बढ़ा कर सब गन्ने को पेरवाने का पूरा प्रयत्न किया जा रहा है । इसके अतिरिक्त इस क्षेत्र में कोल्हू तथा क्रशर इत्यादि लगवाने के लिए भी भरसक प्रयत्न किये गये और इसके लिये सरकार द्वारा गत वर्ष १९५५-५६ में २,००,००० रुपया तकावी के रूप में बांटा गया ताकि काश्तकार अपना गन्ना स्वयं भी उपयोग में ला सके, मिलों पर उनकी निर्भरता कम हो सके और उस क्षेत्र का गन्ना अधिक से अधिक मात्रा में खपाया जा सके ।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या माननीय मन्त्री जी बतलायेंगे कि इस क्षेत्र का अब तक कितना गन्ना पेरा जा चुका है और कितना अतिरिक्त गन्ना पेरना बाकी है ?

श्री फूल सिंह—इसकी तो सूची अभी मेरे पास नहीं है ।

श्री जगन्नाथ मल्ल—क्या यह सही है कि गन्ना पेरने के लिये जो मिलें आजकल गर्मी में चल रही हैं उनके इस गर्मी में काम करने के कारण बहुत से मजदूर आजकल मिलों में बीमार पड़ रहे हैं ?

श्री फूल सिंह—मेरे पास तो इस बात की सूचना नहीं है । वैसे बीमार तो होते होंगे ।

श्री जगन्नाथ मल्ल—जो मजदूर आजकल गर्मी में काम कर रहे हैं क्या मन्त्री जी उनको कुछ और एलाउन्स दिलवाने की कृपा करेंगे ताकि वह अपने को ठीक से मेन्टेन कर सकें ?

श्री फूल सिंह—एलाउन्स तो काम करने का मिलता है, बीमारी का थोड़े ही मिलता है ।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या मन्त्री महोदय बतलाने की कृपा करेंगे कि इस क्षेत्र में गन्ना पेरने के लिये किन-किन मिलों में कितना अतिरिक्त गन्ना भेजा जा रहा है ?

श्री फूल सिंह—यह तो बहुत ब्योरे का प्रश्न है, नोटिस की आवश्यकता है ।

श्री गेंदा सिंह—क्या नियोजन मन्त्री जी के पास इस समय सारे सूबे का ब्योरा है कि इतना गन्ना किन-किन मिलों को जायगा और कौन-कौन मिल कब तक चलेगी ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—केन कमिश्नर ने ब्योरा भेज रखा है वह सरकार के पास है लेकिन इस समय प्रस्तुत नहीं किया जा सकता । यदि आप चाहें कि कौन-कौन मिल अन्दाजन कब तक चलेंगी तो इसका ब्योरा बताया जा सकता है, वह हमारे पास भेज रखा है ।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या सरकार इस बात का आश्वासन दे सकती है कि इस क्षेत्र का सारा गन्ना इस सीजन में पेर लिया जायगा ?

श्री फूल सिंह—सीजन से बाहर पेरने का कोई सवाल नहीं है और जितना पेरा जा सकेगा उस की कोशिश की जायगी ।

श्री वीरेन्द्र वर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)—क्या मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस क्षेत्र का समस्त गन्ना इस मास अथवा अगले मास की किस तारीख तक पेरा जा सकेगा ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—कुछ फैक्टरियों के २० तथा ३० जून तक चलने की संभावना है और उसी क्षेत्र का गन्ना जाने वाला है जो २०/२५ जून तक चलने वाली है ।

श्री महीलाल (जिला मुरादाबाद)—क्या मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि निकट भविष्य में सरकार अतिरिक्त गन्ने की कीमत कम करने का विचार रखती है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—वह तो जब मई में गन्ना जाता है तो केन्द्रीय सरकार गन्ने की कीमत रिकवरी से जोड़ देती है और ऐसा अनुमान लगाया जाता है और शायद घोषणा भी होगी कि ८ मई से जो गन्ना पेरा जायगा उसके रिकवरी बेसिस पर दाम मिलेंगे।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि कौन-कौन फैक्टरीज के चलने की आशा है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—मेरा खयाल है कि हरगांव, पीलीभीत और बरेली वगैरह और जो इन क्षेत्रों से लगी हुई फैक्टरीज हैं उनके चलने की आशा है और शायद रामपुर फैक्टरी भी १० जून तक चले ऐसी सम्भावना है। ठीक-ठीक तारीख में नहीं दे सकता। यदि आप सूचना मांगेंगे तो दे दूंगा।

श्री वीरेन्द्र वर्मा—क्या मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि ८ तारीख से रिकवरी पर गन्ने की कीमत निर्धारित कर दी जायगी और जो सोसायटीज ने बांड किया है उसका कोई ध्यान नहीं रखा जायगा ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—पारसाल खयाल रखा गया था और इसी बांडेड और नानबांडेड के लिहाज से माल की कीमत दी गई थी और काश्तकारों ने भी ज्यादती की क्योंकि सही-सही बांडिंग करने के लिये सोसायटी ने उत्पादन के फिगर्स नहीं दिये। इस साल अब तक होता रहा है। ५/७ दिन हुये अभी खत्म हुआ है। जितना बांडेड गन्ना है वह पेरा जा सकेगा।

*१९—२०—श्री देवदत्त मिश्र (जिला उन्नाव)—[६ जून, १९५६ के लिये स्थगित किये गये।]

देवरिया जिले में नवीन औषधालय खोलने का विचार

*२१—श्री रामसुभग वर्मा—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इस वर्ष देवरिया जिला में कितने अस्पताल तथा औषधालय कहां-कहां और कौन से वह खोलने जा रही है ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—अभी निर्णय नहीं हुआ है।

श्री रामसुभग वर्मा—क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि यह निर्णय कब तक होने की आशा है ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—इस मास के अन्त तक निर्णय होने की आशा है।

मगहर, जिला बस्ती में पालीटेक्निक स्कूल खोलने की मांग

*२२— श्री धनुषधारी पांडेय (जिला बस्ती) (अनुपस्थित)—क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मगहर, जिला बस्ती में पालीटेक्निक स्कूल खोलने के लिये उनके पास मांग आई थी ? यदि हां, तो यह स्कूल कब से चालू होगा ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जी हां, ऐसी मांग आई थी, किन्तु मगहर में पालीटेक्निक स्कूल खोलना सरकार आवश्यक नहीं समझती।

बस्ती जिले में दियासलाई का कारखाना खोलने का विचार

*२३—श्री धनुषधारी पांडेय (अनुपस्थित)—क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला बस्ती में दियासलाई फैक्ट्री खोलने का उनका विचार है ? यदि हां, तो कब से ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जी हां। अखिल भारतीय खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड से आवश्यक आर्थिक सहायता मिलने पर यहां कुटीर दियासलाई कारखाने खोलने का विचार है।

*२४-२५—श्री रामेश्वर लाल (जिला देवरिया)—[स्थगित किये गये।]

राजकीय आयुर्वेदीय व यूनानी चिकित्सालयों से संबंधित कर्मचारियों का वेतन-क्रम

*२६—श्री धर्मदत्त वैद्य (जिला बरेली)—क्या सरकार बतायेगी कि राजकीय आयुर्वेदीय व यूनानी चिकित्सालयों के चिकित्सकों एवं अधिकारियों के वेतन स्केल की जो घोषणा गत वर्ष की गयी थी वह कब से लागू हो जायेगी ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—नया वेतन-क्रम पहली मार्च, १९५६ से लागू हो गया है।

श्री धर्मदत्त वैद्य—क्या माननीय मंत्री यह बतलाने का कष्ट करेंगे कि जो वेतन क्रम सन् १९५६ से लागू किया गया है उसका निर्णय किस सन् तथा किस मास में किया गया था ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—यह निर्णय तो हमने पिछले वर्ष लिया था और निर्णय लेने के बाद इसको कार्यान्वित करने में चूंकि सब आंकड़े इत्यादि तैयार करने पड़ते हैं व्योरेवार सब चीजों को देखना पड़ता है। इसलिये इसको पूरी तरह से कार्यान्वित करने में देरी होती है। लेकिन निर्णय हमने पिछले वर्ष लिया था।

*२७-२९—श्री जगन्नाथ प्रसाद (जिला खीरी)—[२१ मई, १९५६ के लिये प्रश्न ३४-३६ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

बस्ती जिले में सर्प-दंश से मृत्युएं

*३०—श्री रामलखन मिश्र (जिला बस्ती) (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि सर्प-दंश से बस्ती जिले में सन् १९५५ ई० में कुल कितनी मृत्यु हुई ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—सर्प-दंश से बस्ती जिले में सन् १९५५ में कुल ७२ मृत्यु रजिस्टर्ड हुई।

*३१—श्री रामलखन मिश्र (अनुपस्थित)—क्या जिले के प्रत्येक थाने से ऐसी मृत्यु-सूचना जिले के केन्द्र पर आती है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—१ जनवरी, सन् १९५१ से जन्म-मृत्यु के आंकड़ों को संगृहीत करने का कार्य पुलिस विभाग से हटाकर पंचायत राज विभाग को सौंप दिया गया है। अतः ऐसी सूचनायें प्रत्येक पंचायत राज निरीक्षक के क्षेत्रों से जिला स्वास्थ्य अधिकारी के पास भेजी जाती हैं।

*३२-३४—श्री श्रीचन्द्र—[२४ मई, १९५६ के लिये प्रश्न २६-२८ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

बुलन्दशहर जिले में साफ्ट कोक डिपो बढ़ाने की मांग

*३५—श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर) (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि बुलन्दशहर जिले में साफ्ट कोक के कितने डिपो हैं और कहां कहां ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—बुलन्दशहर में ११ कोल डिपो हैं जो कि निम्नलिखित स्थानों पर स्थित हैं:—

बुलन्दशहर	३
सिकन्दराबाद	२
खुर्जा	२
अनूपशहर	१
डिबाई	१
जहांगीराबाद	१
गुलावठी	१
	११

*३६—श्री रामचन्द्र विकल (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह बतायेगी कि दादरी जिला बुलन्दशहर से साफ्ट कोक डिपो के लिये कोई मांग आयी है ? यदि हां, तो कब से और सरकार का इस विषय पर क्या निश्चय रहा ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जुलाई, १९५५ में जिलाधीश बुलन्दशहर ने जिले के साफ्ट कोक के कोटे में वृद्धि तथा दादरी व अन्य स्थानों में कोल डिपो खोलने के लिये लिखा था पर प्रान्त के कोटे की कमी के कारण और डिपो खोलना सम्भव नहीं हुआ ।

विदेशी सीमेंट बेचने का प्रबंध

*३७—श्री कल्याणचन्द मोहिले (जिला इलाहाबाद)—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि विदेशी सीमेंट प्रदेश के कौन-कौन जिलों में बेचने का प्रबंध किया गया है ?

श्री बनारसीदास—प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में विदेशी सीमेंट बेचने का प्रबंध किया गया है:—

१—बलिया
२—इलाहाबाद
३—उन्नाव
४—अलीगढ़
५—लखनऊ
६—कानपुर
७—बाराबंकी
८—फैजाबाद
९—हरदोई
१०—प्रतापगढ़
११—मेरठ
१२—मुजफ्फरनगर
१३—सहारनपुर
१४—देवरिया
१५—इटावा
१६—फर्रुखाबाद
१७—एटा
१८—सीतापुर
१९—मैनपुरी
२०—शाहजहांपुर
२१—देहरादून
२२—आगरा
२३—खीरी
२४—रायबरेली
२५—गोरखपुर
२६—बस्ती
२७—टेहरी-गढ़वाल

*३८—श्री कल्याणचन्द मोहिले—क्या सरकार बतायेगी कि प्रदेश की सीमेंट किस भाव में बेची जा रही है और यह विदेशी सीमेंट किस भाव में बेंची जायेगी ?

श्री बनारसी दास—देशी सीमेंट प्रदेश में भिन्न-भिन्न फैक्टरियों से आती है जिनके भाव ५ रुपया ४ आने से ५ रुपया ८ आने प्रति बोरी तक हैं । विदेशी सीमेंट का भाव लगभग ८ रुपया अथवा साढ़े आठ रुपया प्रति बोरी होने का अनुमान है ।

श्री कल्याणचन्द मोहिले---क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि यह विदेशी सीमेंट मंगाने की आवश्यकता क्यों पड़ी ?

श्री बनारसीदास---क्योंकि आवश्यकता हमारी अधिक और उत्पादन कम है।

श्री कल्याणचन्द मोहिले---क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि यह विदेशी सीमेंट किन-किन देशों से आती है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---चेकोस्लेवेकिया से, जापान से आती है।

श्री वीरेन्द्र वर्मा---क्या माननीय मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जिन जिलों में यह विदेशी सीमेंट साढ़े आठ रुपये पर भेजी जाती है उनमें देशी सीमेंट भी जायगी या नहीं ?

श्री बनारसीदास---देशी सीमेंट का जो उनका कोटा है उसके मुताबिक वहां उसको भेजने का प्रयत्न किया जायगा।

श्री जगन्नाथमल्ल---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि यह जिले जो इसमें तय किये गये हैं यह किस आधार पर तय किये गये हैं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---यह तो जब विदेशी सीमेंट मंगाने की योजना बनी तो हमने जिला अधिकारियों से पूछा कि वह अपने-अपने जिले में कितनी यह सीमेंट लेना चाहते हैं तो उन्होंने कुछ आंकड़े हमारे पास विभिन्न जिलों से लेकर भेजे और उसकी बुनियाद के ऊपर हमने केन्द्रीय सरकार को इत्तला दी। अलावा जिलों के विभिन्न विभागों ने भी कुछ आंकड़े हमारे पास भेजे। तो उन्हें अपनी आवश्यकता के अनुपात में इतनी मात्रा में विदेशी सीमेंट की आवश्यकता है यह मालूम होने पर वह आंकड़े भी हमने केन्द्रीय सरकार के पास भेजे जिससे केन्द्रीय सरकार जितनी सीमेंट मंगा रही है उसका काफी हिस्सा हमें भी प्रदेश के लिये मिले।

श्री वीरेन्द्र वर्मा---क्या माननीय नियोजन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि सौराष्ट्र तथा देश के और किन्हीं स्थानों से भी, जहां सीमेंट मंगाई जा रही है, सीमेंट इम्पोर्ट करने की सरकार की कोई व्यवस्था है और यदि है तो किस भाव पर ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---पहले हमने व्यवस्था की थी और केन्द्रीय सरकार की इजाजत से ऐसी व्यवस्था की थी कि सौराष्ट्र इत्यादि से जहां कि सीमेंट मिलती है, वह हमें उन व्यक्तियों से सीमेंट लाने की इजाजत दें जो कम्पनी से अपनी दर इत्यादि तय कर लेते थे, परन्तु अब तो ऐसा सब प्रबन्ध बन्द कर दिया गया है। जब से सीमेंट की कमी होने लगी तो केन्द्रीय सरकार ने प्रत्येक क्षेत्र के और प्रत्येक सीमेंट के उत्पादन के जो क्षेत्र थे, उन पर सारा अपना नियंत्रण रख लिया और अब वह इस प्रकार से किन्हीं अन्य क्षेत्रों से यहां सीमेंट लाने की इजाजत, जहां तक देश की सीमेंट का सवाल है, नहीं देती।

*३९---**श्री गुप्तार सिंह** (जिला रायबरेली)---[१८ मई, १९५६ के लिये प्रश्न ५१ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

मस्तिष्क रोग चिकित्सालय, रांची को राज्य से सहायता

*४०--- **श्री ब्रह्मदत्त दीक्षित** (जिला कानपुर)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि रांची स्थित मस्तिष्क रोग चिकित्सालय को प्रदेशीय सरकार कुछ धन देती है ? यदि हां, तो प्रतिवर्ष कितना ?

श्री बनारसीदास--जी हां। गत तीन वर्षों में रांची स्थित मानसिक चिकित्सालय को निम्नलिखित धनराशि दी गई है :--

			रु०
१९५२-५३	..	..	६७,२७८
१९५३-५४	..	..	६५,३२५
१९५४-५५	..	..	७१,१५५

*४१--**श्री ब्रह्मदत्त दीक्षित**--क्या नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अपने प्रदेश के रोगियों को इससे कोई विशेष सुविधा मिलती है ? यदि हां, तो वे क्या सुविधायें हैं ?

श्री बनारसीदास--इस अस्पताल में उत्तर प्रदेश के रोगियों के लिये ३३ शय्यायें सुरक्षित हैं। इन पर भरती होने वाले रोगियों से और रोगियों की अपेक्षा कम खर्च लिया जाता है ; इसके अतिरिक्त इस अस्पताल में उपचार की भी विशेष सुविधायें हैं वैसी सुविधायें इस प्रदेश के मानसिक चिकित्सालयों में उपलब्ध नहीं।

श्री ब्रह्मदत्त दीक्षित--क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि वहां पर रोगियों के लिये कोई क्लासिफिकेशन भी है, यदि है तो उसका अलग-अलग, क्या-क्या खर्चा है ?

श्री बनारसीदास--जी हां, वहां पर क्लासिफिकेशन है जो लोग इन्डिपेन्डेन्टली जाते हैं उनका खर्चा ए क्लास का लगभग ४०० रुपया मासिक होता है। सेकेंड क्लास का ३०० रुपये और थर्ड क्लास का २०० रुपये मासिक पड़ता है। इसके अतिरिक्त कुछ और भी उनको खर्चा पड़ता है।

श्री जगन्नाथमल्ल--क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि माननीय स्वास्थ्य मंत्री कभी रांची अस्पताल तशरीफ ले गये थे ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--जी हां, मैं गया था और विरोधी दल के नेता के साथ गया था।

श्री तेजप्रताप सिंह--क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि मस्तिष्क के रोगी जो उस चिकित्सालय में जाते हैं उनको सरकार भी कुछ मदद देती है ?

श्री बनारसीदास--जो रोगी जाते हैं उनके लिये एक नियम होता है। पहले डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के द्वारा एक प्रार्थना-पत्र भेजा जाता है उसके बाद जब वह सिफारिश करते हैं तभी दाखिला होता है।

*४२--**श्री ब्रह्मदत्त दीक्षित**--[६ जून, १९५६ के लिये स्थगित किया गया।]

देवरिया जिले के कसिया तथा सलेमपुर विकास केन्द्रों के शिक्षण-शिविरों में कार्य

*४३--**श्री रामसुभग वर्मा**--क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि जिला देवरिया विकास केन्द्र कसिया तथा सलेमपुर दोनों केन्द्रों में कितने स्कूल, पुल, सड़क, वाचनालय तथा अन्य शिक्षण केन्द्र खोले गये हैं और उनमें किन-किन विषयों की शिक्षा दी जाती है ?

श्री फूल सिंह—कसिया तथा सलेमपुर विकास-केन्द्र में ११ स्कूल, ४२ वाचनालय तथा ६ शिक्षण-केन्द्र खोले गये हैं। निर्मित पुल तथा पुलियाओं की संख्या २१५ है। करीब २८ मील पक्की सड़क बनाई गई है और ४४ मील कच्ची सड़क।

उल्लेखगत ६ शिक्षण-केन्द्रों में से एक में लुहारी, एक में बढ़ईगीरी, एक में चमड़े का काम, एक में रेशम-उद्योग तथा शेष दो में सिलाई की शिक्षा दी जाती है।

*४४—**श्री रामसुभग वर्मा**—क्या सरकार को ज्ञात है कि उन शिक्षण शिविरों में कौन-कौन-सा कितना सामान तैयार होता है और उसका उपयोग किस भांति किया जा रहा है?

श्री फूल सिंह—गत वर्ष, काष्ठ-कला के शिक्षण-केन्द्र में ८,७०८ रु० ११ आ० का फर्नीचर तैयार किया गया। लुहारी की कक्षा में, जहां कृषि-सम्बन्धी औजार और पुर्जे इत्यादि तैयार होते हैं, २,०४२ रु० १ आ० की लागत का उत्पादन हुआ। सिलाई की कक्षाओं में ३,९९५ रु० १३ आ० ९ पा० के मूल्य का सामान तैयार हुआ। चमड़ा-उद्योग के शिक्षण केन्द्र पर ९२१ रु० ८ आ० की लागत की चीजें तैयार हुईं। रेशम-कला के केन्द्र पर ४४० रु० ८ आ० की लागत का देशी रेशम उत्पादित हुआ।

इन शिक्षण-केन्द्रों में उत्पादित वस्तुएं सामान्यतः बेंच दी जाती हैं। सलेमपुर केन्द्र की सिलाई-कक्षा में गत वर्ष तैयार किये गये, २८,५८२ रु० ५ आ० ९ पा० की लागत के कपड़े बाढ़-पीड़ितों में वितरित कर दिए गए।

श्री रामसुभग वर्मा—क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि यह शिक्षण केन्द्र तथा वाचनालय स्थायी तथा अस्थायी हैं, यदि हैं तो कितने दिनों के लिये हैं?

श्री फूल सिंह—जब से ब्लाक खोला गया तब से हैं और ब्लाक की अवधि तक रहेंगे।

श्री रामसुभग वर्मा—क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि पुल, पुलियाओं तथा सड़कों के बनवाने में क्या व्यय हुआ?

श्री फूल सिंह—इसकी सूचना इस समय मेरे पास नहीं है, यदि माननीय सदस्य चाहेंगे तो बाद में बता दिया जायगा।

श्री रामसुभग वर्मा—क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि जो सामान तैयार हुआ है उसको बेंचने से आय और व्यय में क्या अन्तर आता है?

श्री फूल सिंह—ट्रेनिंग-कम-प्रोडक्शन सेंटर्स में नफे का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता।

गोंडा जिले के उत्तर राप्ती भाग में द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत कार्य

*४५—**श्री बलभद्र प्रसाद शुक्ल** (जिला गोंडा) (अनुपस्थित)—क्या उद्योग मंत्री कृपया बतायेंगे कि गोंडा जिले के उत्तर राप्ती भाग में द्वितीय पंचवर्षीय योजनान्तर्गत कौन-कौन उद्योग-धंधे चलाये जाने पर सरकार विचार कर रही है, जिससे कि गरीब बेरोजगारों को रोजी कमाने का अवसर मिल सके?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--दूसरी पंचवर्षीय योजना में गोंडा जिले में विभिन्न उद्योगों को जैसे चर्मशोधन तथा चर्मकला, गुड़, खादी, औद्योगिक सहकारिता, औद्योगिक शिक्षण तथा पिछड़े एवं अविकसित क्षेत्रों में प्रशिक्षण तथा उत्पादन केन्द्रों का स्थापन इत्यादि विकास योजनाओं द्वारा उन्नत किया जायेगा। इनमें से कौन-कौन से उद्योग इस जिले के उत्तर राप्ती भाग में खोले जायेंगे इसका निर्णय जिला नियोजन समिति के परामर्श से किया जायगा।

*४६--**श्री बलभद्र प्रसाद शुक्ल** (अनुपस्थित)--क्या उद्योग मंत्री ने इस विषय पर विचार किया है कि उपर्युक्त उत्तर राप्ती भाग में भेड़ पालने और कम्बल बुनने का कारोबार बहुत दिनों से चल रहा है जिसमें सुधार करने तथा सहायता देने से, इससे संबंधित व्यक्तियों का बेकारी की समस्या हल हो सकती है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--जी हां। भेड़ों के सुधार के प्रश्न पर पशुपालन विभाग द्वारा दूसरी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत विचार किया जायगा। कुटीर तथा छोटे उद्योगों के लिये आर्थिक सहायता ऋण तथा अनुदान योजना के अन्तर्गत दी जाती है।

*४७--**श्री रामलखन मिश्र**--[१० मई, १९५६ के लिये स्थगित किये गये।]

*४८--**श्री रामहेत सिंह** (जिला मथुरा)--[१० मई, १९५६ के लिये स्थगित किये गये।]

*४९-५०--**श्री गंगाप्रसाद सिंह** (जिला बलिया)--[१० मई, १९५६ के लिये स्थगित किये गये।]

*५१-५२--**श्री यमुनासिंह** (जिला गाजीपुर)--[१० मई, १९५६ के लिये स्थगित किये गये।]

*५३-५४--**श्री बसन्तलाल**--[१० मई, १९५६ के लिये स्थगित किये गये।]

*५५--**श्री विश्रामराय** (जिला आजमगढ़)--[१० मई, १९५६ के लिये स्थगित किया गया।]

*५६-५७--**श्री रामस्वरूप गुप्त** (जिला कानपुर)--[६ जून, १९५६ के लिये स्थगित किये गये।]

*५८--**श्री विश्रामराय**--[१० मई, १९५६ के लिये स्थगित किया गया।]

*५९-६१--**श्री राधामोहन सिंह** (जिला बलिया)--[६ जून, १९५६ के लिये स्थगित किये गये।]

*६२-६३--**श्री धर्मदत्त वैद्य**--[३१ मई, १९५६ के लिये प्रश्न ११-१२ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

सुल्तानपुर जिले के गौरीगंज अस्पताल में इनडोर वार्ड बनाने का आयोजन

*६४--**श्री कल्याण चन्द मोहिले**--क्या सरकार को मालूम है कि सुल्तानपुर जिले में गौरीगंज स्थान पर सरकारी दवाखाना में इनडोर वार्ड बनाने का आयोजन सरकारी बजट में चार साल पूर्व किया गया था? यदि हां, तो वह अभी तक क्यों न बन सका?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--जी हां। उसके बनवाने में कुछ बाधाएं थीं जो अब दूर की जा रही हैं। आशा है कि शीघ्र ही निर्माण कार्य आरम्भ हो जायेगा।

नोट--लाउड स्पीकर बिगड़ जाने के कारण तारांकित प्रश्न ४६ के उपरान्त प्रश्नोत्तर-काल समाप्त हो गया।

बस्ती जिले की शुगर मिल्स का सुरक्षित गन्ना

*६५--श्री धनुषधारी पांडेय--क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि शुगर मिल्स, बस्ती, वाल्टरगंज, वभनान, मुन्डेरवा तथा खलीलाबाद को संजन सन् १९५५-५६ के लिये किन-किन बाहरी स्टेशनों से गन्ना एलाट किया गया था और कितना कितना ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--इन मिलों के लिए संजन १९५५-५६ में जो क्रय केन्द्र सुरक्षित किए गए थे उनका विवरण संलग्न तालिका में दिया हुआ है। सुरक्षित क्षेत्रों में गन्ने की कोई निश्चित मात्रा निर्धारित नहीं की जाती। इन केन्द्रों में मिलों के पेरने के लिए उपलब्ध सब गन्ना सुरक्षित किया गया था।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ५६६ पर)

*६६-६८--श्री रामदुलारे मिश्र--[६ जून, १९५६ के लिये स्थगित किये गये।]

सीतापुर जिले में गन्ना यूनियन महोली व सीतापुर द्वारा गन्ना पर्ची वितरण के संबंध में शिकायत

*६९--श्री गंगाधर शर्मा (जिला सीतापुर)--क्या सरकार को ज्ञात है कि जिला सीतापुर में गन्ना यूनियन महोली और गन्ना यूनियन सीतापुर से अनेक गन्ना उत्पादक नियमानुसार गन्ना पर्ची न पाने से परेशान हो रहे हैं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--प्राप्त सूचना के अनुसार जिला सीतापुर में गन्ना यूनियन महोली और सीतापुर से उत्पादकों को पर्ची नियमानुसार दी जाती है।

*७०--श्री गंगाधर शर्मा--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या लक्ष्मी शुगर मिल महोली केन यूनियन से गन्ना पर्ची न पाने के कोई शिकायती प्रार्थना-पत्र सरकार को प्राप्त हुये हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार बतायेगी कि उस सम्बन्ध में उसने क्या कार्यवाही की है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--जी नहीं, ऐसा कोई शिकायती पत्र नहीं आया है।

प्रश्न नहीं उठता।

*७१-७३--श्री हरगोविन्द पन्त (जिला अल्मोड़ा)--[६ जून, १९५६ के लिये स्थगित किये गये।]

*७४--श्री झारखंडे राय (जिला आजमगढ़)--[६ जून, १९५६ के लिये स्थगित किये गये।

अपरदवाब शुगर मिल, शामली के केन्द्र एलम का सेस

*७५--श्री श्रीचन्द्र--क्या सरकार बतायेगी कि १९५६-५७ में अपरदवाब शुगर मिल शामली के केन्द्र एलम के सेस से क्या-क्या निर्माण कार्य (सड़क इत्यादि) किये जायंगे ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--सेस का रुपया फैक्ट्रियों के निर्माण कार्य के लिए कहीं अलग नहीं रक्खा जाता बल्कि सरकार के (general revenues) में ही जमा हो जाता है। जिसमें से आवश्यकतानुसार निर्माण तथा विकास कार्य पर खर्च होता है ? इस कारण सेस के रुपये से अलग से कोई विशेष निर्माण कार्य करने का प्रश्न नहीं उठता।

आगरे में यमुना मार्ग का विकास करने के लिये सर्वे

*७६--श्री देवकीनन्दन विभव (जिला आगरा)--क्या नियोजन मंत्री बतायेंगे कि क्या ताज और घाटों के समीप यमुना को लाने और यमुना मार्ग का विकास करने के सम्बन्ध में सरकार ने इस सदन में जो सर्वे कराने की बात कही थी उस सम्बन्ध में अब तक क्या हुआ ? यदि अभी तक इसका कोई सर्वे नहीं हुआ, तो क्या अब उसे कराने का निश्चय सरकार करेगी ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--सर्वे कराने का प्रबन्ध सरकार कर रही है किन्तु इससे पहले चीफ इन्जीनियर से आवश्यक सूचना मांगी गई है और उसकी प्रतीक्षा की जा रही है।

शुगर मिलों में दुअन्नी कटौती का धन

*७७--श्री रामसुभग वर्मा--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रान्त के किन-किन मिलों में गन्ने का कितना दुअन्नी पैसे की कटौती की गई थी ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--सत्रजन १९४८-४९ में गन्ने के मूल्य से इस राज्य की सभी चीनी मिलों तथा उत्तर प्रदेश से गन्ना लेने वाली बिहार राज्य की तीन चीनी मिलों और पूर्वी पंजाब की एक चीनी मिल को गन्ना देने वाले किसानों को दो आना प्रति मन ऊंचत के रूप में काटकर उत्तर प्रदेश सहकारी बैंक में कुल १,८२,३५,३८६ रु० ११ आने ३ पाई जमा किया गया था। इसका विवरण संलग्न तालिका में दिया हुआ है।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ५६७-५६८ पर)

*७८--श्री रामसुभग वर्मा--क्या सरकार को ज्ञात है कि किसानों का वह पैसा अब तक कितना वापस किया गया है और कितना बाकी है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--प्राप्त सूचना के अनुसार कटौती की उपर्युक्त रकम से किसानों ने ९०,२०,२४८ रु० २ पाई भूमिधरी अधिकार प्राप्त करने के लिए जमींदारी उन्मूलन कोष में जमा कराए और ८१,८८,०५६ रु० ८ आने ९ पाई किसानों को नकद वापस किया जा चुका है। केवल १०,२७,०८२ रु० २ आना ४ पाई वापस होना शेष बताया गया है।

*७९--श्री रामसुभग वर्मा--सरकार उस पैसे का सूद किस हिसाब से देती है और बाकी पैसे को सरकार कब तक वापस कर देगी ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--(क) यह रुपया सरकार के पास नहीं बल्कि यू० पी० सहकारी बैंक के पास है। उक्त बैंक सरकारी विज्ञप्ति संख्या ३,३२१ एस/१८·१८८/१९४८, दिनांक १९ जनवरी, १९४९ में दिए गए आदेश के अनुसार सूद देता रहा है। इस विज्ञप्ति की एक प्रतिलिपि संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ङ' पृष्ठ ५६९-५७० पर)

(ख) शेष रुपयों को काश्तकार किसी भी समय अपने क्षेत्र की गन्ना सहकारी समिति में जाकर ले सकते हैं। यह रुपया अधिकतर इसी कारण रुकाया पड़ा है कि सम्बन्धित काश्तकार उसे वापस लेने नहीं आए।

चुर्क सीमेंट फैक्टरी में काम करने वाले मजदूरों के क्वार्टरों का निर्माण

*८०--श्री जोरावर वर्मा--क्या सरकार प्रश्न संख्या १५, दिनांक २९-२-५६ के संबंध में बतायेगी कि ये क्वार्टर्स किस कैटेगरी के बने और उनके निर्माण में कुल कितना व्यय हुआ ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--प्रश्न संख्या १५ दिनांक २९ फरवरी, १९५६ में चुर्क फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूरों के लिये बनाये गये क्वार्टर्स की संख्या पूछी गई थी। श्रमिकों के लिये जे० तथा के० टाइप के (दो तथा एक कमरे वाले) ३०८ क्वार्टर्स बने हैं जिनके निर्माण में कुल १७,८४,५८५ रुपये व्यय हुये।

*८१—**श्री जोरावर वर्मा**—क्या सरकार बतायेगी कि इन क्वार्टर्स में से प्रत्येक की लागत और किराया क्या है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—फैक्ट्री तथा खदान पर प्रत्येक "जे" टाइप (२ कमरे वाला) क्वार्टर्स की अनुमानित लागत ७,५२७ रुपये और ६,४०८ रुपये ८ आने हैं। "के" टाइप (१ कमरे वाला) क्वार्टर की अनुमानित लागत क्रमशः ४,२३६ रुपये और ५,१२६ रुपये ८ आने हैं। किराये का विषय अभी विचाराधीन है।

चुर्क सीमेंट फैक्टरी के स्थायी तथा अस्थायी कर्मचारी

*८२—**श्री जोरावर वर्मा**—क्या सरकार बतायेगी कि चुर्क सीमेंट फैक्ट्री में कुल कितने कर्मचारी कार्य कर रहे हैं और उनमें कितने स्थायी और अस्थायी हैं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—फैक्ट्री में कुल कर्मचारियों की संख्या ६५१ है। इसके अतिरिक्त खदान में ३१ मार्च, १९५६ को ६४५ मजदूर काम कर रहे थे। फैक्ट्री खास में ४५६ पद नियमित (regular) हैं और शेष २७२ अस्थायी (casual)।

अतारांकित प्रश्न

मिर्जापुर जिले में राशनिंग विभाग से हटाये गये कर्मचारी

१—**श्री रामकृष्ण जैसवार** (जिला मिर्जापुर)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला मिर्जापुर में राशनिंग समाप्ति के बाद विभाग से भिन्न-भिन्न प्रकार के कितने कर्मचारी अलग किये गये ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जिला मिर्जापुर में राशनिंग समाप्ति के बाद विभाग से निम्नलिखित भिन्न-भिन्न प्रकार के कर्मचारी अलग किये गये :—

१—चीफ फूड ग्रेन्स इन्सपेक्टर	.. ..	१
२—सीनियर इन्सपेक्टर	.. ..	१२
३—सप्लाई इन्सपेक्टर	.. ..	१
४—इन्क्वायरी इन्सपेक्टर	.. ..	१०
५—फूड ग्रेन्स इन्सपेक्टर	.. ..	३
६—असिस्टेंट फूडग्रेन्स इन्सपेक्टर	.. ..	१
७—हेड क्लर्क	.. ..	४
८—क्लर्क	.. ..	२८
९—एकाउन्टेंट क्लर्क	.. ..	१
१०—सीनियर एकाउन्ट्स कलर्क	.. ..	१
११—जूनियर एकाउन्ट्स क्लर्क	.. ..	२
१२—गोडाउन कीपर	..	६
१३—पोद्दार	.. ..	१
१४—कैशियर	.. ..	१
१५—चपरासी	.. ..	४
१६—मैसेंजर	.. ..	८
१७—दफ्तरी	.. ..	१
१८—आर्डली	.. ..	४
१९—चौकीदार	.. ..	२४
२०—इन्क्वायरी मोहर्रिर	.. ..	१
२१—वेमैन	.. ..	१

२२--ट्रेजरर	..	..	१
२३--मेहतर	..	..	१
२४--ड्राइवर	..	..	२
२५--क्लीनर	..	..	१
२६--टैलीमैन	..	..	१
२७--कामदार	..	..	२

२--**श्री मथुरा प्रसाद पांडेय** (जिला बस्ती)--[१७ मई, १९५६ के लिये प्रश्न ४ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

३-४--**श्री मथुरा प्रसाद पांडेय** [६ जून, १९५६ के लिये स्थगित किये गये।]

व्यायाम संस्थाओं को सहायता

५--**श्री कल्याणचन्द मोहिले**--क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि प्रदेश में कौन-कौन व्यायाम संस्थाओं को वह अस्थायी सहायता देती है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--प्रांतीय रक्षक-दल हेडक्वार्टर द्वारा निम्नलिखित व्यायाम-शालाओं को अस्थायी सहायता दी गयी है:--

(१) काशी व्यायामशाला, बनारस
(२) आदर्श व्यायामशाला, कानपुर
(३) महिला व्यायामशाला, कानपुर
(४) श्री लक्ष्मी व्यायाम मंदिर, झांसी

६--**श्री पुत्तूलाल** (जिला आगरा)--[६ जून, १९५६ के लिये स्थगित किया गया।]

७-९--**श्री रामसुभग वर्मा**--[६ जून, १९५६ के लिये स्थगित किये गये।]

१०--**श्री रामसुन्दर पांडेय**--[६ जून, १९५६ के लिये स्थगित किया गया।]

सहसवान, जिला बदायूं में जनाने अस्पताल की इमारत अलग न होना

११--**श्री मुश्ताक अली खां** (जिला बदायूं)--क्या सरकार को मालूम है कि सहसवान, जिला बदायूं में जनाने अस्पताल की इमारत नहीं है ? क्या सरकार जनाने अस्पताल की इमारत बनाने की मेहरबानी करेगी ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--सहसवान में मर्दाना व जनाना दोनों अस्पताल एक ही भवन में है। सरकार डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को कुछ ग्रांट देने का विचार कर रही है ताकि वह जनाने अस्पताल के लिये अलग आउट डोर बनवा दे और कुछ भाग दीवारें खींच कर जनाने अस्पताल को अलग कर दें।

१२--**श्री मुश्ताकअली खां**--[६ जून, १९५६ के लिये स्थगित किया गया।]

लाउड स्पीकर बिगड़ जाने के कारण प्रश्नोत्तर का स्थगन

श्री अध्यक्ष--मैं समझता हूं कि माइक्रोफोन के गड़बड़ होने के कारण प्रश्नोत्तर ठीक सुनाई नहीं दे रहा है। १५ मिनट बाकी रह गये हैं। मैंने अभी दरियाफ्त किया कि अगर १० मिनट का समय दे दिया जाय तो उसका ठीक करना संभव हो सकेगा अथवा नहीं लेकिन मुझे बताया गया कि उसमें आध घंटे से ऊपर का समय लग जायगा। ऐसी स्थिति में वे इस बात का इन्तजाम कर सकते हैं कि जो भाषण देने वाले खड़े हों उनके सामने का माइक ठीक हो जाय और वे भाषण देते रहें ? क्योंकि प्रश्नोत्तर में बड़ी असुविधा हो रही है, इसलिये मैं समझता हूं कि प्रश्नोत्तर के बाकी समय में दूसरी कार्यवाही आरम्भ कर दी जाय।

श्री रामसुभग वर्मा (जिला देवरिया)—आज के बाकी प्रश्न कल ले लिये जायं।

श्री अध्यक्ष—कल ६४ प्रश्न हैं। ३०–४० और बढ़ जायेंगे। इस प्रकार करीब १०० के हो जायेंगे जो कल पूरे न हो पायेंगे।

श्री जगन्नाथ मल्ल (जिला देवरिया)—तो अध्यक्ष महोदय, लंच के बाद ले लिये जायें।

श्री अध्यक्ष—यह तरीका ठीक नहीं होगा। अब केवल १० मिनट बाकी हैं और ५–६ प्रश्नों का ही सवाल है। इसलिये मैं यह कह रहा था कि अब यह समझ लिया जाय कि प्रश्नों का समय समाप्त हो गया। (कुछ रुक कर) मैं यह कर सकता हूं कि प्रश्न संख्या ४७ से ६० तक १४ सवाल कल ले लिये जायें, बाकी के लिये यह समझा जाय कि प्रश्नों का समय समाप्त हो गया। मैं समझता हूं कि इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी।

(किसी ने कोई आपत्ति नहीं की)

अब आगे की कार्यवाही शुरू होगी।

कार्य परामर्शदात्री समिति द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के सम्बन्ध में प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष—मैं सदन को एक सूचना देना चाहता हूं। वह इस प्रकार है:—

"उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्य परामर्शदात्री समिति ने ८ मई, १९५६ को सायंकाल की बैठक में यह निश्चय किया कि निम्नलिखित विधेयकों पर विचार करने तथा उन्हें पारित करने के प्रस्तावों के लिये उनके सामने दिया हुआ समय निर्धारित किया जाय—

(१) उत्तर प्रदेश हिन्दी साहित्य सम्मेलन विधेयक, १९५६ के लिये ४ घंटे तथा
(२) उत्तर प्रदेश भांडार अधिग्रहण (अधिकारों को बनाये रखने का) (संशोधन) विधेयक, १९५६ के लिये २ घंटे।

श्री ब्रजभूषण मिश्र (जिला मिर्जापुर)—माननीय अध्यक्ष महोदय मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन उत्तर प्रदेश हिन्दी साहित्य सम्मेलन विधेयक, १९५६ तथा उत्तर प्रदेश भांडार अधिग्रहण (अधिकारों को बनाये रखने का) (संशोधन) विधेयक, १९५६ पर विचार करने तथा उनको पारित करने के लिये कार्यपरामर्शदात्री समिति द्वारा प्रस्तावित समय निर्धारण से सहमत है।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि यह सदन उत्तर प्रदेश हिन्दी साहित्य सम्मेलन विधेयक, १९५६ तथा उत्तर प्रदेश भांडार अधिग्रहण (अधिकारों को बनाये रखने का) (संशोधन) विधेयक, १९५६ पर विचार तथा पारित करने के लिये कार्यपरामर्शदात्री समिति द्वारा प्रस्तावित समय निर्धारण से सहमत है;

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

गया प्रसाद लाइफ सेविंग फंड ट्रस्ट, कानपुर के लिए निर्वाचित सदस्य के नाम की घोषणा

श्री अध्यक्ष—एक दूसरी सूचना यह है कि गयाप्रसाद लाइफ सेविंग फंड ट्रस्ट, कानपुर के लिये एक सदस्य के निर्वाचन के संबंध में २ नामनिर्देशन-पत्र प्राप्त हुये थे, जिसमें से श्री बलवन्त सिंह ने निर्धारित समय, ८ मई, १९५६ के सायंकाल ५ बजे के भीतर अपना नाम वापस ले लिया है। अतः अब श्री ब्रज बिहारी महरोत्रा को उक्त समिति का सदस्य विधिवत् निर्वाचित घोषित किया जाता है।

१४ मई से पुनः बैठक करने तथा बैठक के समय के विषय में पूछ-ताछ

श्री जगन्नाथ मल्ल (जिला देवरिया)---अध्यक्ष महोदय, कल परामर्शदात्री समिति मे यह सिफारिश की थी कि सदन १० के बाद १४ से बैठे, तो मैं जानना चाहता हूं कि इसके बारे में सरकार ने क्या सोचा ?

श्री अध्यक्ष---१० के बाद ३ दिन की छुट्टी हो कर १४ से फिर सदन बैठे ऐसा सुझाव दिया गया था। सरकार की ओर से माननीय मुख्य मंत्री जी बतायें कि इस विषय में क्या फैसला हुआ।

मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)---हमको यह सलाह सर्वथा स्वीकार है ।

श्री अध्यक्ष---दूसरा प्रश्न एक यह भी है कि एक सुझाव वहां श्री केशव पांडेय ने दिया था कि सदन सुबह बैठा करे यानी उसका समय ८ बजे से १ बजे तक बगैर ब्रेक के हो, ऐसा सुझाव दिया था, तो इस संबंध में भी मैं राय जानना चाहूंगा कि १० के बाद जब १४ से सदन बैठे तो उसका क्या समय रहे।

श्री जगन्नाथ मल्ल---इस पर विचार कर के दूसरे रोज हम बता सकेंगे।

श्री अध्यक्ष---तो यह कल तक निश्चित हो जाना चाहिये। मैं समझता हूं इस पर श्री जगन्नाथ मल्ल जी माननीय मुख्य मंत्री जी को अपनी राय बता दें और उसके बाद वह कल तक तय कर दें कि क्या समय रहे।

*वित्त विभाग की कतिपय विज्ञप्तियां

वित्त मंत्री के सभा सचिव (श्री धर्म सिंह)---अध्यक्ष महोदय, आप की आज्ञा से मैं वित्त (ए० और एस० टी०) विभाग की विज्ञप्ति संख्या एस० टी० ९०५/१०, एस० टी० ९०६/१०, एस० टी० ९०७/१०, एस० टी० ९०८/१०, एस० टी० ९०९/१०, एस० टी० ९१०/१०, एस० टी० ९११/१० और एस० टी० ९१२/१०, दिनांक ३१मार्च, १९५६, सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष---यह २ अप्रैल को सदन की मेज पर रख दिया गया था।

श्री गेंदा सिंह (जिला देवरिया)---अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि जब यह विज्ञप्ति २ अप्रैल को रख दी गई थी तो उसी दिन सदन में वह क्यों नहीं घोषित की गई। आज तो वह विज्ञप्ति किसी के सामने नहीं है और न उसके विषय में याददाश्त ही काम कर रही है।

श्री अध्यक्ष---यदि वह किसी माननीय सदस्य के पास घर पर भी न मिले तो मैं उनके पास पहुंचवा दूंगा। वह उस दिन पेश हो गई थी लेकिन वह यह कहना भूल गये थे कि वह आज सदन की मेज पर रखी जा रही है।

श्री गेंदा सिंह---अगर वह यह कहना भूल गये तो हम भी उसको संभालना भूल गये।

श्री अध्यक्ष---आपको उस पर आज विचार करना नहीं है। इसलिये जिस किसी के पास वह मौजूद न हो और वह चाहे कि विज्ञप्ति मिले तो मैं उनके पास भिजवा दूंगा।

---

* छापी नहीं गयीं ।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)---क्या यह वही नोटिफिकेशन है कि जो आर्डिनेंस के शिड्यूल में छपी थी।

श्री अध्यक्ष---यह जरा मंत्री जी बता दें।

वित्त मन्त्री (श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम)---उसके साथ के ही हैं।

***उत्तर प्रदेश बिक्री कर (संशोधन) विधेयक, १९५६ (क्रमागत)**

श्री अध्यक्ष---माननीय वित्त मंत्री के प्रस्ताव पर कि उत्तर प्रदेश बिक्री कर (संशोधन) विधेयक, १९५६, पर विचार किया जाय विवाद जारी होगा। माननीय पालीवाल जी कल अपना भाषण दे रहे थे वे उसे जारी रक्खेंगे।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)---माननीय अध्यक्ष महोदय, कल जिन संशोधनों की घोषणा की गई उनके सम्बन्ध में मैं जनता को और जेल यात्रियों को उनकी कामयाबी के लिये और सरकार को जनता की भावना का आदर करने के लिये बधाई दे चुका हूं। लेकिन उन संशोधनों से विधेयक में जो बुनियादी खराबियां, सैद्धान्तिक और व्यावहारिक आधारभूत बुराइयां थीं उनमें कोई कमी नहीं हुई। जिस अध्यादेश के स्थान पर यह विधेयक पेश किया गया है वह अध्यादेश तो इतना बुरा है कि मैं उसको अत्यन्त आततायी अध्यादेश समझता हूं लेकिन आमतौर पर अध्यादेशों के जरिये से टैक्स लगाने को कई दृष्टियों से मैं आपत्तिजनक समझता हूं।

पहली आपत्ति तो यह है कि अध्यादेश टैक्स लगाये जाने के बाद जब आप उसके स्थान पर विधेयक लाते हैं तो इस सदन के सामने केवल रस्म अदायगी के लिये, उसकी मंजूरी की मोहर लगाने के लिये लाते हैं और सम्मानित सदन से यह आशा की जाती है कि वह उस पर अपनी मंजूरी की मोहर लगावे। मेरा निवेदन है कि यह सदन का अपमान है। इसलिये उसके सम्बन्ध में पहली आपत्ति यह है।

मेरी दूसरी आपत्ति यह है कि ऐसे विधेयक पर सदन को विचार करने के लिये समुचित समय भी नहीं मिलता। कठिनाइयां आती हैं। कल ही माननीय वित्त मंत्री महोदय ने कहा कि अभी तो यह विधेयक कौंसिल में जाना है। उसके बाद इसको राष्ट्रपति की कंसेंट मिलनी है। इसलिये इसे जल्दी ही पास करना है। ऐसी अवस्था में न तो इस पर जनमत की प्रक्रिया जानी जा सकती है और न लोकमत का पता लग सकता है और न प्रवर समिति को ही इतना समय मिलता है कि वह इस पर अच्छी तरह से विचार कर सके। ये दोनों आपत्तियां तो हैं ही लेकिन इन आपत्तियों के अलावा सबसे बड़ी सैद्धान्तिक आपत्ति यह है कि अध्यादेशों से टैक्स लगाना जनतंत्र की भावना और जनतंत्र का सर्वमान्य-संसार भर में सर्वमान्य आधारभूत सिद्धान्त है उसके विरुद्ध है। यह सिद्धान्त यह है कि नो टैक्सेशन विदआउट रिप्रेजेंटेशन। इस सिद्धान्त की रक्षा के लिये पार्लियामेन्टों की जननी ब्रिटिश पार्लियामेंट ने १६-१७ वीं शताब्दि के पहले उत्तरार्द्ध में एक क्रान्ति की जिसने अपने बादशाह को फांसी दे दी। इसी सिद्धान्त की रक्षा के लिये अमेरिका में स्वाधीनता संग्राम लड़ा गया—वार आफ इंडिपेंडेंस हुई। इस अध्यादेश से इस सिद्धान्त की अवहेलना की गई है। हर हालत में अध्यादेश के जरिये से टैक्स लगाना कोई मामूली बात नहीं है। असाधारण बात करने से पहले विशेष परिस्थितियां होनी चाहिये, विशिष्ट कारण होने चाहिये। वे विशिष्ट कारण क्या थे, वे विशेष परिस्थितियां क्या थीं कल उनका जिक्र माननीय वित्त मंत्री ने किया लेकिन इस बिल के उद्देश्य और कारण में जो कारण दिया गया है उससे यह पता चलता है कि खोदा पहाड़ निकली चुहिया। केवलमात्र कारण यह दिया गया है कि एक स्थानीय कर पद्धति को पूर्णरूप से प्रभावी बनाने से पूर्व यह आवश्यक है कि व्यापारियों को अनिवार्य रूप से पंजीकृत किया जाय।

---

*२७ अप्रैल, १९५६ की कार्यवाही में छपा है।

[श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल]

इस दृष्टि से राज्य में व्यापारियों के पंजीयन में कुछ समय लगेगा और साथ ही साथ राजस्व को भी कोई हानि न हो। यह आवश्यक समझा गया कि अधिनियम के वर्तमान ढांचे के अनुरूप कुछ अतिरिक्त राजस्व प्राप्त करने के उद्देश्य से यह अध्यादेश जारी किया गया।

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह कारण काफी नहीं है, माकूल नहीं है, संतोषजनक नहीं है। क्योंकि यह जो पंजीयन ....

श्री अध्यक्ष—मैं माननीय सदस्य को यह सूचना देना चाहता हूं कि आपके यहां आने के पहले एक प्रस्ताव अध्यादेश के सम्बन्ध में आया था कि उसको हम समाप्त करते हैं और सदन में अध्यादेश के जारी करने के सम्बन्ध में बहस हो चुकी है। सदन में प्रस्ताव हो चुका है, आप इस पर बोल सकते हैं लेकिन संक्षेप हो में रखियेगा। अध्यादेश के सिद्धांतों पर ही अधिक बहस न हो।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे अध्यादेश के सम्बन्ध में जो आपत्तियां थीं उन आपत्तियों को मैं प्रायः समाप्त कर चुका हूं। केवल उसके कारण पर, जो इसमें दिया गया है, उस पर अपने विचार प्रकट कर रहा था।

श्री अध्यक्ष—वह आप कर सकते हैं।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—थोड़े में ही मैं उसको समाप्त कर दूंगा। अध्यादेश के द्वारा टैक्स लगाने की जो परम्परा कायम की गयी है यह बहुत बुरी और गलत परम्परा है। इस परम्परा के लिए मानव प्रगति का इतिहास सरकार को कभी क्षमा नहीं करेगा। उद्देश्य क्या थे ? जिसके लिए यह अध्यादेश जारी किया गया। उद्देश्य बताया गया है कुछ अतिरिक्त राजस्व प्राप्त करने के लिए, केवल इतना उद्देश्य है। लेकिन, कुछ अतिरिक्त राजस्व स्वयं इतना मूल्यवान नहीं होता, उतना लाभ उससे नहीं होता, जितनी हानि स्थायी मूल्यों की, सिद्धान्तों की, आदर्शों की हत्या करने से होती है। इसलिए केवल कुछ अतिरिक्त राजस्व प्राप्त करने के लिए ऐसा करना किसी तरह से भी उचित और आवश्यक नहीं था। इसके अलावा कुछ अतिरिक्त राजस्व आपको किस लिए चाहिए था ? उद्देश्य और कारण इस सम्बन्ध में बिलकुल मौन हैं। इनमें नहीं बताया गया है कि कुछ अतिरिक्त राजस्व किस काम के लिए चाहिए था। मैं मानता हूं, यद्यपि इसमें नहीं बताया गया है लेकिन बाहर के भाषणों में और माननीय वित्त मंत्री महोदय ने कल अपने भाषण में यह बता दिया था कि विकास के कार्यों के लिए, निर्माण के लिए द्वितीय पंचवर्षीय योजना के लिये राजस्व की आवश्यकता है। इसलिये यह कुछ अतिरिक्त राजस्व प्राप्त करना है। विकास, प्रगति, निर्माण अच्छे शब्द हैं, बहुत अच्छे शब्द हैं। कौन ऐसा है जो विकास, प्रगति और अपने राष्ट्र का नव-निर्माण नहीं चाहता और द्वितीय पंचवर्षीय योजना के ध्येय से भी सभी सहमत हैं। लेकिन शब्दों के प्रति श्रद्धा हमें उसकी असलियत को खोजने से नहीं रोक सकती। हमें देखना होगा कि विकास के नाम पर विनाश तो नहीं हो रहा है, प्रगति के नाम पर अवनति तो नहीं हो रही है, निर्माण के नाम पर विध्वंस तो नहीं हो रहा है, तब तक इन शब्दों के नाम पर कुछ अतिरिक्त राजस्व देने की सम्मति हम नहीं दे सकते। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के सम्बन्ध में मैंने निवेदन किया कि उसके ध्येय से सभी सहमत हैं। लेकिन वह योजना कैसे पूरी हो, उसके क्या साधन हों, क्या तरीके हों, इस सम्बन्ध में भारी और गहरा मतभेद है। जनता में तो उसके ऊपर अनेक आशंकाएं हैं ही, भारी संदेह है और तरह-तरह के शकूक हैं। लेकिन विशेषज्ञों में भी और कुछ कमेटी के सदस्यों में भी आपस में गहरा और मौलिक मतभेद है। नवम्बर, १९५५ से पहले नेशनल डेवलपमेंट काउन्सिल की स्टैंडिंग कमेटी की जो बैठक हुई उसकी प्रेस रिपोर्टों से पता चलता है कि उसके मेम्बरों में द्वितीय पंचवर्षीय योजना की उपयोगिता के सम्बन्ध में भारी और गहरा मतभेद था। सरकार की

ग्रोर से एक पैनेल ग्राफ एकानोमिस्ट्स मुकर्रर किया गया था। जिसके वहां के केन्द्र के वित्त मंत्री चेयरमैन थे ग्रौर डा० ग्रार० गैडगिल मेम्बर थे। प्रोफेसर शिनौय मेम्बर थे। गैडगिल साहब ने मेमोरेन्डम पेश किया लेकिन प्रोफेसर शिनौय साहब ने नोट ग्राफ़ डिसेंट दिया, उन्होंने ग्रपना मतभेद प्रकट किया। इस पैनल ग्राफ़ इकोनोमिस्ट्स में भी, द्वितीय पंचवर्षीय योजना के बारे में मतभेद था जो मेमोरेन्डम दिया गया उसमें भी इतने इफ़ ऐंड बट्स थे किन्तु परन्तु ग्रगर मगर थे कि उसका ऐप्रूवल बेमाने था, कोई ग्रर्थ नहीं रखता था ग्रौर उस मेमोरेन्डम में जो कुछ कहा गया वह मैं सदन के सामने पढ़ कर सुना देना चाहता हूं :

"What we would emphasise in conclusion is that unless these policy implications are duly considered and rapid and effective steps taken thereon chances of successful implementation of either the size or structure of the proposed plan will be seriously jeopardised. Size of effort involved should not be beyond the capacity of the country. Behind the targets proposed are initially unjust assumptions regarding capacity of country and Government to put through the proposed programmes."

यह उस मेमोरेन्डम की राय है कि जो महत्वाकांक्षी योजनायें बनाई गई हैं वह देश की सामर्थ्य ग्रौर सरकार की सामर्थ्य से ग्रधिक हैं। यह मेमोरेन्डम की बात हुई ग्रौर इसके बाद ग्रभी हाल की प्रेस रिपोर्ट यह है कि जो प्लानिंग कमीशन के सदस्य हैं उनमें भी ग्रापस में मतभेद है। प्लानिंग कमीशन के उपसभापति, इंडस्ट्रीज मिनिस्टर श्री टी० कृष्णमाचारी की यह राय है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना वास्तविकता से दूर है। उसके एक सदस्य प्रोफ़ेसर नियोगी की राय है कि ४,८०० करोड़ का जो प्लान है यह ग्रव्यावहारिक है ग्रौर इसके नाम पर मध्यम वर्ग के ऊपर ग्रौर गरीब जनता के ऊपर टैक्स का जो भार लगाया जायगा उससे जो हानि होगी वह इस प्लान के पूरे होने से भी पूरी होने वाली नहीं है। यह ग्रापके कमीशन के सदस्यों की राय है इस द्वितीय पंचवर्षीय योजना के बारे में।

इसके बाद हमारे देश में संत विनोबा की भी राय है, जो मासिक सर्वोदय में ग्रौर हरिजन सेवक साप्ताहिक पत्र में प्रकट होती रहती है। उनकी निश्चित सम्मति है ग्रौर हर पुराने गांधीवादी की राय है कि यह जो पहली ग्रौर द्वितीय पंचवर्षीय योजनायें हैं, गांधीवाद के प्रतिकूल हैं ग्रौर विकास की ग्रोर ले जाने के बजाय विनाश की ग्रोर ले जा रही हैं। जैसा मैंने पहले कहा था हम केवल शब्दों के जाल से मानने वाले नहीं हैं कि चूंकि देश का विकास होगा इसलिए हमको ग्रतिरिक्त राजस्व की ग्रावश्यकता है। इसके पहले हमें सोचना होगा कि इस तरह से देश का लाभ हो भी सकता है या नहीं उसके लिये हम इतना टैक्स लगायें, जनता के ऊपर नया बोझ डालें या नहीं। पहली पंचवर्षीय योजना का ग्रनुभव हमारे सामने है। संत विनोबा ने शुरू में ही इसके बारे में कह दिया था कि यह बेकार है चूंकि इसमें बेकारी को दूर करने की कोई व्यवस्था नहीं रखी गई है। उनके ऐसा कह देने पर भी यह बात नहीं मानी गई। जुलाई सन् १९५३ में जब ग्रागरा में ग्राल इंडिया कांग्रेस कमेटी की बैठक हुई, पंडित नेहरू ने यह कहा कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में बेकारी को दूर करने का कोई प्रबन्ध नहीं है। इसलिए उसका विशेष प्रबन्ध किया जायगा ग्रौर प्रथम पंचवर्षीय योजना के बाद परिणाम यह हुग्रा कि केन्द्र के वित्त मंत्री श्री देशमुख यह कहते हैं कि उस पंचवर्षीय योजना के बाद देश में बेकारी ५० प्रतिशत बढ़ी, पहले से ड्योढ़ी हो गई है घटने के बजाय लेकिन दलील के लिए थोड़ी देर के लिये हम यह मान लें कि योजना सही है, इससे देश का लाभ होगा, विकास होगा, नवनिर्माण होगा, जीवन स्तर बढ़ेगा, राष्ट्रीय ग्राय में वृद्धि होगी, इन सब बातों को हम मान लें ग्रौर दलील के लिए यह तो मानी हुई बात है कि सरकार को टैक्स लगाने का ग्रधिकार तो होता ही है, जिस सरकार को टैक्स लगाने का ग्रधिकार न हो वह सरकार किस बात की ? लेकिन यह सिद्धान्त भी संसार भर में सब जगह माना जाता है कि कानूनी ग्रधिकार नैतिक मूल्यों से सीमित होते हैं। ग्रधिकारों के सम्बन्ध में यह सिद्धान्त भी होता है कि किन परिस्थितियों में उनका प्रयोग किया जाय,

[श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल]

उनका दुरुपयोग तो नहीं हो रहा है और कर लगाने के अधिकार का प्रयोग करने से पहले हर सरकार को हजार मर्तबे यह सोचना चाहिए कि बिना कर लगाये काम चल सकता है कि नहीं चल सकता। जब तक सरकार जनता को, सदन को यह विश्वास न दिला दे कि बिना कर लगाये काम नहीं चल सकता तब तक उसे कर लगाने का समुचित अधिकार नहीं है। यह बात जिस टैक्सेशन इन्क्वायरी कमीशन की दुहाई कल माननीय वित्त मंत्री जी ने दी और इस उद्देश्य और कारण में भी जिसका उल्लेख किया गया है, उसकी राय में सदन के सामने माननीय अध्यक्ष जी, आपकी आज्ञा से रखता हूं वह कहता है—

"It appears desirable at the outset of an enquiry comprising among other things investigation of possibilities of fresh additional sources of revenue to undermine the need of ensuring the most effective utilisation of existing tax resources for promoting community welfare and development before new and higher burdens are imposed upon the community."

यह टैक्सेशन इन्क्वायरी कमीशन की राय है कि जब तक अच्छी तरह से यह न देख लिया जाय कि मौजूदा टैक्सेज और रिसोर्सेज से काम चल सकता है या नहीं चल सकता तब तक यह नये टैक्स नहीं लगाये जाने चाहिये। उसी टैक्सेशन इन्क्वायरी कमीशन की राय है जिसके नाम पर ये टैक्स लगाये जा रहे हैं और जिनकी दुहाई दी गई है। मुझे खुशी है यह कहने में कि अपने बजट भाषण में ५५–५६ के बजट भाषण में माननीय वित्त मंत्री ने भी यह बात मानी है, पृष्ठ ३७ पर उन्होंने यह कहा है कि जब कोई और आल्टरनेटिव नहीं रहेगा तभी टैक्स लग सकते हैं। लेकिन उसके साथ ही साथ वह यह भी कहते हैं कि "आल मनी कैन नाट बी फाउंड बाई एफेक्टिंग इकोनामी इन एक्सपेंडीचर" तो पहली बात में तो उन्होंने सिद्धान्त को मान लिया कि अगर दूसरा आल्टरनेटिव न हो तभी टैक्स लगना चाहिए। दूसरी बात में उन्होंने अतिशयोक्ति की। यह तो हर कोई जानता है कि आल मनी कैन नाट बी फाउंड बाई एफेक्टिंग इकोनामी। लेकिन मैं माननीय वित्त मंत्री से अत्यन्त आदर के साथ पूछना चाहता हूं कि आल मनी में और साढ़े पांच करोड़ की मनी में बड़ा फर्क है, यह तो मैं भी मानता हूं कि अगर ५० करोड़ की जरूरत है तो वह नहीं मिल सकता लेकिन देखना यह था माननीय वित्त मंत्री को कि साढ़े ५ करोड़ मिल सकता है कि नहीं मिल सकता है इकोनामी एफेक्ट करने से और माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा विनम्र निवेदन है कि वह जरिये हैं जिसके जरिये से बिना टैक्स लगाये हुए साढ़े पांच करोड़ की आमदनी हम कर सकते हैं। इन जरियों को मैं तीन चार आइटम्स में, कैटेगरीज में रखूंगा। पहला है इकोनामी, कम खर्ची, मितव्ययिता। यह मितव्ययिता की बात बहुत दिनों से हो रही है, और हमारे इस प्रदेश में भी हो रही है, अंग्रेजी राज्य के जमाने में शासन में मितव्ययिता करने के लिए एक कमेटी बनी थी जिसकी रिपोर्ट सन् १९२४ में प्रकाशित हुई और सदन के पुस्तकालय में वह उपस्थित है। उस रिपोर्ट में कई सिफारिशें की गई थीं मितव्ययिता के लिए। उसके बाद हाल में २६ साल बाद सन् १९५० में एक कमेटी और बनी और उस कमेटी का नाम था यू० पी० इकोनामी इन्श्योरेंस ऐंड रिसोर्सेज कमेटी। उसके चेयरमैन थे हमारे आज के मुख्य मंत्री डा० सम्पूर्णानन्द। उस कमेटी ने कुछ सिफारिशें कीं मितव्ययिता करने के लिये। वह उसकी रिपोर्ट मेरे पास है। उसकी सब सिफारिशें करने के बाद आखिरी रिकमेंडेशन के अन्दर ६६ वें पृष्ठ में दिया हुआ है कि—

"Estimated savings and increase in renenue on the implementation of recommendations made by the U. P. Economy Insurance and Resourses Committee.

Total Recurring	..	.. 1,08,45,000
Non-recurring ..	..	.. 4,00,00,000"

दोनों मिला कर के ५,०८,४५,००० रुपया हो जाता है अकेले इस मद से जिसमें इकोनामी सुझाई गयी है।

इसके अलावा इकोनामी तो और भी बहुत सी बातों में हो सकती है पैसे की। इसको अच्छी तरह से बताने और समझाने के लिए किताबें और काफी समय चाहिये, आध घंटा और घंटा भर चाहिये। अगर वह मुझे दे दिया जाय तो मैं साबित कर सकता हूं। उदाहरण के लिए एक दो बातें कहना चाहता हूं। पी० डब्लू० डिपार्टमेंट में, उसके एकाउंट रूल्स में इंजीनियरिंग आफिसर्स को यह अधिकार दिये हुए हैं कि वह ५ परसेंट की एक्सेस दे सकते हैं जो टेंडर वगैरह दिये जाते हैं, दूसरी तरफ कांटिजेंसी है। इन दोनों में से कहीं न कहीं तो इकोनोमी हो सकती है और यदि तीन परसेंट या ढाई परसेंट की इकोनामी की जाय तो कई करोड़ रुपये की बचत हो सकती है उस सेविंग से। दूसरी बात यह भी हो सकती है कि जो ठेकेदारों को मार्जिन आफ प्राफिट्स हैं, अगर उसमें ढाई फीसदी की कमी कर दी जाय तो एक करोड़ से ज्यादा; डेढ़ करोड़ की सेविंग हो सकती है। तो मैंने संक्षेप में इशारतन यह बतलाया कि केवल इकोनामी से हमें साढ़े पांच करोड़ की बचत हो सकती है और इस विधेयक को लाने की, अध्यादेश जारी करने की और टैक्स लगाने की कोई जरूरत नहीं थी।

दूसरी मद—जिसके जरिये से रुपया मिल सकता है, बचाया जा सकता है वह "अवायडेंस आफ वेस्ट इन पब्लिक एक्सट्रावेगेंस"। यह बात भी एक ऐसी बात है जिससे कोई इनकार नहीं कर सकता और इस सम्बन्ध में तो एक अजीब बात हुई है कि हमारे सामने लेखा-जोखा कमेटी की रिपोर्ट सन् ५४ की मौजूद है। वह लाइब्रेरी में मिल नहीं रही है लेकिन उसको पढ़ कर उसके आंकड़े मैंने नोट कर लिये थे। उसके पहले अध्याय में पृष्ठ १ से ५ तक वित्तीय अनियमितताएं और जो हानियां हुई हैं उनका उल्लेख किया गया है और उसमें ११-१२ के करीब आइटम्स हैं। उनका टोटल डेढ़ करोड़ कम से कम होता है जो कि विविध अनिष्टताओं से हुई हैं। तो इस पब्लिक वैस्ट और एक्सट्रावैगेंस को बचाने के लिए जिसको कि खुद सरकार ने पब्लिक रिपोर्ट में स्वीकार किया है और जो न मालूम कितनी और होती हैं यह दूसरी बात है, सरकार को अवश्य कोई कदम उठाना चाहिये था। तीसरी मद और है, वह यह है कि सरकार टैक्स वसूल करने के लिए अपने ऐडमिनिस्ट्रेशन को बेहतर बनाये जिससे कि अच्छी तरह से टैक्स वसूल किया जाय, बकाया न रहे कि एक तरफ तो पूंजीपतियों पर लाखों और करोड़ों रुपया बकाया है और दूसरी तरफ गरीबों के पेट का कौर छीनने के लिए, नमक पर भी टैक्स लगाने के लिए सरकार तैयार है। इस स्थिति से बचने के लिए पहले सरकार को अपना शासन बेहतर करना चाहिये और टैक्स इवेजन को, कर वंचन के रास्तों को बन्द करना चाहिये। करों की चोरी कितने बड़े पैमाने पर होती है, उसके सरकारी आँकड़े हमारे प्रदेश में उपलब्ध नहीं हैं, लेकिन विशेषज्ञों ने केन्द्र के बारे में यह बताया है कि कम से कम ५० करोड़ रुपये साल का टैक्स एवेजन है। जिसमें से तीस करोड़ तो अकेले इन्कम टैक्स का है और बीस करोड़ बाकी टैक्सेज का है, यह तो कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है लेकिन आज से चार पांच दिन पहले मैंने एक ब्रिटिश एक्सपर्ट की राय पढ़ी, अखबारों में वह निकली उनका नाम निकोलस या कुछ ऐसा है तो इंगलैण्ड के अर्थशास्त्री श्री निकोलस ने आंकड़े लगा कर बताये हैं कि भारत में टैक्सेज की चोरी की, टैक्सेज एवेजन की मात्रा बहुत अधिक है जैसा कि सरकार बताती है जैसा कि मैंने बताया कि हमारे सरकारी एक्सपर्ट्स तीस करोड़ बताते हैं। वह कहते हैं कि वह तीन सौ करोड़ यानी तीन अरब है, दस गुना ज्यादा है। तो इस बात को, इन टैक्सेज की चोरी को हम रोक दें तो उससे ही हमें यह उम्मीद है कि पांच साढ़े पांच करोड़ के करीब आमदनी हो जायगी। इसके बाद मुझे इसमें कोई संदेह

[श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल]

नहीं है कि अगर यह विभाग किसी रफी अहमद किदवई के हाथ में होता तो इससे साढ़े पांच करोड़ की आमदनी दिखा देता और इस टैक्स को लगाने की जरूरत नहीं होती। ये तीनों बातें जैसा मैंने पहले बताया इन तीनों में मिला कर आज के बजट में ९ या १० करोड़ की बचत हो सकती है और सरकार का जितना डेफिसिट इस साल के बजट में है वह सब पूरा हो सकता है, और इस टैक्स को लगाने की कतई कोई जरूरत नहीं है और इस विधेयक को लाने की कतई कोई जरूरत नहीं है। इसके अलावा मैं एक चौथा मद और पेश करता हूं। जितना आप बजट करते हैं उतना आप खर्च कहां कर पाते हैं। मैंने जो एकानामी का सुझाव दिया अगर ५ प्रतिशत या ६ प्रतिशत एकानामी आप कर लें तो साढ़े पांच करोड़ से ज्यादा की बचत हो सकती है लेकिन उसको जाने दीजिये। खर्च की हालत यह है कि अभी इसी सदन में, इसी सेशन में दो पुस्तिकायें रखी गईं। ऐप्रोप्रियेशन एकाउन्ट्स १९५२-५३ एंड दि आडिट रिपोर्ट १९५४, पार्ट टू। यह संयोग से अभी सरकार ने हम लोगों के सामने रखा और इसमें अगर माननीय वित्त मंत्री महोदय देखें तो मालूम हो जायगा कि जितना बजट किया जाता है उतना खर्च सरकार नहीं कर पाती है। उसके पृष्ठ ७ पर 'जेनरल कमेंट्स आफ दि ऐकूरेंसी आफ बजेटिंग' को देखें:—

"The budget estimates for the year provided for a total sum of Rs.1,26,33.34 lakhs for meeting the voted expenditure. The actual expenditure amounted to Rs.1,20,00,42 lakhs or Rs.5.01 per cent. of the orginal grant."

जो ओरिजिनल ग्रांट हुआ उसमें पांच प्रतिशत की सेविंग हुई। मैं इसलिये जो आपकी सेविंग हो चुकी है, जो आपके आंकड़े हैं, जो आपके डाकूमेंट्स में ही दर्ज है अगर चार पांच प्रतिशत सेविंग प्रोवाइड कर लें तो आपको टैक्स लगाने की जरूरत नहीं है। आपकी जो यह रिपोर्ट है, जो इस सदन के सामने रखी गई है उससे यह साबित होता है। आगे इसमें यह कहा गया है :—

"Even while there was this saving in the original provision, supplementary grants totalling Rs.3,12.61 lakhs were obtained during the year increasing the final saving to Rs.9,45.53 lakhs which was 7.3 percent of the total grant."

यानी यह सेविंग होते हुये भी सप्लीमेंटरी ग्रांट के लिये बजट पेश किया जाता है उसी तरह से यह नीति है। आडिटर और जेनरल कम्पट्रोलर का यह कहना है कि यह सेविंग्ज होते हुए भी सप्लीमेंटरी ग्रान्ट्स पेश कर दी गई थीं और उनके पेश करने की वजह से जो पांच प्रतिशत की सेविंग थी वह बढ़ कर ७·३ प्रतिशत हो गई। इतना ही नहीं अध्यक्ष महोदय, आगे पृष्ठ ८ पर तो यह लिखा हुआ है :—

"The original appropriation for meeting the charged expenditure was Rs.22,91.25 lakhs. The actual expenditure amounted to Rs.18,52.80 lakhs and there was a saving of Rs.4,38,45 lakhs or 19.1 percent of the original appropriation."

यानी करीब २० प्रतिशत के १९.६ जिसे मोटे तौर पर २० परसेंट कहा जा सकता है। जब २० परसेंट की सेविंग होती है आपके बजट की २५म में तो आपके ९५ करोड़ के बजट में २० परसेंट मान लिया जाय तो करीब १९ करोड़ के बचत होगी और उस वक्त ये साढ़े नौ करोड़ घाटे नहीं रहते हैं और कुछ और सेविंग और बचत हो जायगी। तो इस बात से यह साबित है कि ये साढ़े पांच करोड़ तो आप

विभिन्न तरीके से निकाल सकते थे। दूसरी पुस्तक है फायनेन्स एकाउन्ट्स वह भी १९५२–५३ की है और आडिट रिपोर्ट १९५२ की है। यह भी इसके साथ ही सदन की मेज पर रखी गयी थी। इसमें पृष्ठ ८ पर खासतौर से सेल्स टैक्स के बारे में यह लिखा हुआ है। जो कमी है अदर टैक्सेज ऐंड ड्यूटीज में उनमें—

"Mainly smaller receipts than anticipated from Sales Tax, Betting Tax and Entertainment Tax."

इन टैक्सों की वसूलयाबी, इनके बुरे ऐडमिनिस्ट्रेशन की वजह से काफी कम हुई। यह आपके इस फाइनेन्स एकाउन्ट्स में है। तो मैंने यह जो बात कही थी कि आप बेटर ऐडमिनिस्ट्रेशन से आमदनी बढ़ा सकते हैं वह इस बात से अच्छी तरह साबित हो गयी। इसलिये मेरा कहना यह है कि इस अध्यादेश को जारी करना गलत था। इस अध्यादेश को जारी करने के बाद जहां सरकार ने इतना महसूस किया कि उससे गलती हुई है नमक कर लगाने में और पांच चीजों से कर हटा दिया है, और दूसरी गलतियां महसूस की हैं, १० हजार के बजाय अब १२ हजार की लिमिट कर दी है, तो इन गलतियों को महसूस करने के बजाय गांधी जी के तरीके से यह मान लेती कि हम से हिमालियन ब्लन्डर हुई। जिन गांधी जी के नाम पर अब तक आप शासन कर रहे हैं, और उसे मान कर अध्यादेश वापस ले लेते तो आप जनता का अधिक आदर पाते और आपकी कीर्ति अधिक बढ़ती और आपका और प्रदेश का, दोनों का अधिक भला होता।

चौथी बात मुझे इस विधेयक के सम्बन्ध में यह कहनी है कि अगर ये सब बातें ठीक होतीं, जिस उद्देश्य के लिये यह कर लगाया गया है वह सब सही होता, कर लगाना भी बिल्कुल उचित होता तब भी सही बात यह है कि जब तक शासन मशीन अच्छी नहीं है तब तक अच्छे से अच्छा कानून भी आप बनायेंगे तो उसके भी बुरे परिणाम होंगे। संस्कृत में एक श्लोक है जिसमें यह कहा गया है कि बुरे आदमियों के सहयोग में जाकर अच्छी चीज भी बुरी हो जाती है। गंगा जी का जो जल अमृत तुल्य होता है समुद्र में मिलने के बाद वह भी खारी हो जाता है, पीने लायक नहीं रहता। इसी तरह से अच्छे से अच्छा कानून वर्तमान नौकरशाही शासन मशीन के हाथ में पड़ कर जनता का हित और कल्याण करने के बजाय जनता का अहित करता है और जिसे आयरनिकल माने में लोग कहते हैं कि फलाने का कल्याण हो गया, वैसे जनता का कल्याण वह कर देता है। वास्तव में वह जनता के ऊपर जुल्म करने का, उसका शोषण करने का एक बहुत अच्छा साधन बन जाता है। उदाहरण इसी बिल का ले लीजिये। पहले अध्यादेश में दस हजार की लिमिट थी। यह लिमिट २७ रुपये २ आने रोज की बिक्री से पूरी हो जाती है और १२ हजार की लिमिट ३३ रुपये ५ आने ३ पाई की बिक्री से करीब करीब पूरी हो जाती है। तो दस हजार मान लीजिये, चाहे १२ हजार मान लीजिये। अब सेल्स टैक्स का जो इंस्पेक्टर है वह किसी बहुत मामूली व्यापारी से, २०–२५ रुपये रोज की बिक्री होती है, यह कहता है कि तुम्हारी बिक्री तो ३५ रुपये रोज की है और तुम्हें सेल्स टैक्स देना चाहिये, तो उसके पास क्या उपाय है? या तो उसे रिश्वत दे और अगर रिश्वत नहीं देना चाहता है, ईमानदारी से काम करना चाहता है तो एक मुनीम रखे हिसाब रखने के लिये। मुनीम कोई भी ६० रुपये से कम में आज कल के जमाने में आने वाला नहीं है। तो जिसकी आमदनी ४५ रुपये महीना है वह ६० रुपये का मुनीम रखे तो क्या होगा। अंग्रेजी में जिसे इंजिन आफ आप्रेशन कहते हैं वह आपका यह बिल बन जायगा या नहीं। सरकार को यह सोचना है कि उसने जो इलाज सोचा है बीमारी का वह कहीं रोग से भी तो बुरा नहीं है जिसे अंग्रेजी में कहते हैं "Remedy is worse than the disease"

[श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल]

मुझे यह कहने के लिये माननीय अध्यक्ष महोदय क्षमा करेंगे कि मैं इस विधेयक के बारे में यह समझता हूं कि "That the remedy is much worse than the disease" यह मर्ज के साथ-साथ मरीज का भी खात्मा कर देता है। यह उस मुर्गी का पेट फोड़ देता है जो सोने का अंडा देती है लालच में आ करके। और उसके बाद न मुर्गी रहेगी, न अंडा रहेगा और न लालच पूरा होगा। उद्देश्य विफल होगा। साथ ही जिस उद्देश्य के लिये यह टैक्स लगाया जा रहा है वह उद्देश्य यह टैक्स लगाने से विफल होगा। व्यापार इन टैक्सेज की वजह से नष्ट हो जायगा तो आप कर कहां से लेंगे। आगरे का जूतों का व्यापार जिस पर वहां की आधे से ज्यादा आबादी निर्भर है, खास तौर से जाटव और मुसलमान जो ५ लाख की आबादी में से ढाई लाख के करीब हैं, उन दोनों की आज क्या हालत हो रही है? वह वहां जाकर पूछिये। आज यह सोचा जाता है कि जाटवों और मुसलमानों को साथ लिया जाय और इसके लिये कोई तरकीब सोची जाय। इधर उधर की तरकीबों की जरूरत नहीं है बल्कि आगरे के जूते के व्यापार पर सेल्स टैक्स को ढीला कर दीजिये। जो संशोधन आपने किया है कि उद्योग-पतियों के नये कारखानों से निकली हुई चीज को इस टैक्स से ऐक्जेम्प्ट करेंगे। ऐसी ही चीज जूते के कुटार उद्योग के लिये काम में लाइये और देखिये कि आगरे के मुसलमान और जाटव आपके साथ होते हैं या नहीं। सही तरीकों से लोगों को साथ लीजिये। वह तरीके अख्तियार न कीजिये जो ब्रिटिश गवर्नमेंट करती थी। उनकी भलाई करने के बजाय गलत तरीके से उनको साथ लेने की आपकी कोशिश कामयाब नहीं होगी। जब सही तरीके मौजूद हैं तो आप गलत तरीके काम में क्यों लाते हैं?

ऐसे ही कानपुर के कपड़े के व्यापारियों से पूछिये कि उनकी क्या हालत होने वाली है। उनके लिये आप क्या बात सोच रहे हैं? जो कानपुर यू० पी० बिहार और राजस्थान आदि अन्य प्रदेशों की कपड़े की मंडी थी, केन्द्र था आज उसका व्यापार दूसरी जगह जा रहा है सेल्स टैक्स की वजह से और वहां की कपड़े की मंडी काफी खराब होती चली जा रही है और वहां के व्यापार को काफी धक्का लगता जा रहा है। मैं यह केवल उदाहरण के लिये कह रहा हूं और मैं यह भी निवेदन करूं कि ऐसी बात नहीं है कि यह चीजें आपके सामने आई नहीं हैं। जहां तक मुझे याद है १९५१-५२ में आगरे के जूते के व्यापार के सम्बन्ध में यह बात माननीय डाक्टर सम्पूर्णानन्द जी ने जो उस समय हाफिज जी की जगह पर वित्त मंत्री थे कही थी और यह आश्वासन दिया था कि सरकार इस पर विचार करेगी और इस टैक्स को यदि हटा नहीं लेगी तो कम करेगी और बढ़े टैक्सों से जो हानि पहुंच रही है उससे इसको बचायेंगे। लेकिन आज चार साल हो गये फिर भी कुछ नहीं किया गया है। जो आश्वासन उनको दिया गया था वह लेजिस्लेटिव कौंसिल की प्रोसीडिंग्स में मौजूद होगा और वह देखा जा सकता है और पढ़ा जा सकता है।

अध्यक्ष महोदय, मैं इन कारणों से सरकार से यह प्रार्थना करता हूं कि वह इस बिल को जल्दबाजी में पास न करें और इस बिल को जनता की राय जानने के लिये भेज दें लेकिन अगर सरकार इस विधेयक को जनता की राय जानने के लिये न भेजे और बिना समुचित संशोधनों के अपनी मैजोरिटी के आधार पर पास कर ले उस मैजोरिटी से जिसे सन्त विनोबा भावे संख्यासुर कहते हैं, उसके आधार पर इस बिल को पास कर ले तो काम नहीं चलेगा। यह जनता के लिये एक चुनौती होगी और अगर ऐसा किया गया तो माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे यह कहने के लिये क्षमा कीजिये कि हमारा कर्तव्य हो जायगा कि हम शुरू से लेकर अन्त तक इसका विरोध करेंगे, सदन के भीतर

विरोध करेंगे सदन के बाहर विरोध करेंगे और समस्त वैध जनतन्त्रीय और शान्तिमय उपायों से विरोध करेंगे और यदि बड़ी दैन्यावस्था होगी तो सत्याग्रह से काम लेंगे। यदि इसमें समुचित सुधार नहीं किये जाते हैं, जनता की राय जानने के लिये यह नहीं भेजा जाता है और वापस नहीं किया जाता है तो न तो हम चैन लेंगे और न चैन लेने देंगे।

श्री पुत्तूलाल (जिला आगरा)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन) विधेयक, १९५६ को एक प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह विधेयक जो आज इस सदन के सम्मुख प्रस्तुत है उसमें मैं कुछ कमियां और कम्पलीकेशन महसूस करता हूं जिसके कारण मैं यह उचित समझता हूं कि इस विधेयक को एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय और वह उसके ऊपर पूर्ण रूपेण विचार कर लें और उसके विचार के बाद यह सदन के सामने प्रस्तुत हो। माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां तक इस विधेयक का संबंध है, मैं यह कह सकता हूं कि यह एक ऐसा विधेयक है जिसका प्रभाव शायद उत्तर प्रदेश का कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं रहता जिसके ऊपर न पड़ता हो। जहां तक सेल्स टैक्स का संबंध है, मैं यह तो विरोध नहीं करता कि यह वसूल होना नहीं चाहिये। जहां तक हमारे नियोजन का ताल्लुक है उसमें हमें रुपये की आवश्यकता है। कर तो लगाना पड़ेगा और लगेगा लेकिन बात यह है कि सेल्स टैक्स जो है उसका डाइरेक्ट प्रभाव जो चीजों के इस्तेमाल करने वाले होते हैं, उन पर पड़ता है। उसमें उस निर्धन व्यक्ति का हिस्सा भी आता है जो अपनी गाढ़ी कमाई से पैसा पैदा करता है मैं यह उचित समझता हूं कि जब हर व्यक्ति उसमें सहयोग देने के लिये तैयार है और उसको गरीब जनता से भी वसूल किया जाना है तो उसको सख्ती के साथ वसूल किया जाना चाहिये।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इस विधेयक में १२,०००) की कैद लगाई गई है कि जिस व्यापारी की १२,०००) से अधिक बिक्री होगी उसको यह कर देना पड़ेगा, १२,०००) तक का व्यापारी इससे मुक्त होगा। इस संबंध में मैं सरकार से कहना चाहूंगा कि सेल्स टैक्स एक ऐसी चीज है कि जो जनता की जेब से निकल आती है और अगर हम १२ हजार तक की एक लिमिट लगाते हैं तो उसमें व्यापारी सेल्स टैक्स वसूल कर लेते हैं और वह पैसा सरकार के पास नहीं आ पाता है। जब कि वह जनता की जेब से निकल जाता है। वह पैसा व्यापारी के पास ही रह जाता है। किसी भी हालत में ऐसा नहीं होना चाहिये कि जो टैक्स जनता से लिया जाय वह सरकार के हाथ न लगे और उसका फायदा हम न उठा पायें। यह सही है कि इस विधेयक के अन्दर खंड ११ में यह कहा गया है कि जहां पता चलेगा कि कोई व्यापारी किसी चीज के बेचने पर जनता से सेल्स टैक्स लेता है तो उसको वह खजाने में जमा करना पड़ेगा, जब से सूचना मिलेगी उसके ३० दिन के अन्दर। ऐसा इसमें प्राविजन अवश्य किया गया है लेकिन मैं यह सरकार से पूछना चाहता हूं कि क्या शत प्रतिशत मामलों में पूरा पता चल जाया करेगा? माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे तो इसमें संदेह होता है और विश्वास है कि ९० प्रतिशत व्यक्ति इस उपबंध से, जो खंड ११ में लाया गया है, बच जायंगे। अगर मैं माननीय वित्त मंत्री जी का, जैसा कि इस विधेयक में सुझाव है, उसको मान लूं कि कोई व्यापारी जिस किसी भी बिक्रय धन पर बिक्री कर वसूल करेगा उस सब बिक्री कर को सरकार किसी न किसी प्रकार से वसूल कर लेगी, तो मैं यह सोचता हूं कि इस विधेयक में खंड ३ के जरिये से १२ हजार के ऊपर प्रतिबन्ध लगाने की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती है और अगर वह वहां पर १२ हजार के प्रतिबन्ध की आवश्यकता पड़ती है तो फिर हमें पूरा विश्वास है कि जो खंड ११ में प्राविजन किया गया है उससे पूरा-पूरा सेल्स टैक्स जो एक व्यापारी वसूल करेगा जनता से, वह सरकार के हाथ नहीं लग पायेगा। इसलिये मैं तो यह चाहूंगा कि यह होना चाहिये कि इन दोनों खंडों के स्थान पर एक खंड हो जिसके अनुसार कोई भी व्यापारी हो जो व्यापार करता है और जनता से सेल्स टैक्स वसूल करता है चाहे वह रकम कुछ भी हो उससे उस बिक्री के धन पर सेल्स टैक्स वसूल

[श्री पुत्तूलाल]

कर लिया जायगा । वास्तव में ऐसे प्रतिबन्ध लगाने की आवश्यकता है कि जो कोई भी व्यापार करता है वह अपना रजिस्ट्रेशन करायेगा या अपना एकाउन्ट रखेगा और यदि वह एकाउन्ट रखने में असमर्थ रहेगा तो जितना कर सेल्स टैक्स विभाग के अधिकारी उचित समझेंगे उतना उसके ऊपर सेल्स टैक्स निर्धारित कर देंगे । ऐसे सेक्शन की आवश्यकता है तो मैं माननीय वित्त मंत्री जी के सामने यह सुझाव रखता हूं कि यह १२ हजार रुपए की व्यवस्था को मैं तो समझता हूं कि उचित नहीं मालूम होती है । उसमें संशोधन होने की आवश्यकता है ।

दूसरा सुझाव जो मैं सरकार को देना चाहता हूं वह यह है कि इस विधेयक में कहीं पर सेल्स टैक्स १ पैसा प्रति रुपया रखा गया है, कहीं पर एक आना प्रति रुपया रखा गया है और कहीं पर दो पैसे प्रति रुपया रखा गया है । तो इस प्रकार से भिन्न भिन्न सेल्स टैक्स की दर होने के कारण जनता से, चूंकि जनता अशिक्षित है और वह नहीं जानती है कि कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं जिन पर एक पैसा टैक्स है, कौन सी चीज ऐसी हैं जिन पर दो पैसा है अधिक कर वसूल किया जायगा । जहां तक शिक्षित समुदाय का सम्बन्ध है वह सारी चीजों से परिचित रहते हैं और अभी हमारे प्रदेश में अधिकांश लोग अशिक्षित हैं और देहात में रहते हैं और वह इन चीजों को नहीं जानते हैं और व्यापारी वर्ग तो सदा ही ऐसा करता है कि जहां तक होता है वह अपने ग्राहक की आंखों में धूल झोंक कर पैसा पैदा करने की कोशिश करता है और जिन चीजों के ऊपर दो पैसा सेल्स टैक्स है उसके ऊपर वह एक आना वसूल कर लेता है । तो इन करों की दर में एक यूनिफार्मिटी होनी चाहिये । चाहे वह एक पैसा रुपया हो और चाहे २ पैसा फी रुपया हो । एक सी दर होने से जनता को सुविधा होगी । ऐसा प्राविजन इस विधेयक में होना चाहिये ।

तीसरी चीज जिसकी ओर मैं सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं वह यह है कि जहां पर इस विधेयक में छूट देने का प्रश्न आया है उसमें मैं यह चाहूंगा कि कम से कम स्वतंत्र देश में स्वतंत्र नागरिक को खाने के ऊपर तो टैक्स न देना पड़े, ऐसी व्यवस्था तो अवश्य होनी चाहिये । सरकार ने स्वयं ही नमक से और कुछ दूसरी कमोडिटीज से कर हटा लिया है । मैं तो यह अनुभव करता हूं कि अगर खाद्यान्न से जिनके ऊपर सरकार ने सेल्स टैक्स लगाने की व्यवस्था की है उन पर से सेल्स टैक्स हटा ले तो हमारी निर्धन जनता को ज्यादा फायदा हो सकता है । वास्तव में गल्ले के ऊपर टैक्स लगाने से ज्यादा प्रभाव एक तो हमारे किसानों पर पड़ेगा और दूसरे उन गरीबों पर पड़ेगा जो कि सुबह से शाम तक मेहनत करके खाने तक के लिये पैसा नहीं कमा पाते । उनका ख्याल रखना कम से कम हमारी सरकार का पहला कर्त्तव्य होना चाहिये । जहां पर और कमोडिटीज से सेल्स टैक्स हटाने की बात कही गयी है वहां मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि गल्ले के ऊपर से भी सेल्स टैक्स हटाने की अगर कृपा करे तो बहुत अच्छा होगा ।

चौथा सुझाव जो मैं सरकार के सामने रखना चाहता हूं वह यह है कि वैसे तो सरकार की यह नीति है कि गृह उद्योगों को प्रोत्साहन दिया जाय और जहां तक सम्भव हो सेल्स टैक्स उन चीजों के ऊपर जो गृह उद्योग से उत्पादित की जायं न लगाया जाय। लेकिन फिर भी मैं देखता हूं कि कुछ ऐसे गृह उद्योग हैं जिनसे उत्पादित चीजों पर हर्ष लगता है । मैं माननीय वित्त मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि चाहे कोई भी गृह उद्योग हो, हर एक गृह उद्योग की उत्पादित चीजों पर उन्हें टैक्स नहीं लगाना चाहिये । उसका कारण यह है कि जितने भी छोटे मोटे धंधे हैं वह हमारे देश के कम पढ़े लिखे या अशिक्षित लोग करते हैं । वह अपना हिसाब किताब नहीं रख सकते । इस कारण से जब टैक्स लगाया जाता है अर्थात् जब सेल्स टैक्स के अधिकारी-कर निर्धारण करते हैं तो उन पर मनमाना टैक्स लगा देते हैं । इस प्रकार से गृह उद्योगों द्वारा उत्पादित चीजों के उत्पादन पर बुरा प्रभाव पड़ता है । बिक्री कर संशोधन विधेयक, १९५५ पर बोल

समय मैंने कहा था कि आगरे का मुख्य गृह उद्योग जूते का उद्योग है जिसमें करीब ४० हजार से ज्यादा हरिजन दस्तकार काम करते हैं । जो अपने कुटुम्ब सहित बैठ कर दिन और रात काम करके जूते बनाते हैं उसकी बिक्री से जो मुनाफा होता है उससे अपना जीवन निर्वाह करते हैं । माननीय अध्यक्ष महोदय, बड़ी मुश्किल से एक जोड़ी पर ४ आना से लेकर ८ आना तक उनको मुनाफा होता है लेकिन उसके ऊपर भिन्न भिन्न स्थानों पर वसूल होने के कारण बिक्री कर १०–१२ आना तक पड़ जाता है । यही कारण है कि वहां का उद्योग गिरता जा रहा है और अवनति की तरफ चलता जा रहा है । अगर सरकार ने इस ओर ध्यान नहीं दिया तो सरकार के सामने वह भी एक जटिल समस्या खड़ी हो सकती है । यही नहीं कि इसी उद्योग पर लेकिन मैं तो कहता हूं कि जितने भी गृह उद्योग धंधे हैं उन सभी के उत्पादन पर सेल्स टैक्स नहीं होना चाहिये ।

इन सुझावों के साथ मैं वित्त मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि ये ऐसी चीजें हैं जिन पर विचार की बहुत आवश्यकता है । इन शब्दों के साथ मैं सदन का अधिक समय न लेकर वित्त मंत्री जी से यह अनुरोध करूंगा कि वह इस विधेयक को एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दें और वहां सारी बातों पर विचार कर लिया जाय तथा उसके बाद यह विधेयक हमारे सामने आये ।

*श्री जोरावर वर्मा (जिला हमीरपुर)—आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश बिक्री कर (संशोधन) विधेयक, १९५६ को एक संयुक्त प्रवर समिति को निर्दिष्ट कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन २५ मई, १९५६ तक सदन के सम्मुख प्रस्तुत कर दें ।

समिति के सदस्यों की नामावली बाद में प्रस्तुत की जायगी ।

अध्यक्ष महोदय, मैंने इसलिये यह प्रस्ताव रक्खा ताकि इस बिल के ऊपर माननीय मंत्री जी और यह सरकार ठंडे दिल से सोच ले । जो अध्यादेश था वह कुछ और था और जो बिल सदन के सामने पेश हुआ वह कुछ और है और जो माननीय वित्त मंत्री जी ने यहां भाषण दिया वह कुछ और है । इसलिए मैं समझता हूं कि मेरा संशोधन ठीक स्थान पर स्टैन्ड करता है कि यदि इस विधेयक को एक संयुक्त प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय तो उसमें बहुत कुछ सुधार हो सकते हैं ।

माननीय पालीवाल जी ने जो उसमें सुधार हो सकते हैं । उनके ऊपर पूर्ण प्रकाश डाल दिया है फिर भी मुझे अपना मत प्रकट करना इस लिए आवश्यक है कि अगर सरकार उनके संशोधन को स्वीकार न करे और उसको जनमत के लिए घुमाना पसन्द न करे तो उस हालत में मेरा संशोधन एक समझौते के रूप में है, एक भिडवे है और उसको स्वीकार कर लिया जाय। जिस समय यह आर्डिनेन्स इस प्रदेश की जनता को मालूम हुआ तो जनता को ऐसा मालूम हुआ जैसे उस पर कोई बज्रपात हुआ हो और उस समय लोगों को और भी बुरा लगा जिस समय लोगों ने यह सुना कि नमक के ऊपर भी सेल्स टैक्स लगाया गया है । इस सम्बन्ध में मुझसे तो कुछ लोगों ने इस तरह से भी कहा कि महात्मा गांधी को तो नाथूराम गोडसे ने शरीर पर आघात करके हत्या की थी लेकिन इस आर्डिनेन्स ने नमक पर कर लगा कर महत्मा गांधी की आर्थिक हत्या करने में कोई कसर नहीं रक्खी है । लेकिन मुझे खुशी है कि इस सरकार ने जनता की भावनाओं और जिस बापू के नाम पर आज यह सरकार शासना रूढ़ है उसकी इच्छा का खयाल किया और जिस समय उसने यह बिल यहां पेश किया तो उसमें नमक पर से बिक्री कर हटा लिया यानी नमक को उस लिस्ट में शामिल कर दिया गया जिन पर सेल्स टैक्स नहीं लगाया गया । जहां तक इस बिल का सम्बन्ध है इसके विषय में जैसा कि मैं कह चुका हूं कि माननीय पालीवाल जी ने पूर्ण प्रकाश डाला

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री जोरावर वर्मा]

है लेकिन फिर भी आज जनता में इस से घोर निराशा और परेशानी है और जगह-जगह पर आज जनता के नाम पर जो विकास के कार्य हो रहे हैं और उनमें जिस तरह से फजूलखर्ची हो रही है उसको इस प्रदेश का एक-एक आदमी जानता। है करोड़ों रुपया नई-नई स्कीमों में और एक्सपेरीमेंट्स में खर्च हो रहा है और हम सब जानते हैं कि जब यहां अंग्रेजों का समय था तो इस प्रकार के लोगों को, जो जनता की गाढ़ी कमाई के पैसे को, जो खून और पसीने की कमाई होती थी उसके पैसे का यदि कोई अधिकारी या कोई व्यक्ति दुरुपयोग करता था तो उसको डिसमिस ही नहीं किया जाता था, बल्कि उस पर बहुत कड़ी कार्यवाही की जाती थी। लेकिन आज हम देखते हैं कि किसी भी विभाग को ले लिया जाय उसमें इस तरह से फजूल-खर्ची हो रही है कि ५ की जगह २५ रुपया होता है।

हमारे सामने हर साल आडिट रिपोर्ट आती है और उसमें आडिटर जनरल का नोट आता है, माननीय पालीवाल जी ने उसको उदाहरण देकर यहां पेश भी किया है, आज जिस विषय को भी उठा कर देखा जाय तो पता चलेगा कि किस तरह से फजूल खर्ची हर जगह हो रही है और नए-नए विभागों में किस प्रकार उन्नति के नाम पर और डेवलपमेंट के नाम पर फिजूलखर्ची हो रही है जिससे जनता निराश है क्योंकि यह काम जनता के डेवलपमेंट के नाम पर होता है लेकिन इसमें से ५० प्रतिशत रुपया भी उन कार्यों पर नहीं लगता है, चाहे वह विभागीय अध्यक्ष हों या छोटे से लेकर ऊपर तक के कर्मचारी हों, उसमें से ५० फीसदी रुपया किसी न किसी रूप में उस कार्य में से गायब हो जाता है। अब वास्तव में यह चीज कहां है, कहां यह रुपया व्यय होता है इसे कौन खा जाता है इसकी हमारी सरकार को जांच करनी चाहिये। जहां तक अध्यक्ष महोदय, टैक्सेशन की बात है कानपुर में ही पता लगा कि न जाने कितने करोड़ रुपये वहां के लोगों पर बाकी है और अभी गन्ने के उपकर के बारे में यहां पिछले कुछ दिनों पहले प्रश्न हुए थे उनसे पता लगा कि कई करोड़ रुपये सेस के बाकी हैं। इस तरह से अगर यह सेस का रुपया जो कोई वर्षों से चल रहा है अगर इसे वसूल किया जाय तो मेरी समझ में जो कमी पड़ रही है और जिसके कारण इस विधेयक को पास करने की आवश्यकता पड़ गई है, वह न पड़ती। हो सकता है कि उस टैक्स को वसूल न करने के कुछ और कारण हों, लेकिन उन कारणों को जनता नहीं समझती। इसलिये जनता को इस बात की बड़ी परेशानी है कि जो मिलमालिक हैं, जो बड़े-बड़े कारखाने वाले हैं उनके ऊपर गवर्नमेंट करोड़ों रुपये की छूट दे रही है। आखिर समझ में नहीं आता कि सरकार कहती तो यह है कि यह सरकार जनता की प्रतिनिधि सरकार है और जनता के लिये है, लेकिन जनता के ऊपर तो अध्यक्ष महोदय, १०-५ रुपये बाकी हों तो किसी न किसी रूप में कुर्की करके, उसकी जायदाद को नीलाम करके वसूल कर लिये जाते हैं लेकिन वे कारखाने वाले जिनके करोड़ों के कारखाने मौजूद हैं और उन पर जो सेस का रुपया है सेल्स टैक्स के रुपये हैं उन्हें वसूल नहीं कर सकती। इसलिये जनता में इस बात की बड़ी परेशानी है। अध्यक्ष महोदय, यह जो बिल प्रस्तुत किया गया है इसमें एक खंड २८ जो है वह इस प्रकार से जोड़ा गया है कि जहां पर दूसरे प्रदेशों से आने जाने के मार्ग हैं उन पर सरकार चौकियां कायम करेगी हालांकि अभी तक की जो व्यवस्था है और अभी तक लोगों का जो अनुभव है उससे पता लगता है कि वास्तव में जो सेल्स टैक्स वसूल होना चाहिये वह नहीं होता है।

यहां जो कार्य प्रणाली चैल रही है उसमें वास्तव में देखा जाय तो वह कार्यप्रणाली बहुत गलत है। जो ऐडमिनिस्ट्रेशन है उसमें इस प्रकार लोगों की एक धारणा है कि इसमें इतना भ्रष्टाचार फैला हुआ है कि जनता का सरकार के लिये जो रुपया वसूल होना चाहिये वह हो इसके लिये लोगों को कम परवा रहती है, लेकिन सांट गांठ करने और अपना मंतव्य पूरा करने की भावना लोगों में खास तौर से रहती है। इसीलिये आर्डिनेन्स के बाद जो विधेयक प्रस्तुत किया गया है, उसमें यह रक्खा गया है कि सरकार ऐसे मौकों पर जहां से सेल्स

टैक्स को बचाने के लिये दूसरे प्रदेशों से माल ले आते थे या ले जाते थे वहां पर सरकार चौकियां बनायेगी और इस प्रकार के जो इवेजंस होते हैं उन्हें दूर करने की कोशिश करेगी ।

अध्यक्ष महोदय, और भी जैसा कि सदन में कहा जा चुका है और जैसे कि आडिट एकाउन्ट्स हम लोगों के सामने आते हैं उनसे मालूम होता है कि बजट आवश्यकता से अधिक बनाया जाता है । मेरा अपना अनुभव ऐसा है, अध्यक्ष महोदय, पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी का एक सदस्य होने के नाते कि ५० फीसदी आइटम्स ऐसे हैं जिनके ऊपर तीन करोड़ और कुछ मदें ऐसी हैं जो बजट में मंजूर करा ली जाती हैं लेकिन उनका रुपया खर्च नहीं किया गया तो बजट जो आवश्यकता से अधिक बन जाता है उसको वसूल करने के लिये सरकार को नये-नये टैक्सेज लगाने के लिये नये-नये कदम उठाने पड़ते हैं और यह जो सेल्स टैक्स ऐक्ट है यह उसी का प्रतिफल है । यदि सरकार अपने बजट में, अपने एस्टिमेट्स में इस प्रकार की सावधानी बरते कि बजट आवश्यकता से अधिक न बने तो मैं समझता हूं कि इस प्रकार विधेयक सदन में लाने की आवश्यकता न रहे और सरकार का कर्त्तव्य यह है कि जो आइटम इस प्रकार के पेश किये जाते हैं जो आवश्यकता से अधिक हैं उनको रोकना चाहिये क्योंकि अध्यक्ष महोदय एक ऐसा नियम है कि कोई कार्य चल रहा है और अगर वह बजट में मंजूर नहीं है तो उस पर उस कार्य के लिये बीच में रुपया मिलना कठिन हो जाता है । इतना ही नहीं, अध्यक्ष महोदय, बजट में रुपया नष्ट हो जाने से एक खराबी और पैदा होती है जिसको माननीय सभी सदस्य ने अनुभव किया होगा । किसी बजट में एक लाख या एक करोड़ रुपया खराब हो गया तो जो विभाग है उसकी ड्यूटी होती है कि वह उसको खर्च करे । अध्यक्ष महोदय, मैं कल ही जब गया तो वहां चर्चा हो रही थी कि फलां डिपार्टमेंट में इतना रुपया पड़ा हुआ है और लैप्स हो जायगा । तो सरकारी अधिकारी यह चाहते हैं कि किसी न किसी रूप में वह रुपया खर्च हो जाय । तो अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार से एक-एक पैसा इकट्ठा किया जाय और बजट बना कर रुपया मंजूर किया जाय पर उसको खर्च करने के लिये किस प्रकार से अधिकारियों को एक परेशानी पैदा होती है कि चाहे जिस प्रकार से हो इस रुपये को खर्च किया जाय । तो मैं समझता हूं कि इस प्रकार की जो बातें होती हैं इन पर सरकार को अवश्य विचार करना चाहिए और जो इस प्रकार के अधिकारी हैं जो आवश्यकता से अधिक बजट मांगते हैं लेकिन उनके पास पूर्ण रूप से कोई स्कीम नहीं होती है कि किस स्कीम में कितना रुपया लगाया जाय तो इस प्रकार के जो अधिकारी हैं मेरा माननीय मंत्री जी से यह निवेदन है कि ऐसे अधिकारियों के प्रति जो उचित कार्यवाही हो सकती है वह होनी चाहिए । जब तक ऐसा नहीं होता है तब तक जनता से किस प्रकार से रुपया वसूल किया जाता है । एक-एक पैसा करके करोड़ों और लाखों रुपया सिर्फ कागज में लिख कर मांग लेने से वे समझते हैं कि हमारा काम हो गया। मुझे तो कुछ अधिकारियों से भी मिलने का मौका मिला है । उनका कहना यह है कि अगर दूसरे डिपार्टमेंट वाले अधिक रुपये की मांग करते हैं, और अगर किसी विभाग वाले के यहां कोई स्कीमें नहीं हैं और नयी स्कीमें बन कर अगर अधिक रुपया मांगने की कोशिश नहीं की जाती है तो उसके प्रति इस प्रकार की नुक्ताचीनी होती है कि मालूम पड़ रहा है कि वह कुछ कार्य नहीं कर रहा है । तब उसे मजबूर होकर कोई न कोई स्कीम सरकार के सामने रखनी पड़ती है और इस प्रकार की गलत या बेकार की स्कीमों को सामने ला करके बजट जो है आवश्यकता से अधिक पहुंच जाता है । अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि इस प्रकार अगर बजट दुरुस्त रहे और सरकार इस बात की निगाह रखे कि लोग जरूरत से ज्यादा न मागें और जो लोग मांगते हैं उसको ठीक ढंग से खर्च न करें तो मैं समझता हूं कि जो यह रुपये की कमी बजट में पड़ जाती है उसके लिए सरकार को सदन के सामने विधेयक न लाना पड़ेगा इस प्रकार की बात हो सकती है । जैसा मैंने पहले कहा जब यह विधेयक पेश किया गया था तो इसमें एक आइटम इस प्रकार का था जिससे नमक पर से टैक्स उठा लिया गया अर्थात् अब नमक भी उस लिस्ट में शामिल कर लिया गया जिसमें सेल्स टैक्स नहीं लगेगा ।

[श्री जोरावर वर्मा]

दूसरी खास बात जो रखी गयी है इस विधेयक में वह यह थी कि पहले सेल्स टैक्स उन दूकानदारों पर लगने वाला था जिनकी सालाना बिक्री दस हजार रुपये थी । लेकिन जो यह विधेयक हमारे सामने प्रस्तुत किया गया है उसमें दस हजार रुपया से उसकी हद बारह हजार रख दी गयी है कि जिसकी बिक्री बारह हजार सालाना यानी एक हजार महीना होगी उस पर बिक्री कर लगेगा । अध्यक्ष महोदय, वह व्यापारी जिसकी एक हजार रुपया मासिक बिक्री है उससे अंदाज लगाया जा सकता है कि उसको वास्तव में कितना फायदा होगा । मैं समझता हूं कि अधिक से अधिक दस रुपया उसको प्राफिट हो जाता हो । अगर एक व्यापारी को सौ रुपया आमदनी हुई तो उसको मकान का किराया देना है, उसको अपने परिवार का पालन पोषण करना है । कभी उसे हिसाब रखने के लिये आवश्यकता नहीं है । लेकिन अब जब कि बारह हजार रुपये की जो हद रख दी गयी है तो इसका नतीजा यह होगा कि एक अमीन रखना चाहिए । जिस व्यक्ति की सौ रुपया मासिक आमदनी है वह ६० रुपया मासिक का क्लर्क रखे तो उसके लिए यह कितनी बड़ी मुश्किल की बात है । जो व्यापारियों की ओर से संगठित रूप से हड़ताल की गयी है और एक हफ्ते की हड़ताल का यह नतीजा निकला कि सरकार को यह मानना पड़ा, और मैं तो यह कहूंगा कि यद्यपि माननीय मुख्य मंत्री जी ने यह एलान किया था कि यह सरकार हड़तालों की धमकी से दबेगी नहीं । मैं समझता हूं कि उनको दबना पड़ा । और १० हजार से १२ हजार नहीं, बल्कि १५ हजार तक की उनको गुंजाइश दे दी गई कि १५ हजार तक सरकार ऐसे व्यापारियों को इस प्रकार की छूट देगी कि सरकार के अधिकारियों से इस प्रकार कोई कान्ट्रैक्ट हो जाय कि १५ हजार के ऊपर वे कितना सेल्स टैक्स देंगे । तो सरकार को व्यापारियों की मांग के आगे झुकना पड़ा । मैं तो समझता हू कि क्रेडिट की बात यह है कि उस सरकार के लिये जो अपने को जनता की प्रतिनिधि कहती है और मैं समझता हूं कि उनकी मांगों को स्वीकार करने में उन्हें गौरव का अनुभव करना चाहिये और इस प्रकार से मैं समझता हूं कि भाषण दे कर के लोगों में भय पैदा करना भी ठीक नहीं है । अध्यक्ष महोदय, कुछ लोगों का ऐसा ख्याल है और मेरा भी ऐसा मत है कि यह जो १५ हजार की मियाद रख दी गई है तो इसमें लोगों को इस प्रकार की शंका है, जैसी आजकल की मशीनरी चल रही है कि १५ हजार तक की लिमिट के ऊपर सेल्स टैक्स रुपये के हिसाब से नहीं बल्कि उनके साथ एक कान्ट्रेक्ट हो जायगा कि साल में कितना टैक्स देगा । तो ऐसा हो सकता है कि उस व्यापारी की अधिक आमदनी होती हो और आज कल जैसा वातावरण है उसके अनुसार १५ हजार की बिक्री का ही ऐस्टीमेटस लगा सकते हैं और वास्तव में उस व्यापारी से सेल्स टैक्स के रूप में और अधिक आमदनी होती सरकार को । तो हो सकता है कि सेल्स टैक्स आफिसर और व्यापारी जो है कहीं दुर्भाग्य से ऐसा न हो कि उन दोनों के बीच में वह रुपया चला जाय । तो सरकार को इस प्रकार से मशीनरी को बनाना चाहिये जिससे जनता में जो ऐसी धारणायें हैं वे पैदा न होने पायें ।

अध्यक्ष महोदय, दूसरी बात यह है कि जो सेल्स टैक्स लगाया गया है कई बार सरकार की ओर से इस बात का ऐलान किया गया, बल्कि अभी ३–४ दिन पहले सूचना विभाग की ओर से सेल्स टैक्स के ऊपर एक पुस्तिका भी बंटी और उसमें यह दिखलाया गया कि दूसरे सूबों में सेल्स टैक्स से बहुत अधिक आदमनी होती है सरकार को, लेकिन हमारे सूबे में कम आमदनी होती है । इसीलिये इस प्रकार के नये टैक्स लगाने की आवश्यकता पड़ गई । तो अध्यक्ष महोदय, उसका कारण यह नहीं कि वहां सेल्स टैक्स अधिक संख्या में लगता है, बल्कि उसका कारण जिसके ऊपर सरकार गौर नहीं कर रही है यह है कि वे सूबे ऐसे हैं जिनके पास कारखाने अधिक हैं और वहां पर माल अधिक बनता है । इसीलिये वहां पर सेल्स टैक्स और अधिक मिलता है । मैं थोड़ा सा पढ़े देता हूं कि हमारे यहां कपड़ा ही का उदाहरण अगर ले लिया, ■ाय तो बम्बई और मद्रास में अधिक कपड़ा उत्पन्न होता है और हमारे सूबे में कम होता है ।

इसका नतीजा यह होता है कि सेल्स टैक्स की मद में कम रुपया आता है बनिस्बत दूसरे सूबों के और उसका असर सेल्स टैक्स पर पड़ता है। तो सरकार को इस प्रकार से देखना चाहिये कि बम्बई में अकेले २ अरब ३ करोड़ १८ लाख २७ हजार ३४२ रुपये का कपड़ा होता है, मद्रास में ४८ करोड़ ९१ लाख ६६ हजार रुपये का कपड़ा होता है और उत्तर प्रदेश में १६ करोड़ २७ लाख ३८ हजार ८६६ रुपये का कपड़ा पैदा होता है। तो इस प्रकार से देखे कि उन प्रदेशों में कपड़ा अधिक पैदा होता है, इसीलिये वहां सेल्स टैक्स कम लगता है। लेकिन चूंकि कपड़ा ज्यादा होता है इसलिए सेल्स टैक्स से रुपया ज्यादा आता है।

अध्यक्ष महोदय, दूसरी जगह किस प्रकार टैक्स लगता है इसको मैं बता देना चाहता हूं ताकि सरकार को यह अंदाज लग जाय कि सचमुच में दूसरे सूबों में इस प्रकार की जो पालिसी है वह जनता के लिये इतनी आप्रेसिव नहीं है जितनी कि हमारी सरकार की है। मद्रास में एक रुपये पर तीन पैसा कपड़े पर टैक्स लगा है। मैसूर में ३ पाई, ट्रावनकोर कोचीन में ३ पाई, उड़ीसा में ३ पाई, कच्छ में ३ पाई, विन्ध्य प्रदेश में ३ पाई, बिहार में ३ पाई, आसाम में ६ पाई, बम्बई में ६ पाई, दिल्ली में ६ पाई, मध्य प्रदेश में ६ पाई, मध्य भारत में ६ पाई, मनीपुर में ६ पाई, पंजाब में ६ पाई, पेप्सू में ६ पाई, सौराष्ट्र में ६ पाई, और पश्चिमी बंगाल में ९ पाई और अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश में १ आना है। तो इस प्रकार से सरकार ने कपड़े पर टैक्स लगा रक्खा है जो कि आम जनता के प्रयोग में आता है। सरकार के लिए अधिक उचित बात यह होती कि कम से कम वह साधारण जनता को इस भार से बचा देती। उसको चाहिये था कि जो रफ कपड़ा है, कोर्स कपड़ा है, या मीडियम कपड़ा है उस पर सेल्स टैक्स न लगाती और जो फाइन, सुपरफाइन या अच्छा कपड़ा है उस पर सेल्स टैक्स लगाती तो इससे आम जनता के ऊपर इस प्रकार का असर नहीं पड़ता। हालांकि इस प्रकार कपड़े पर सेल्स टैक्स लगाने के लिए लोग यह कहते हैं कि फाइन और सुपरफाइन की उस पर मोहर लग जानी काफी है, क्योंकि पिछले युद्ध के जमाने में देखा गया कि जो रफ कपड़ा था उस पर भी फाइन और सुपरफाइन की मुहर लगा कर लोगों को कपड़ा बांटा गया। लेकिन अध्यक्ष महोदय, उस समय कंट्रोल का जमाना था और यह था कि तुमको इतना कपड़ा यहां से लेना पड़ेगा, दूकान बंधी हुई थी, जिले निर्धारित थे, उस समय लोगों को कम्पलशन था कि उसी दूकान से वह कपड़ा ले लेकिन अब कपड़े पर कंट्रोल रहा नहीं। अगर कोई व्यापारी या कोई कपड़े को पैदा करने वाली मिल इस प्रकार की गुस्ताखी करेगी कि रफ कपड़े पर फाइन या सुपरफाइन की मुहर लगा दें तो वह जनता को धोखा नहीं दे सकती है क्योंकि जनता के लिए अब कपड़े में छूट है कि वह चाहे जहां से ले। तो जहां लोगों को सस्ता कपड़ा मिलेगा वहीं लोग कपड़ा खरीदेंगे। तो इस प्रकार से जो सरकार की नीति है वह मैं समझता हूं कि बहुत गलत है और आम पब्लिक के ऊपर यह टैक्स है। जो गरीब लोग हैं जिनको कि मिर्जई भी पहनने को नहीं मिलती है उनके ऊपर टैक्स लगा देना मैं समझता हूं कि जनप्रिय सरकार के लिए शोभा की बात नहीं है।

इसी प्रकार से खाद्यान्न की बात है। खाद्यान्न के सम्बन्ध में यहीं सदन में कई प्रकार के आंकड़े पेश किये गये हैं कि अपने प्रदेश में ऐसे अब भी लोग रहते हैं और उन लोगों का एक अच्छा परसेंटेज है, जिनको दिन भर में एक बार भी भरपेट खाना नहीं मिलता है। तो उस व्यक्ति को जिसको कि एक बार भी भरपेट भोजन न मिलता हो या जैसा माननीय गेंदासिंह जी कहा करते हैं कि पूर्वी जिलों में या देवरिया जिले में वहां के गरीब लोग गोबर में से दाने बीन करके अपना भेट भरते हैं तो जहां जिस प्रदेश के अन्दर ऐसे लोग काफी संख्या में रहते हों, वहां खाद्यान्न के ऊपर और मामूली अनाजों के ऊपर भी टैक्स लगा देना, यह कहां तक उचित है? और ऐसे टैक्स लगाने वाली सरकार जनता की सरकार है, यह कहना कहां तक उचित हो सकता है? सचमुच में एक तो सिद्धान्त यह होना चाहिए कि जो एसेंशियल कमोडिटीज हैं, जो जीवन के लिए आवश्यक वस्तुयें हैं उन पर टैक्स नहीं लगना चाहिए। लेकिन अगर सरकार यह देखती है कि सचमुच में उसे इस प्रकार के टैक्स लगाने की आवश्यकता ही है तो उसे यह देखना चाहिए कि जो जनसाधारण के प्रयोग में खाद्यान्न आता है .....

श्री अध्यक्ष---अब आप बाद में जारी रखेंगे ।

(इस समय १ बज कर १५ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बजकर १८ मिनट पर अधिष्ठाता श्री सुल्तान आलम खां की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई ।)

श्री जोरावर वर्मा---आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, मैं यह कह रहा था कि इस सरकार को यह विदित है कि स्टेट में ऐसे बहुत से गरीब लोग रहते हैं जिन्हें भर पेट भोजन नहीं मिलता है और एक ही बार भोजन मिलता है और वह भी पूरा नहीं मिलता है । तो फूडग्रेन्स पर सेल टैक्स लगा देना एक भूखे के मुंह में जाने वाले टुकड़े को छीनने की तरह होगा । इस सरकार को जो इस बात का दावा करती है कि हम सबको रोटी-कपड़ा देने के लिये यह सब टैक्सेज लगा रहे हैं, उसके लिये यह कहां तक उचित कहा जा सकता है यह वही समझ सकते हैं । लेकिन जहां तक जनसाधारण की धारणा है वह इससे बहुत ही परेशान हैं और उनको बड़ी बड़ी आशंकायें हैं । यह कहना कि फूडग्रेन पर सेल्स टैक्स लग जाने से किसानों को टैक्स नहीं लगेगा । यह सही है अधिष्ठाता महोदय, कि सेल्स टैक्स फूडग्रेन प्रोड्यूसर के ऊपर नहीं लगाया जायगा, लेकिन आप जानते हैं कि संसार में जितने भी उत्पादक हैं, केवल कृषि-वर्ग ही ऐसा उत्पादक है जो अपने प्रोडक्शन के ऊपर, जो वह पैदा करता है, उस पर वह कीमत निर्धारित नहीं करता है, बाकी और दुनियां में जो चीजें पैदा होती हैं, उनको पैदा करने वाले जो लोग हैं वह उनकी कीमत नियुक्त करते हैं और मनमाना फायदा उठाते हैं । लेकिन क्या कीमत गल्ले की हो, यह कृषक के हाथ में नहीं है । जब व्यापारी वर्ग जानता है कि हमको इसके ऊपर सेल्स टैक्स देना है तो जो भाव होगा उससे दो चार छटांक वह अधिक ले सकता है, क्योंकि उसके ऊपर कोई बंधन नहीं है और न सरकार ने ही कोई ऐसा प्रतिबन्ध लगाया है कि जो कृषक पैदा करे उसकी बिक्री का सरकार प्रबन्ध करे । गत वर्ष अधिष्ठाता महोदय, जब किसानों के गल्ले की कीमत अधिक गिर गयी तो इस सरकार ने बहुत कुछ कोशिश की कि उनकी अधिक कीमतें न गिरने दें, लेकिन इस समय जबकि गल्ले की कीमत अधिक बढ़ गयी तो सरकार ने उसी गल्ले को जिसको १० रुपये मन से खरीदा था, १५ रुपये प्रतिमन बेचा था । तो इस तरह से किसानों से सस्ता लेना और फिर दूसरे लोगों को ड्यौढ़े दामों पर देना यह किसी भी सरकार के लिये न्यायसंगत नहीं कहा जा सकता है । यह भी कहा गया कि जो लोग गल्ला पैदा करते हैं, देहात में रहते हैं उनको गल्ला नहीं खरीदना पड़ेगा, इसलिये यह अधिकांश गरीब जनता पर नहीं लगेगा, लेकिन गांवों में भी आजकल की परिस्थिति यह है कि जो लोग गांव में रहते हैं उनको गांव में गल्ला नहीं मिलता है, उनको बाजार में ही लेने आना पड़ता है । इसलिये यह बिलकुल गलत बात है कि उन गरीबों पर यह टैक्स नहीं पड़ेगा जो देहात में रहते हैं । अगर वास्तव में इसकी आवश्यकता है तो सरकार को सोचना चाहिये कि जो जनसाधारण के प्रयोग में चीजें नहीं आती हैं फूडग्रेन की, उन सब कमोडिटीज पर सेल्स टैक्स लगाया जा सकता है । जैसे रवा, मैदा और इस प्रकार की जो चीजें जनसाधारण के काम में नहीं आती हैं उस पर अगर सेल्स टैक्स लगाया जाता तो किसी प्रकार ठीक कहा भी जा सकता है लेकिन पूरे फूडग्रेन्स पर सेल्स टैक्स लगा देना जनता के साथ बहुत बड़ा अन्याय है, क्योंकि वह चीजें जनता के काम में आने वाली हैं । जब आज सरकार जनता के लिये खाने पीने की, रहने की, कपड़े की व्यवस्था नहीं कर सकती है फिर उस पर टैक्स लगा दे तो उससे ज्यादा अन्याय की कोई बात नहीं हो सकती । मैं समझता हूं कि यह तो उसी प्रकार की व्यवस्था है जैसे प्राचीन काल में रामचन्द्र जी के जमाने में ऋषि मुनि वन में तपस्या करते थे और उनको राक्षस परेशान किया करते थे क्योंकि उनको बेचारों को तपस्या करने की स्वतंत्रता नहीं थी । यही परिस्थिति आज हमारे प्रदेश की है । गरीब जनता जिसको सरकार किसी प्रकार की मदद नहीं करती और न उनके जीवन को ऊंचा उठाने के लिये समुचित व्यवस्था पर पाती है लेकिन उनकी जो आधी रोटी है उसको भी वह छीनना चाहती है ।

अधिष्ठाता महोदय, पहले जो लिस्ट थी उसमें पान को ग्रीन वेजिटेबिल्स में शुमार किया गया था लेकिन अभी जो यह आर्डिनेंस निकला और जो विधेयक प्रस्तुत किया गया उसमें पान के ऊपर भी सेल्स टैक्स लगाया गया है। पान के जो उत्पादक हैं वे बहुत गरीब किसान हैं और यह ऐसा कमाडिटी होती है जिसके लिये यह भी निश्चय नहीं है कि सबेरे यह पैदा होता है और शाम को सड़ जाता है, बरबाद हो जाता है। तो इस सरकार ने जो नीति पहले पान के विषय में निर्धारित की थी कि यह सड़ने गलने वाली चीज है इस पर सेल्स टैक्स नहीं लगाया जायगा। तो मुझे यह आशा है की अगर यह विधेयक एक सेलेक्ट कमेटी के सुपुर्द कर दिया जाय तो वह शायद इसी निर्णय पर पहुंचे कि इस पर सेल्स टैक्स लगाना उचित नहीं है क्योंकि जब ग्रीन वेजिटेबिल्स पर सेल्स टैक्स नहीं लगाया गया है तो पान पर सेल्स टैक्स किस आधार पर लगाया जा रहा है। अधिष्ठाता महोदय, जो यह सेल्स टैक्स कमीशन की रिपोर्ट है उसमें पेज १२ पर दिया हुआ है कि सेल्स टैक्स किन-किन वस्तुओं पर लगाया जा सकता है और किन-किन पर नहीं लगाया जाना चाहिये। किन वस्तुओं पर नहीं लगाना चाहिये इसके लिये चार कैटेगरीज बतायी हैं।

"1. Certain goods which are treated as essential goods for various resources including goods....
2. Goods which are laready taxed appreciably under other laws.
3. Production of certain cottage and village industries.
4. Other goods, those goods exempted in various states."

तो इस प्रकार से चार प्रकार के गुड्स पर एक्जेम्पशन्स की शिफारिश कमीशन ने की। अधिष्ठाता महोदय, अब जो एक्जेम्प्शन की लिस्ट है जो दूसरे स्टेट्स की है जिनपर सेल्स टैक्स नहीं लगा हुआ है वह यह है---फूडग्रेन्स, मिल्क, फ्रेश वेजिटेबिल्स, फ्रेश फ्रूट्स, साल्ट, गुड, एडिबिल आयल्स, आयलसीड्स, केरोसीन, मेटल्स एंड चीप क्लाथ्स। दूसरे स्टेट में फूडग्रेन्स, गुड, केरोसीन और जो चीप क्लाथ है उस पर सैल्स टैक्स नहीं लगाया गया है और यह सारी चीजें जो सरकार ने गिनाईं वह सब उसमें आती है जिसको वहां पर एक्जेम्प्शन लिस्ट में रखा गया है। आखिर समझ में नहीं आता है कि सरकार क्या करने जा रही है। अगर इस सरकार को सेल्स टैक्स से कुछ रुपया वसूल करना ही है तो वास्तव में सेल्स टैक्स इन्क्वायरी कमीशन की जो रिपोर्ट है उसमें एक ऐसी लिस्ट भी दी गयी है कि अगर सेल्स टैक्स लगाना आवश्यक ही हो तो मोटर वेहेकिल्सवायरलेस, रेडियो, सिनेमेटोग्राफ, फोटोग्राफ, एलेक्ट्रिकल गुड्स, फाउन्टेनपेन एंड कास्टली पेंसिल्स, क्लाथ, वाचेज, आयरन एंड स्टील सेफ्स, एटसेटरा। तो अगर सेल्स टैक्स लगाने की आवश्यकता ही सरकार को हो तो उन कमोडिटीज पर लगाना चाहिये जिनका सर्वसाधारण द्वारा प्रयोग न होता तो। लेकिन सरकार इस बात पर निश्चित है कि वह उन लोगों के ऊपर टैक्स लगाने जा रही है जिनसे अधिक टैक्स लगेगा और दूसरे शायद इसलिये भी कि जो गरीब हैं वे अधिक शोर गुल नहीं कर पाते हैं और न सरकार के ऊपर दबाव ही डाल पाते हैं। जो उन कमोडिटीज का प्रयोग करते है जिनके लिये सेल्स टैक्स कमीशन ने सिफारिश की है वे सरकार तक अपनी पहुंच कर लेते हैं और नाना प्रकार के दबाव डाल कर सरकार को मजबूर कर देते हैं कि वह सेल्स टैक्स न लगाये। तो मेरा सेलेक्ट कमेटी के सुपुर्द कर देने का प्रस्ताव बहुत ही उपयुक्त है, क्योंकि इस सेल्स टैक्स के विरुद्ध जो प्रदेश व्यापी हड़ताल हुई है और जनता ने जिस प्रकार से इसका विरोध किया है उसे किसी हद तक सरकार ने माना है और सेल्स टैक्स से पहले ही उस लिस्ट को हटा लिया और जो बिल हमारे सामने पेश किया गया है उसमें भी कई परिवर्तन किये गये हैं और कई सेल्स टैक्स एग्जेम्शन्स भी पाते हैं। जिन पर पहले १ आना सेल्स टैक्स था उसको दो पैसा कर दिया गया है। एक परिवर्तन इसमें यह भी किया गया कि पहले चार आने सैकड़ा बुलियन पर रखा गया था।

[श्री जोरावर वर्मा]

कुछ लोगों का ऐसा विचार है कि इस कैटेगरी के अन्दर जो व्यापारी हैं वे इस एग्जेम्शन का भारी दुरुपयोग करते हैं और केवल ब्रुलियन के बहाने जो रेडी माल होता है उसको उसमें दिखा कर सेल्स टैक्स से एग्जेम्ट हो जाते हैं। इसको जनसाधारण प्रयोग में नहीं लाते हैं। यह भी एक ऐसी कमोडिटी हैं जिसके ऊपर अगर सरकार चार आने से बढ़ा कर एक रुपया सैकड़ा कर दे और आवश्यकता हो तो ५ रुपये सैकड़ा कर दे तब भी जनसाधारण को इसमें कोई कठिनाई नहीं होगी। तो मैं आशा करता हूं कि सरकार मेरे प्रस्ताव को स्वीकार कर लेगी, क्योंकि इस विधेयक में बहुत सी बातें हैं जो विचार करने के योग्य हैं। मैं फिर से उन बातों को दोहराना चाहता हूं कि सरकार को एक तो इस विधेयक को प्रस्तुत करने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि जो सेल्स टैक्स की उगाही पड़ी हुई है वही बहुत काफी है और जो सेल्स टैक्स का इवेजन होता है उसको कलेक्ट किया जाय और जो ऐनुअल बजट बनता है उसको भी अधिक बढ़ा चढ़ा करके न बनाया जाय और जो कि फिजूलखर्ची डिपार्टमेंट में होती है उसको भी रोका जाय। और जैसे हमारे साथी जो सोशलिस्ट पार्टी के बैठे हुये हैं उनकी हमेशा यह मांग रहती है कि जो बड़ी बड़ी तनख्वाहें हैं उन्हें भी कम करना चाहिये वैसे ही मेरा यह विचार है कि अगर लम्बी चौड़ी तनख्वाहों को भी कम किया जाय तो उससे भी कई लाख रुपये की सरकार को बचत हो सकती है। एक बात मैं और कह देना चाहता हूं कि हमारे माननीय परिपूर्णानन्द जी वर्मा बैठे हुये हैं। उन्होंने एक लेख निकाला था, जिसमें अपना यह विचार प्रकट किया है कि सरकार की वर्तमान पालिसी से व्यापार चौपट हो रहा है। अधिष्ठाता महोदय, व्यापार को हानि के विषय में इसमें कहा गया है। जो कुछ भी हो, बहरहाल ऐसे कार्यों की कोई प्रशंसा नहीं कर सकता जिससे प्रदेश का व्यापार चौपट हो और प्रदेश को हानि हो।

श्री परिपूर्णानन्द वर्मा (जिला गोरखपुर)—मैं यह जानना चाहता हूं कि वह क्या कह गये....

श्री अधिष्ठाता—आप कोई प्वाइन्ट आफ आर्डर उठा रहे हैं।

श्री परिपूर्णानन्द वर्मा—जी नहीं, मैं तो ऐक्सप्लेनेशन दे रहा था।

श्री जोरावर वर्मा—अधिष्ठाता महोदय, श्री परिपूर्णानन्द जी की यह धारणा है...

श्री परिपूर्णानन्द वर्मा—अधिष्ठाता महोदय, आप गलत कह रहे हैं...

श्री अधिष्ठाता—(जोरावर वर्मा से) आप अपनी तकरीर कीजिये।

श्री जोरावर वर्मा—अधिष्ठाता महोदय, मैं इसलिये कह रहा हूं कि जब उनकी राय यह है कि सेल्स टैक्स से व्यापार चौपट होने जा रहा है तो जो मेरा संशोधन है कि इसको प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय उस पर सरकार विचार करेगी और स्वीकार करेगी ऐसी मुझे आशा है ताकि जो सेल्स टैक्स की अनुचित बातें की हैं वह दूर की जा सकें या यदि कमेटी उचित समझे तो इस बिल को खत्म ही कर दे।

श्री नवल किशोर (जिला बरेली)—अधिष्ठाता महोदय, मैं इस विधेयक के समर्थन में खड़ा हुआ हूं और जो दोनों संशोधन पेश किये गये उनका मैं विरोध करता हूं। माननीय पालीवाल जी का संशोधन है कि इसको जनमत के लिये भेज दिया जाय। जिस समय उन्होंने इसको पेश किया तो मुझे ताज्जुब हुआ कि जनमत का प्रश्न कैसे पैदा हुआ। मुझे याद पड़ता है कि हमारा सेल्स टैक्स का कानून उस समय बना था जिस समय पालीवाल जी वित्त मंत्री थे। वह आज भी चलता है और मैं समझता हूं कि जनमत का सवाल जब आता है जब किसी फंडामेंटल का या प्रिंसिपल के ऊपर बात करें हमने तो इसको मान लिया है कि सेल्स टैक्स लग सकता है और हमारे यहां लगा भी हुआ है तो जनमत का प्रश्न पैदा नहीं नहीं होता है।

दूसरी बात जो ४३१ नुमाइन्दे यहां पर बैठे हुये हैं वह जनता से ही तो चुनकर भेजे गये हैं और हमें विश्वास है कि जो बात हम यहां कहते हैं वह यदि शत प्रतिशत नहीं तो अधिकांश हिस्से में जनमत की एक प्रतिध्वनि होती है। जहां तक दूसरा संशोधन है कि इसको प्रवर समिति में भेज दिया जाय, मैं समझता हूं इसलिये इसकी आवश्यकता नहीं है कि हम सभी जानते हैं कि एक आर्डिनेंस इश्यू किया गया है। वह सही है या गलत इसके ऊपर मैं बाद में कहूंगा, जिसकी मियाद ४२ दिन की है। इससे पहले यह विधेयक पास करना है लिहाजा प्रवर समिति में भेजने का सवाल पैदा नहीं होता है। दूसरे जो यह विधेयक बना है यह ३९ दिन से हमारे सामने है। इसके ऊपर बहुत सी बातें हुई, हड़तालें हुई, डिमांशट्रेशन्स हुये और सभी साथियों को कहने का मौका भी मिला और उन्होंने कहा भी। मैंने आज भी महसूस किया यदि आप मुझे क्षमा करें तो मैं यह कह सकता हूं कि आज जो पालीवाल जी को भाषण हुआ सदन में उसे सुनकर मुझे ऐसे मालूम पड़ा कि जो चुनाव के सिलसिले में हम बोलते थे प्लेटफार्म पर, बहुत कुछ उसी तरह का भाषण दिया गया। खास तौर से भाषण का अखिरी हिस्सा जिसमें बड़ा भारी अल्टीमेटम सा था; मुझे ऐसा लगा कि वह भवन में नहीं बोल रहे हैं बल्कि आगरे की चुनाव की किसी मीटिंग में बोल रहे हैं। बहरहाल जो कुछ भी हो, हमारे सामने बहुत सीधी-साधी सी बात है और वह यह है कि जो सेकिंड फाइव ईयर प्लान है उसके ऊपर २६७ करोड़ रुपया खर्च करना है और हमें ५ साल के अन्दर ४४ करोड़ रुपया मौजूदा आय के अतिरिक्त इकट्ठा करना है और यह भी हम जानते हैं कि हमारे टैक्सेशन की पावर्स विधान में सीमित हैं। हमारे लिये अन लिमिटेड पावर्स टैक्सेशन की नहीं है। इन बातों का मानते हुये यह भी मैं जानता हूं कि कोई भी टैक्स लगाया जाय वह नागवार होता है। मगर हम यह भी जानते हैं कि हमको कोई ऐसी गवर्नमेंट नहीं मिलेगी जो बिना टैक्सेशन के अपनी सरकार का काम चला सके और खास कर के ऐसे वक्त में जब कि ऐसे व्यापक ढंग से, इतने विस्तार रूप में हमने अपने देश और प्रदेश के विकास का कार्य अपने ऊपर उठाया हुआ है। एक बात हम जरूर चाहते हैं कि जो भी टैक्स लगे वह टैक्स इस तरह का होना चाहिये कि जो हमारी जिन्दगी की आवश्यकतायें हैं उनके ऊपर उसका मिनिमम बर्डन पड़े और जो हमारी ऐशो आराम की चीजें हैं उनके ऊपर मेक्सिमम टैक्सेशन होना चाहिये।

इसके साथ-साथ हमको इस बात का भी ख्याल रखना चाहिये कि हमारे स्टेट के अन्दर जो ट्रेड और इंडस्ट्री है उसको कोई नुक्सान न पहुंचे क्योंकि हम यह जानते हैं और हम इस बात के लिये जागृत हैं, सजग हैं कि अगर हमने यह रुपया इकट्ठा भी कर लिया और उससे हमने कुछ डेवलपमेंट का काम भी किया लेकिन साथ ही अगर हमारी ट्रेड और इंडस्ट्री किसी वजह से कमजोर हो गई तो जिस ध्येय से हम इस काम को करना चाहते हैं वह पूरा होने वाला नहीं है। तो इन बातों को ध्यान में रखने के बाद हमको देखना है, सोचना है कि जो सेल्स टैक्स बिल हमारे सामने है यह कहां तक उचित है और कहां तक उचित नहीं है। कोटेशन्स दिये गये कि "नो टैक्सेशन विदआउट रिप्रेजेंटेशन" (No Taxation without representation) मैं इसको मानता हूं। सिद्धांततः सही है और आज जो हम और आप इस विधेयक के ऊपर इतनी बहस कर रहे हैं यही इस बात को साबित करता है कि "देयर बिल बी नो टैक्सेशन विदआउट विप्रेजेंटेशन" (There will be no taxation without representation) तो मैं यह नहीं समझ पाया कि इस सिद्धांत की अवहेलना कहां हुई।

कहा गया कि आर्डिनेंस से टैक्स का लगना एक अनोखी सी बात है। आर्डिनरी तौर पर पालीवाल जी का यह कहना सही है। टैक्सेशन को आम तौर पर आर्डिनेंस के द्वारा नहीं लगाया जाता। मैं इसके डिटेल में नहीं जाऊंगा। इससे पहले भी इस प्वाइन्ट के ऊपर इस सदन में काफी वाद विवाद हो चुका है और माननीय वित्त मंत्री जी ने भी अपने भाषण में इस बात पर संकेत किया कि क्या विशेष परिस्थिति थी। पहली अप्रैल से सेल्स टैक्स के जो रेट्स थे उनको बदलना था, दोनों हाउस सेशन में नहीं थे। हो सकता है कि

[श्री नवल किशोर]

उसके ऊपर कुछ टेक्निकल आब्जेक्शन भी हों, लेकिन बहरहाल वह चीजें सामने थीं और उनके मातहत आर्डिनेंस इश्यू किया गया था। मैं समझता हूं कि इन दलीलों में जाना आज इस माने में और बेकार है कि जब सरकार ने उस आर्डिनेंस के आधार पर यह विधेयक यहां पेश कर दिया है और एक सप्ताह के भीतर ही यह विधेयक ऐक्ट का रूप धारण कर लेगा। इसलिये इसका सवाल पैदा नहीं होता। पालीवाल जी को इससे इन्कार नहीं है कि डेवलपमेंट का काम होना चाहिये, लेकिन उनका कहना यह है कि डेवलपमेंट के बहाने से या उसकी आड़ में हमको आंख मींच कर कोई बात नहीं करनी चाहिये। मैं समझता हूं कि कोई समझदार आदमी इससे इंकार नहीं कर सकता, मगर सवाल है हमारे सामने कि आया उनकी समझ में यह बात हो सकती है कि हम लोग जो यहां बैठते हैं या जिस पार्टी के हम सदस्य हैं वह आंख मींच कर काम किया करते हैं। हमारी ऐसी भावना नहीं है। हम जानते हैं कि जब हमको डेवलपमेंट करना है, दूसरी पंचवर्षीय योजना को कामयाब बनाना है अपने यहां, तो उसके लिये हमें पैसे का इन्तजाम करना होगा। उन्होंने डेवलपमेंट कौंसिल के किसी साथी का कोटेशन किया कि उन्होंने कहा कि डेवलपमेंट की जो हमारी योजना है वह निर्वीर्य (unreal) है, इसमें जनता की इच्छाओं और योजनाओं से कोई वास्ता नहीं है। आपने विनोबा जी का भी हवाला दिया। मुझे पता नहीं कि वह चीजें किस कंटेक्स्ट में कही गई थीं और इसलिये मैं उनमें नहीं जाऊंगा क्योंकि उससे गलत इंटरप्रेटेशन होने की संभावना है, मगर इतना मैं जरूर जानता हूं कि फर्स्ट फाइव ईयर प्लान की बाबत कुछ साथियों की राय यह हो सकती है कि इससे ज्यादा होना चाहिये था। लेकिन इतनी बात अपनी जगह पर सही है कि जितने प्रोजेक्ट्स और टार्गेट पूरे करने तय किये गये थे वह समय के अन्दर पूरे किये गये। यह हमारी ही राय नहीं है बल्कि सब लोगों की यह फाइव ईयर प्लान के बारे में राय है। अगर आप दूसरी पंचसाला योजना को गलत समझते हैं तो यह एक बुनियादी बात पैदा हो जाती है। मगर जो रूपरेखा हमारे देश की पार्लियामेंट ने स्वीकार की है और जिस फाइव ईयर प्लान को हमारे हाउस ने भी स्वीकार किया है अगर हम उस रूपरेखा को बदलते नहीं हैं तो उसको कार्यान्वित करना ही होगा और उसके लिये पैसे की हमको जरूरत पड़ेगी। पालीवाल जी ने इकनामी का भी जिकर किया। मैं समझता हूं इस विषय में कोई मतभेद होने का सवाल नहीं है। हम सभी चाहते हैं कि इकनामी हो। हम यह भी जानते हैं कि हमारा जो १४७ करोड़ का यह बजट है उसमें हम इस बात का दावा नहीं करते कि फिजूलखर्ची नहीं होती होगी। वह जरूर होती होगी। हम यह भी जानते हैं कि हमारे प्रदेश में और देश में इकनामी बराबर नहीं हो रही है लेकिन इसके साथ-साथ हम यह भी जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी इस तरफ से सजग है। वह भी चाहती है कि हम जितनी इकनामी हो सकती है करें और उसका तरीका सोचा जाता है। मैं यह भी कह दूं कि बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जिनसे हमको भी तकलीफ होती है और इस वक्त मैं उसकी डिटेल्स में नहीं जाऊंगा कि कहां इकनामी हो सकती है लेकिन मेरा यह निश्चित मत है कि कोशिश इसके लिये होनी चाहिये और जो हमारी कोशिश है यदि अधिक जोर के साथ कोशिश की गयी तो काफी इकनामी करने की गुंजायश है।

माननीय वित्त मंत्री जी ने उस तरफ इशारा किया है। उन्होंने कहा है कि हमने इकनामी कमेटी बिठायी है और यह भी कहा है कि परमानेंट मशीनरी इस बात की बनाने जा रहे हैं जिससे कि इकनामी हो और अगर मुमकिन होगा तो वह डिपार्टमेंट कमेटी भी बनायेंगे। मैं उनको इस बात के लिए बधाई देना चाहता हूं। एक बात उनसे जरूर कहना चाहता हूं। कि इकनामी कमेटी हो या परमानेंट मशीनरी हो वह केवल पेपर पर ही नहीं होनी चाहिये। वह इस तरह से ऐक्टिव होनी चाहिये कि कुछ कार्य हो सके। यह एक बहुत बड़ा महत्व का सवाल है। मैं यह समझता हूं कि टैक्सेशन के बाद इकनामी की तरफ ध्यान जाना उचित बात है और हम लोगों को, प्रदेश की जनता को यह विश्वास दिलाना चाहिये कि जहां तक हो सकेगा एक-एक पाई को बचाने का प्रयत्न करेंगे। अपने एडमिनिस्ट्रेशन से और

जितनी भी हमारी योजनायें हैं उनसे हम पैसा बचाने की कोशिश करेंगे। मैं यह भी चाहता हूं कि इस बिल के साथ हमको कोई ऐसा कदम भी उठाना चाहिये जिससे लोग समझें कि हम बचत करना चाहते हैं। कुछ कदम ऐसे हैं जो दिखाई देते हैं और कुछ ऐसे हैं जो दिखाई नहीं देते हैं। ऐसे कदम उठाने की जरूरत है जो साफ दिखाई दें। इस टैक्सेशन के साथ-साथ हम इकनामी की तरफ तेजी के साथ बढ़ने के लिये कदम उठावें। पालीवाल जी ने १९२६ की इकनामी कमेटी का सवाल उठाया तो हमारी सरकार ने उस कमेटी की कुछ सिफारिशों को जो सन् १९२६ में बनायी गयी थी, माना है। और फिर कम से कम हमारे जो आदरणीय बुजुर्ग पालीवाल जी हैं अगर वह उस कमेटी की बात को कोट न करते तो अच्छा था। सन् ४८ में इस गवर्नमेंट के वह महत्वपूर्ण मेम्बर होने के नाते उस कमेटी की रिपोर्ट को कार्यान्वित करा सकते थे।

आज यह एक अजीब बात उनसे सुनने को मिली। इससे यह मालूम होता है कि जब वह हम लोगों के साथ थे तब अगर कोई बात उनकी समझ से बुरी भी थी तो उस पर पर्दा डाला गया और जब वह उधर चले गये तो वह उस बात को कहने लगे और वह बात बुरी हो गयी। मेरा यह ख्याल है और मैं इसको जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं कि हमारी जो अपोजीशन पार्टीज हैं उनके सदस्यों ने भी इसके संबंध में एक रचनात्मक पार्ट अदा नहीं किया है और उन्होंने इस बात का विचार नहीं किया कि उनकी भी कुछ जिम्मेदारी है। मैं तो इसको पोलिटिकल हिपोक्रेसी कहता हूं क्योंकि अगर सोशलिज्म को लाना है तो टैक्सेशन करना पड़ेगा। चाहे कोई भी पार्टी आवे उसको आर्थिक उन्नति तथा सुधार करने के लिये टैक्स लगाना पड़ेगा। अगर आप सोशलिज्म की बात करते हैं तो यह कहना कि टैक्स नहीं लगना चाहिये यह बात उचित नहीं है। आश्चर्य इसमें इस बात का होता है जब आपस में बात होती है तो इस बात को स्वीकार करते हैं कि टैक्सेशन होना चाहिये लेकिन जब प्लेटफार्म पर खड़े होते हैं तो दूसरी बात बोलते हैं। हमें यह सोचना चाहिये कि जब हमें आज की दुनिया में देश का विकास करना है तो चाहे हम किसी भी पार्टी के क्यों न हों, हम जो भी पार्टी प्ले करें वह बहुत सोच विचार के करना चाहिये। मैं यह नहीं कहता कि इसमें कमियां नहीं हैं। कमियां हो सकती हैं और उनका होना स्वाभाविक ही है। उनको दूर करने की कोशिश करनी चाहिये।

जिस समय माननीय वित्त मंत्री जी की स्पीच का जवाब दिया जा रहा था तो यह कहा गया कि इस विधेयक के रूप को बदलवाने का श्रेय जनता को है या उन लोगों को है जिन्होंने कि सत्याग्रह किया था। मुझे नहीं मालूम कि इसके ऊपर भी कोई सत्याग्रह हुआ। हां दफा १४४ तोड़ने के बारे में कुछ लोगों की गिरफ्तारी जरूर हुई। टैक्स के लिये किसने सत्याग्रह किया यह मेरे इल्म में नहीं है। खैर इधर मैं ज्यादा बहस में जाना नहीं चाहता लेकिन यह कहा गया कि इसका श्रेय जनता को है। इसका श्रेय जनता को है अथवा सरकार को है, लेकिन अगर जनता की भावनाओं का प्रतिनिधित्व कोई गवर्नमेंट या उसके प्रतिनिधि करते हैं तो मैं समझता हूं कि यह भी एक डेमोक्रेटिक सरकार के लिये शान की बात है। आखिर जो जनता है उसके और सरकार के बीच में कोई खाई या दीवार तो है नहीं। आप कहते हैं कि जनता की जीत हुई तो मैं उसमें कोई अड़चन की बात नहीं समझता हूं। लेकिन अगर यह कहा जाय कि जनता के विरोधी ही ठेकेदार हैं तो यह मैं मानने के लिये तैयार नहीं हूं। मैं राजनैतिक इंटरमीडियरीज नहीं चाहता हूं। कोई कुछ भी कहे लेकिन यह सत्य है कि अगर आज कोई जनता की रिप्रेजेंटेटिव बाडी है तो वह कांग्रेस है। जब कांग्रेस पीपिल्स पार्टी नहीं रहेगी तो वह कांग्रेस कांग्रेस नहीं रहेगी।

यह भी हमको बताया कि इससे बिजनेस के अन्दर बहुत डिप्रेशन आ जायगा। बिजनैस बरबाद हो जायगी लेकिन इसकी कोई मिसाल नहीं दी गयी। मेरा ख्याल है कि इस प्राविजन से कोई ऐसी बात नहीं होगी। अगर कोई ऐसा अंदेशा हो भी तो हमारी यह विशेषरूप से कोशिश होनी चाहिये कि प्रदेश की इंडस्ट्री को कोई धक्का न पहुंचे। मैं इसके लिये एक सुझाव प्रस्तुत करना चाहता हूं, माननीय वित्त मंत्री जी इस समय नहीं हैं,

[श्री नवल किशोर]

पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी साहब उन तक मेरी बात को पहुंचा दें, वह यह कि यहां बहुत से सवाल जूते और बर्तन वगैरह के उठाये गये तथा इस तरह का भी एक सवाल उठाया गया कि काटेज इंडस्ट्रीज को इससे कोई नुकसान नहीं होना चाहिये। मैं इससे इत्तिफाक करता हूं कि हमें कोई ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिये जिससे किसी किस्म की काटेज इंडस्ट्री को हानि पहुंचे। जैसे तेल की इंडस्ट्री हमारे सूबे में बहुत कम है। अच्छा तो यह हो कि इंडस्ट्रीज मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर एक साथ बैठें और आपस में बातचीत करें कि इससे इंडस्ट्री को क्या-क्या दिक्कतें हो सकती हैं, वे इसको सोचें और सोचने के बाद ऐसा हल निकालें जिससे जहां तक संभव हो सके हमारी इंडस्ट्रीज को कोई हानि न पहुंचने पाये।

अलावा इसके दो चार बातें मैं भी माननीय मंत्री जी की सेवा में पेश करना चाहता हूं। यह तो उन्होंने कल घोषणा कर ही दी कि सरकार की नीति जहां तक संभव हो सकेगा सिंगिल प्वाइन्ट टैक्सेशन की होगी। उन्होंने यह भी संकेत किया कि ६ महीने में एक दूसरा बड़ा कांप्रीहेंसिव बिल लाया जायगा जिसके इस वक्त लाने में कुछ ऐंडमिनिस्ट्रेटिव दिक्कतें हैं। ट्रेडर्स को रजिस्टर करना है तथा यह भी तय करना है कि सिंगिल प्वाइन्ट टैक्स हो तो किस प्वाइन्ट पर हो। उन्होंने कुछ चीजें छोड़ी भी हैं और कुछ चीजों पर टैक्स कम किया है। मैं इसके लिये उन्हें बधाई देता हूं। लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि एक बड़ी भारी समस्या हमारे सामने गल्ले की है। गल्ले के ऊपर जिस समय यह बिल आया उस में मल्टिपिल प्वाइन्ट टैक्स की बात थी लेकिन अब हम जानते हैं कि ६ महीने के बाद जैसा कि मंत्री जी ने कहा वह सिंगिल प्वाइन्ट टैक्स हो जायगा। अच्छा हो कि हम इस बात को सोचें कि जैसी कि घोषणा है कि ६ महीने के बाद वह सिंगिल प्वाइन्ट टैक्स होगा मगर इनटेरिम पीरियड में चाहे वह २ महीने, ६ महीने या एक साल का जितना भी हो उसको उस समय तक के लिये १ पैसा मल्टिपिल प्वाइन्ट कर दिया जाय। इस संबंध में यह मेरा स्पष्ट सुझाव है। इसके अलावा छूट आदि की यहां बातें हुई। उनके बारे में न कहकर मैं यह कहूंगा कि कुछ चीजें ऐसी भी हैं जिन पर टैक्स बढ़ सकता है, उनके बारे में सरकार सोचे और गौर करे। मिसाल के तौर पर पेट्रोल है और बहुत सी ऐसी भी चीजें हैं जो इसमें नहीं आ सकती हैं जैसे बेटिंग टैक्स है, एन्टरटेनमेंट टैक्स है लेकिन यह बात देखने की है कि इस तरह से हमारी आमदनी कितनी बढ़ सकती है और अधिक से अधिक रेवेन्यू जो मिल सकती है उसको वसूल करने की पूरी-पूरी कोशिश की जाय।

एक बेसिक लेवी की बात कही गई और माननीय वित्त मंत्री जी ने भी भी अपनी स्पीच में कहा कि जिस समय सिंगिल प्वाइन्ट सेल टैक्स लगाया जायगा उस समय इस बात को देख लिया जायगा कि एक बेसिक लेवी रहे जो कि ८ आना सैकड़ा हो या कुछ हो वही सब चीजों पर रहे जिस तरह से कि टैक्सेशन इन्क्वायरी कमेटी की भी सिफारिश है, तो इस चीज को भी हमें देखना चाहिये।

इसके अलावा कुछ कानूनी सुविधायें का भी सवाल है जो लोगों को मिलनी चाहिये और जैसा कि माननीय मंत्री जी ने कहा कि जो कुछ भी तरमीमें हुई हैं वह अधिकांश तौर पर जो इंडस्ट्रियल डेपुटेशन वगैरह आये या व्यापारी लोग मिले या उनके जो और साथी हैं जिनके साथ उनको काम करने का मौका मिला उनसे आपस में विचार विनिमय के बाद ही किये गये हैं। लेकिन मेरा एक सुझाव है वह यह है कि जिस तरह से कि इनकम टैक्स में होता है कि जब असेसमेंट होता है तब अगर किसी को उसमें आपत्ति होती है तो वह इस बात की छूट पाता है कि वह जितना उचित समझता है कि होना चाहिये उतने के हिसाब से पैसा जमा कर देता है और बाकी के लिये उसको स्टे आर्डर्स मिल जाते हैं। मैं समझता हूं कि इस तरह की सुविधा इस बिल में भी होनी चाहिये। मैं यह सुझाव इसलिये दे रहा हूं कि जो दूसरा बिल आगे आये उसमें इस बात का जरूर ध्यान रखा जाय।

एक चीज यह भी है कि इस बिल में डेफिनिशन्स वगैरा में और किसी धारा में किसी तरह की जहां तक हो सके एमबिगुइटी नहीं होनी चाहिये कि जिससे बाद में किसी तरह की गड़बड़ इन्टरप्रिटेशन या कानून के समझने में हो। एक ही रेंज में सारे कानून को आना चाहिये और एक क्लीयर डिफाइनिंग होना चाहिये ताकि बाद में दूकानदारों को इस की वजह से कोई दिक्कत न हो। इसके अलावा यह भी कहा गया कि सरकार का ऐसा ख्याल था कि बजाय इसके कि दूकानदार चार-चार, छः-छः बार सेल टैक्स आफिस में दौड़-दौड़ कर जायं सेल्स टैक्स आफिसर्स टाउन्स में जायं और वह वहीं आन दि स्पाट जा कर सब चीजें देख कर ऐसेसमेंट करें। इससे दूकानदारों को बहुत फेसिलिटी होगी। इसका तजुर्बा किया जाय कि इसमें कहां तक कितनी सफलता मिलती है।

एवेजन के बारे में भी यहां कहा गया और यह सही बात है कि सेल टैक्स का ही नहीं बल्कि दुनिया का कोई टैक्स ऐसा नहीं है जिसका एवेजन न होता हो। यह जाहिर है कि जब यह बात सही है तो यह बात भी सही है कि जितना पैसा एवेड होता है अगर उस का एवेजन बन्द कर दिया जाय तो वह पैसा सरकार की ट्रेजरी में आने लगेगा और उससे सरकार की आय बढ़ेगी। इसके संबंध में भी इस बिल में एक संकेतमात्र यह है कि अगर पता चले कि किसी केस में एसेसमेंट गलत हुआ है तो उनको हक होगा कि वह उसको रिओपिन कर सकते हैं। इससे कुछ एवेजन दूर हो सकता है। सिर्फ इतना ही कदम काफी नहीं है और हमें इस संबंध में सख्त कदम उठाना जरूरी है ताकि एवेजन रुक सके। इसके अलावा इन्टर-स्टेट सेल्स टैक्स के लिये भी कोई नियम बनाये जायं। तो जब इन्टर-स्टेट सेल टैक्स का अधिनियम बन जायगा तो मैं समझता हूं कि स्मगलिंग की जो स्थिति आज है वह उसके बाद रहने वाली नहीं है। मगर इसमें दो राय नहीं हो सकतीं कि जहां तक इस वक्त इवेजन का सवाल है इसको रोकना चाहिये। इसके लिये और अधिक न कहते हुये इतना अवश्य कहूंगा जैसा कि वित्त मंत्री जी ने कहा कि जो विधेयक है यह आखिरी अल्फाज नहीं है। आज भी हमको और सारे सदन को सोचने का मौका है। इस दृष्टि से इसको सोचें कि जितना पैसा डेवलपमेंट के लिये चाहिये उतना पैसा मिल जाय और जितना भी कम से कम बर्डन लोगों पर हो उतना ही ज्यादा अच्छा है। इस नीति को मानते हुये हमको चलना है और हमको चलना चाहिये। यह सही है कि यह नागवार जो जिम्मेदारी टैक्सेशन की सरकार के ऊपर है। आज इत्तिफाक से कांग्रेस की सरकार है। कल को दूसरी सरकार बन सकती है लिहाजा इस प्रदेश में या देश में आम तौर से टैक्सेशन के खिलाफ कोई वातावरण पैदा करने से मैं समझता हूं कि उससे न इस प्रदेश का हित होगा और न इस देश का हित होगा।

यह सही है कि यदि कोई चीज गलत है टैक्सेशन में या आप समझें कि कोई चीज गलत है तो हमें अधिकार है कि वह बात कहें और कोशिश करें कि गलत चीज ठीक होना चाहिये लेकिन आम तौर से स्वीपिंग ढंग से टैक्सेशन को कंडेम कर दिया जाय तो मैं समझता हूं कि यह उचित नहीं है। आखिर में माननीय पालीवाल जी ने यह कहा कि जब तक यह बिल वापस न होगा तब तक न वह चैन लेंगे और न चैन लेने देंगे। मैं पूर्णतया इसको नहीं समझा लेकिन जो उन्हों ने कुछ रूपरेखा उसकी बताई कि वह सत्याग्रह करेंगे, और न जाने क्या-क्या करेंगे तो मैं समझता हूं कि यह उन जैसे सीजंड पार्लियामेंटेरियन के लिये जिन्होंने स्वयं भी गवर्नमेंट का संचालन किया हो एक सहयोगी के नाते इस तरह की भाषा बोलना यहां अधिक उचित नहीं था। यह भी वह जानते हैं जहां तक मेरा संबंध है मैं तो उम्र में काफी छोटा हूं और बहुत कुछ उन जैसे ही नेताओं से सीखा हूं कि कांग्रेस पार्टी भी आसानी से इस तरह की धौंस, दबाव या डर से काबू में आने वाली नहीं है। उसके ऊपर एक हिस्टोरिकल जिम्मेदारी है। इतिहास ने एक जिम्मेदारी उसको दी है। उसको डागमेटिक नहीं होना चाहिये। यह भी सही है कि डिफायंट एटीट्यूड एडाप्ट नहीं करना चाहिये लेकिन यह भी सही है कि जो जिम्मेदारियां उस पर हैं उनको ईमानदारी से यदि उसको अंजाम देना है तो उसको अपनी जिम्मेदारियों से हरगिज हटना नहीं चाहिये इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

*श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—श्रीमन्, जिस विधेयक की हम सप्ताहों से प्रतिक्षा कर रहे थे वह विधेयक अन्ततोगत्वा हमारे सामने प्रस्तुत हुआ और बहुत प्रतीक्षा के बाद हमने उस पर वादविवाद भी शुरू किया। कुछ ऐसा लगता था कि यह विधेयक गीता की उस परिभाषा को सार्थक नहीं करता जो कि गीता के पहले अध्याय में वर्णसंकर संतान के लिये की गई थी। आशा इस बात की थी कि जो अध्यादेश जिसके कारण इस विधेयक की उत्पत्ति हुई और जिस अध्यादेश के स्थान पर यह विधेयक अब पारित किया जाने वाला है उस अध्यादेश की आधारभूत गलतियों को इस विधेयक के द्वारा दुरुस्त किया जायेगा। यह बात सही है कि जनता के आन्दोलन के भार से प्रेरित होकर, कांग्रेस पार्टी के अन्दर भी प्रगतिशील दबावों से प्रेरित होकर और गांधीवाद से पल्लवित दिन-प्रति-दिन भूलती हुई भावनाओं से प्रेरित होकर नमक पर कर हटाया गया और पुस्तक और एक्सरसाइज बुक्स आदि दो एक वस्तुओं पर से भी कर हटा लिया गया। लेकिन उस अध्यादेश द्वारा जिन सिद्धांतों का हनन टैक्सों के सम्बन्ध में इस प्रदेश में हुआ वह अवर्णनीय है और इस विधेयक के द्वारा उसमें और भी मोहर लगा दी गई है। इसके पहले कि इस विधेयक के सिद्धांतों क सम्बन्ध में कुछ कहूं मैं कुछ अध्यादेश से सम्बन्धित विषयों पर कुछ निवेदन करना चाहता हूं क्योंकि वह विषय इस विधेयक से अत्यंत सार्थक भी है। श्रीमन्, आपको याद होगा कि जब हम लोगों ने इस सदन में अध्यादेश के विरुद्ध एक प्रस्ताव पारित किया था तो उसमें यह संकेत प्रकट किया था कि राष्ट्रपति की अनुमति इस अध्यादेश के हेतु ठीक प्रकार से नहीं ली गई। जो घटनायें बाद को हुईं उनसे इस बात की पुष्टि होती है कि सेल्स टैक्स के निश्चय को करने में प्रदेशीय सरकार और केन्द्रीय सरकार के बीच परामर्श ठीक प्रकार से नहीं हो पाया। क्या यह बात सही नहीं है कि केन्द्र के वित मंत्री को इस यू० पी० के सेल्स टैक्स के सम्बन्ध में दो बार वक्तव्य पार्लियामेंट में देना पड़ा और क्या यह बात भी सही नहीं है कि सेल्स टैक्स विधेयक और अध्यादेश से सम्बन्धित विषयों में यू० पी० सरकार और केन्द्रीय सरकार के परस्पर विरोधी वक्तव्य निकले थे?

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से दो एक उदाहरण देना चाहता हूं। देशमुख जी ने जो दूसरा स्पष्टीकरण पार्लियामेंट में दिया उसमें उन्होंने केवल मार्च २९ के इंस्ट्रक्शन का जिक्र किया। देशमुख जी ने अपने तैयार किये हुये बयान में यह कहा कि अध्यादेश के सम्बन्ध में जो अनुमति दी गई वह मार्च २९ को दी गई थी। मार्च २९ को दी गई अनुमति और यह कहा गया कि यू० पी० सरकार को जो काटन, आयरन, स्टील वगैरह छः चीजें थीं, उनके सम्बन्ध में इस आर्डिनेन्स को ही संशोधित कर लेना चाहिये। लेकिन जो हाईकोर्ट में यू० पी० की गवर्नमेंट ने कांउटर एफेडेविट दिया उस में यू० पी० की सरकार ने एक तीसरे इंस्ट्रक्शन का जिक्र किया जिसमें उन्होंने बतलाया कि ३१ मार्च के दिन यानी आर्डिनेन्स जिस दिन निकला उस दिन इंस्ट्रक्शन्स आये और उन इंस्ट्रक्शन्स में राष्ट्रपति ने यह कहा कि इस समय तो आप आर्डिनेन्स निकाल दें, बाद में जिस समय विधेयक प्रस्तुत करेंगे तो आप संशोधन कर लीजियेगा। यह इतनी महत्वपूर्ण बात है कि मैं इसको फिर दोहराता हूं। देशमुख जी ने जो पार्लियामेंट में दूसरा स्पष्टीकरण दिया उस स्पष्टीकरण में ३१ मार्च के तीसरे इंस्ट्रक्शन का कोई जिक्र नहीं था, क्यों? क्या हम यह विश्वास करें कि देशमुख जी को यह पता नहीं था कि कोई तीसरा इंस्ट्रक्शन दिया गया, जिसका पता यू० पी० गवर्नमेंट को था। वित्तीय मामलों में होम मिनिस्ट्री का शब्द आखिरी शब्द नहीं होगा। यू०पी० इनफारमेंशन डिपार्टमेंट के द्वारा जो सूचना निकाली गई देशमुख जी पहले वक्तव्य के अवसर पर उसमें कहा गया कि प्रेसीडेंट को इंस्ट्रक्शन्स होम मिनिस्ट्री ने दी थी। क्या वित्तीय मामलों में हम यह समझें एक क्षण के लिये कि अन्तिम शब्द गृह मंत्रालय भी दे सकता है? क्या गृह मंत्रालय जो सुझाव दे वह अन्तिम माना जा सकता है?

एक सदस्य—मेरे पास सारे अखबार रखे हैं, वह पढ़िये और देखिये और अगर मैं गलत कहता हूं तो बतलाइये।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री नारायण दत्त तिवारी--तो कोई सूचना जो सरकारी तथ्य और आंकड़े रखे गये हों उनसे स्पष्ट होता है कि कोई सूचना ३१ मार्च को इंस्ट्रक्शन्स की सेंट्रल गवर्नमेंट की फाइनेन्स मिनिस्ट्री को नहीं थी। दूसरी बात जो पार्लियामेंट में माननीय तारकेश्वरी सिनहा जी ने एक प्रश्न के उत्तर में बताया, उन्होंने कहा कि जो अनाजों पर टैक्स लगाया जा रहा है, यह टैक्स लगाया जाना क्या सरकार की फूड प्राइस सपोर्ट पालसी के अनुसार है या नहीं। तो देशमुख जी ने अपने उत्तर में कहा कि "इट वाज रादर अनफार्चुनेट" यह दुर्भाग्य की बात थी कि इस आर्डिनेन्स के सम्बन्ध में जो अनाज पर टैक्स लगाया गया उस पर फूड ऐंड ऐग्रीकल्चर मिनिस्ट्री से कोई सलह नहीं मांगी गयी ? यह उन का उत्तर पार्लियामेंन्ट में अत्यन्त जुम्मेदारी के साथ जो दिया गया किस ओर निर्देश करता है। यह स्पष्टतः निर्देश करता है कि इस विधेयक के पीछे, इस विधेयक के अनुसार जिन महत्वपूर्ण टैक्सों को लगाया जा रहा है इनमें केन्द्रीय सरकार के विधायकों का मस्तिष्क साफ नहीं कि फूड ऐग्रीकल्चरल मिनिस्ट्री से राय पूछ लें। एक तरफ प्राइस सपोर्ट की पालिसी में लोन देने की बात कही गयी, दूसरी तरफ उस के विरुद्ध चिन्तामणि देशमुख जी खुद कहते हैं कि "इट वाज रादर अनफार्चुनेट"। तो श्रीमन्, इस से यह बिल्कुल स्पष्ट होता है कि केन्द्रीय सरकार और प्रदेशीय सरकार की पटरी इस सम्बन्ध में नहीं बैठती। जिन विभागों से इस सम्बन्ध में पूछना आवश्यक था उनसे भी इस टैक्स के सम्बन्ध में कोई परामर्श निश्चित रूप से नहीं लिया गया।

अब जहां तक इस विधेयक की धाराओं का प्रश्न है सिद्धांत के रूप में हम इस विधेयक को ४ हिस्सों में बांट सकते हैं। एक तो वह हिस्सा जिसके द्वारा टैक्स बढ़ाये जा रहे हैं। दूसरा वह हिस्सा जिसके द्वारा कुछ वस्तुओं पर ऐक्जेम्पसन्स, टैक्स की माफी दी जा रही है या हटाया जा रहा है। तीसरा वह हिस्सा जो कि सेल्स टैक्स के एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन और अदालती मामलों से अपील और रिवीजन के सम्बन्ध में और चौथा वह हिस्सा कि जिस के मातहत सेल्स टैक्स के इवेजन को रोकने के लिये कार्यवाहियां की जा रही हैं। तो मैं इन चारों हिस्सों को अलग-अलग सिद्धांत के रूप में लूंगा।

पहली बात है टैक्स का बढ़ाया जाना। मेरे आदरणीय साथी श्री पालीवाल जी ने जो कि आज इस सदन में सबसे पुराने पार्लियामेन्टेरियन माने जा सकते हैं और सौभाग्य से आज हमारे बीच उपस्थित हैं। उन्होंने अपने सारगर्भित भाषण में यह स्पष्ट कर दिया कि किस प्रकार से प्रदेश की वित्तीय स्थिति में अधिक बचत की जा सकती है। मैं उन सब तर्कों को दोहराना नहीं चाहता। मैं तो केवल नवलकिशोर जी को याद दिलाना चाहता हूं जिन्होंने उनका उत्तर देने की चेष्टा की। वह तो चेयर मैन ऐस्टीमेट कमेटी के हैं न ? स्वयं उन्होंने कई बार कहा है कि इस सदन की प्राक्कलन समिति ने जिन प्राक्कलनों के सम्बन्ध में रिपोर्ट दी है उन पर इस सदन में कोई कार्यवाही आज तक निश्चित रूप से नहीं हुई, ८ या ९ रिपोर्ट्स एस्टीमेट्स कमेटी की अलग-अलग विभागों के बारे में निकल चुकी हैं विद्युत विभाग से लेकर सिंचाई विभाग तक तो उन्होंने भी बचत की सिफारिशें कीं कि किस प्रकार विभागों में बचत हो सकती है। आदरणीय परिपूर्णानन्द जी गर्दन हिला रहें हैं। अब कहां से मान लें कि एस्टीमेट्स कमेटी की रिपोर्ट यहां पेश नहीं हुई अगर वह कहें कि नहीं पेश हुई तो मैं मानूं क्या यह बात सही नहीं है कि एस्टीमेट्स कमेटी की रिपोर्टों के ऊपर सरकार ने कोई कार्यवाही नहीं की ? कितना रूपया उनसे बचा उनकी कार्यवाहियों के अनुसार कार्य करने के बाद और किन सिफारिसों को सरकार ने माना ? आज तक उसकी रिपोर्ट हमारे सामने आने को है, नहीं आयी। मुख्य मंत्री जी ने कई बार कहा कि आयेगी, आज तक हम उसकी प्रतीक्षा में हैं। इतने बचत के उपाय बताये गये, लेकिन किसी पर आजतक कोई कार्यवाही हुई ? हमारा तो तजुर्बा यह है कि चाहे सन् १९५० की इकनामी रिसोंसेज इन्क्योरेन्स कमेटी हो, चाहे वह १९५४ की इकानोमी कमेटी हो, चाहे वह असेम्बली की एस्टीमेट्स कमेटी हो, सरकार को इन कमेटियों पर भरोसा नहीं है। इन कमेटीयों की सिफारिशों की कोई इज्जत नहीं है, कोई वकत नहीं, मैं तो साफ-साफ कहना

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

चाहता हूं। तो इस लिये कभी-कभी तो इच्छा होती है कि सरकार से हम सब लोग मिलकर प्रार्थना करें, मैं आप से सच कहता हूं कि मुझे विश्वास है कि उधर के बैठने वाले भी उनका बहुमत भी यही इच्छा रखता होगा कि हम सब लोग मिलकर सरकार से प्रार्थना करें कि भगवान के लिये आप इन कमेंटियों को न बिठाएं तो ज्यादा अच्छा हो और ताजी मिसाल लीजिये। यू० पी० सेल्स टैक्स कमेटी की रिपोर्ट का क्या हुआ। सवा साल उसने मेहनत की। माननीय परिपूर्णानन्दजी ने भी और सभी लोगों ने, कहां-कहां न मालूम दौड़े, ठोकरें खाईं, सर खपाया मेहनत की इस उम्मीद से कि हम सेल्स टैक्स कमेटी की रिपोर्ट जब दे देंगे तब उस पर कोई कानून बनेगा। अब गलत बात कहते हैं। हाफिज जी ने, हमारे फाइनेन्स मिनिस्टर साहब ने जब सेल्स टैक्स कमेटी के टर्म्स आफ रेफरेंन्स के बारे में भाषण दिया तो उन्होंने कहा कि आप की काबलियत मुल्क की मुहब्बत से मुझे उम्मीद है कि आप इस काम में हमारी मदद करेंगे और तवज्जह के साथ जो बातें मैंने आप के सामने रक्खीं उन पर गौर करके गवर्नमेंट को मशविरा देने की कोशिश करेंगे और गवर्नमेंट उस पर गौर करके अमल करने की कोशिश करेगी। तो वह सेल्स टैक्स कमेटी, जिस को सरकार ने पूरा अधिकार देकर कहा कि वह सिफारिश करे, उसकी मेहनतों पर भी पानी फिर गया। उस की रिपोर्ट का इंतजार नहीं, कोई उसकी प्रतिक्षा नहीं और यह सेल्स टैक्स अध्यादेश और विधेयक . . .

श्री परिपूर्णानन्द वर्मा--क्या उस कमेटी ने रिपोर्ट दे दी ?

श्री नारायणदत्त तिवारी--उस कमेटी ने रिपोर्ट नहीं दी। वही तो मैं भी कह रहा हूं कि उस कमेटी की रिपोर्ट की प्रतीक्षा करने की भी आप को आवश्यकता नहीं हुई।

श्री अधिष्ठाता--आप चेयर को ऐड्रेस करें तो ज्यादा अच्छा है।

श्री नारायणदत्त तिवारी--अगर माननीय परिपूर्णानन्दजी इंटरप्शन का जवाब चाहते हैं तो मैं उसके लिये पूरी तरह तय्यार हूं। मैं इसी वक्त उनका जबाब देने के लिये तैयार हूं।

मैं निवेदन कर रहा था कि यू०पी० सेल्स टैक्स कमेटी की रिपोर्ट की प्रतीक्षा नहीं की गई और आखिर सेल्स टैक्स कमेटी ने तो रिपोर्ट दे ही दी थी। जो कि सारे प्रदेश के टैक्स के सम्बन्ध में सिफारिश करने वाली थी वह सेल्स टैक्स कमेटी नें रिपोर्ट दी थी। मैंने उस समय मांग की थी कि सेल्स टैक्स कमेटी की उस रिपोर्ट को ही, कम से कम प्रकाशित किया जाय और आज भी मैं इस बात की मांग करूंगा ताकि सदन गलतफहमी में न रहे और हमारे माननीय सदस्य गलतफहमी में न रहें। कम से कम सेल्स टैक्स कमेटी की उस रिपोर्ट को ही प्रकाशित किया जाय, उसने क्या सिफारिश की। दूसरी बात, माननीय वित्त मंत्री जी उसको कई बार कह चुके हैं और एक नया बिक्री कर नामक सूचना विभाग की ओर से उत्तर छपा है उसमें भी यह बात कही गई है। न मालूम कैसे कही जाती है चूंकि मद्रास में सेल्स टैक्स से नौ करोड़ रूपये की आमदनी होती है चूंकि बम्बई में सेल्स टैक्स से सोलह करोड़ की आमदनी होती है इसलिये यहां भी सेल्स टैक्स बढ़ना चाहिये। क्या तर्क है, बलिहारी है इस तर्क की। आप बम्बई और मद्रास की नकल करने चले हैं। जरा बतलाइये कि क्या बम्बई में शराबबन्दी है या नहीं ? जरा बतलाइए कि मद्रास में शराब बन्दी है या नहीं और उत्तर प्रदेश में कितनी शराबबन्दी है और कहां-कहां शराबबन्दी है? क्या यह बात सही नहीं है कि जब कि न मद्रास के अन्दर एक्साइज के बजट में ४२लाख रुपये की आमदनी होती है, वहां यू०पी० की सरकार साढ़े पांच करोड़ रूपये की आमदनी एक्साइज से करती है। सारे भारतवर्ष में "अ" श्रेणी के राज्यों में और "ब" श्रेणी के राज्यों में सबसे अधिक अगर आमदनी हो रही है शराब से तो हमारी यू० पी० सरकार को हो रही है। बम्बई सरकार ने जिस समय सेल्स टैक्स बढ़ाया उन्होंने अनाज पर नहीं बढ़ाया, यह आप मिसाल नहीं दे सकते कि बम्बई ने अनाज पर भी सेल्स टैक्स लगाया। बम्बई की सरकार ने यह भी दावा किया कि शराबबन्दी करने में सामान्य जनता जो शराब में रुपया लगाती थी, वह रुपया अब वह नहीं

लगाती, इसलिये उसकी पर्चेजिंग पावर जो है लोगों की वह बढ गई है। ३४ करोड़ रुपयों का हिसाब लगाया उन्होंने कि बम्बई में ३४ करोड़ रुपया जनता शराब पर खर्च करती थी, अब वह रुपया दैनिक आवश्यकताओं की वस्तुओं पर खर्च कर सकती है, इसलिये हम सेल्स टैक्स बढ़ा रहे हैं। यह माना जाय या न माना जाय लेकिन उन के पास चेहरा दिखाने को यह तर्क था कि हमने शराबबन्दी की, इसलिये हम सेल्स टैक्स लगा रहे हैं। और आप की क्या योजना है? हमारी यू० पी० सरकार की जो नीति है वह मुख्य मंत्री जी ने स्पष्ट कर दी की हमारा निकट भविष्य में शराबबंन्दी करने का कोई इरादा नहीं है।

फिर दूसरी बात लीजिये क्यों कि आप मद्रास और बम्बई से तुलना करने चले हैं, क्या यह सही नहीं है कि आज यू० पी० में पर एकड़ लैंड रेवेन्यू भूमि का लगान, हिन्दुस्तान के सब और श्रेणी के राज्यों से ज्यादा है? क्या यह बात सही नहीं है कि हमारी यू० पी० सरकार को लगान के रूप से सबसे अधिक आमदनी होती है सारे भारतवर्ष में? बम्बई और मद्रास, जहां की सरकार बार-बार जिक्र करती है वहां की भूमि के लगान सम्बन्धी आमदनी यू० पी० के आधे के बराबर है। एक-आधा प्वाइंट जरूर उससे ज्यादा हो, लेकिन लगभग आधे के है। तो इस प्रकार से तुलना करना किसी प्रकार शोभा नहीं देता। फिर आगे आप चलें, सरकार बतलाये जरा कि क्या मद्रास और बम्बई की पर कैपिटा इनकम यू० पी से कम है, यू० पी० के बराबर है या यू० पी से ज्यादा है? क्या यह बात सही नहीं है कि बम्बई और मद्रास की पर कैपिटा इनकम प्रति व्यक्ति की आमदनी यू० पी० के प्रति व्यक्ति की आमदनी से कहीं ज्यादा है? जो सूचना बहुत चेष्टा करने के बाद हमें मिल पायी उसके अनुसार बम्बई में सन् ४९–५० में पर कैपिटा आमदनी २४५.२८ यानी २४५ रुपया है अरबन और रूरल एरिया दोनों को मिलाकर और मद्रास में ५०–५१ में पर कैपिटा इनकम देहाती और शहरी दोनो क्षेत्रों को मिलाकर २५०.५ है और यू० पी० में यहां की प्रथम पंचवर्षीय योजना को जोड़कर भी चलें तो वह २१२.७ है। ये सब फिगर्स जो हैं वह आप के बुलेटिन आफ स्टेटिस्टिक्स के अनुसार अधिकृत रूप से मौजूद हैं और बम्बई के बुलेटिन आफ स्टेटिस्टिक्स मौजूद हैं। तो श्रीमन् सोचें कि बम्बई में भी कुछ तरक्की हुई होगी और जिस प्रकार यू० पी० की सरकार दावा करती है उसी प्रकार बम्बई की भी करती होगी। तो अगर यू० पी० की तरह वहां भी तरक्की मान लें पर कैपिटा में तो वह ३०० रुपया होनी चहिये और मद्रास की ३२५ रु० होनी चहिये। हम मानकर ना भी चलें, हम ४८–४९ के आंकड़ों को लेकर भी चलें तब भी यह बात स्पष्ट है कि मद्रास की और बम्बई की पर कैपिटा इनकम यू० पी० की पर कैपिटा इनकम से कहीं ज्यादा है, कम से कम एक-तिहाई ज्यादा तो है ही। और अगर यह बात सही है तो यह बात भी सही है कि मद्रास और बम्बई में प्रति व्यक्ति की टैक्स देने की शक्ति भी ज्यादा है। फिर आगे चलकर हम यह देखें कि बम्बई की विशेष रूप से तुलना की गयी है बिक्री कर पैम्फलेट्स में। बम्बई से इतनी तुलना की गई है लेकिन सरकार बम्बई शहर को भूल जाती है कि बम्बई शहर से कितनी आमदनी है। सब से ज्यादा आमदनी इनकम टैक्स से अगर केन्द्रीय सरकार को होती है तो बम्बई शहर से होती है। तो जहां पर औद्योगीकरण ज्यादा हो, बम्बई, अहमदाबाद जैसे औद्योगिक शहर हों जो कि हमारे कृषि प्रधान प्रदेश से अधिक उद्योग प्रधान प्रदेश हैं उनको उदाहरण मान कर सेल्स टैक्स बढ़ाते हैं तो फिर क्या कहा जाय ऐसी नीति के लिये? आप तुलना करें जरा कृषि प्रधान प्रदेशों से। आप तुलना करें ऐसे प्रदेशों से जो यू० पी० के बराबर कृषि प्रधान हैं। यू० पी० में क्या यह सही नहीं है कि पिछले पांच छ : सालों में देहाती क्षेत्रों की पर कैपिटा इनकम घटी है। जब कि १९५० में २ सौ रुपया पर कैपिटा इनकम थी वह सन् १९५४ में घटकर १५० रह गई। जिस प्रदेश की ८० प्रतिशत जनता की पर-कैपिटा इनकम घट रही है ५० रुपये के लगभग पांच सालों में घटी हो उस प्रदेश में टैक्स का बढ़ाना और सीमा से बाहर, ताकत से बाहर बढ़ाना कहां तक उचित है।

इसके साथ ही साथ इस बिक्री कर पैम्फलेट में वहां के खर्च का जिक्र किया गया है कि मद्रास में और बम्बई में इतना खर्चा हुआ जब हमारे यहां खर्च कम है। अब क्या बताऊं श्रीमन् इतने

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

गलत आंकड़े हैं, मैं केवल समय बचाने के लिये इतना कहना चाहता हूं कि गवर्नमेंट आफ इंडिया की फाइव ईयर प्लान की प्रोग्रेस रिपोर्ट मेरे सामने है। इसके आंकड़े कि कितने-कितने खर्च अलग-अलग हुये वह इस बुलेटिन में प्रकाशित आंकड़े मिलते नहीं हैं। और सब से आश्चर्य की बात यह है कि इस पैम्फलेट में जो बहुत ज्यादा बांटा गया है कुछ अखबारों के मत प्रकाशित किये गये हैं इस विधेयक के सपोर्ट में और सम्पादक के नाम आये पत्रों को प्रकाशित किया गया है। मैं आप से सच कहना चाहता हूं और इस बात की मांग करना चाहता हूं कि अगर इस सरकार में जरा सी भी शर्म है तो उसको अपने सूचना विभाग के संचालक से जवाब तलब करना चाहिये कि क्यों उन्होंने इस प्रकार के पत्रों को और एडिटोरियल्स को सामने रखा।

नेशनल हेराल्ड और पायनियर का जिक्र इसमें किया गया। क्या यह बात सही नहीं है कि नेशनल हेराल्ड और पायनियर दोनों ने जैसे ही यह आर्डिनेन्स प्रकाशित हुआ इस का कड़ा विरोध किया। यह बात सही है कि उन्होंने हड़ताल के पक्ष का विरोध किया और दुकानें न खुलने का विरोध किया लेकिन यह कहना कि उन्होंने सारे बिक्री कर का समर्थन किया है। यह आत्मश्लाघा की पराकाष्ठा है। इससे सुन्दर शब्दावली मुझसे बन नहीं पड़ी और फिर ऐसे एडीटोरियल्स का हवाला दिया गया है और सम्पादकों के नाम पत्रों का हवाला दिया गया है। यह सही है कि कुछ दो चार पत्रों में लोगों ने इस का समर्थन किया हो, लेकिन असंख्य जो विरोध में पत्र छपे, अगर सत्यता है आप में तो दोनों पत्रों को छापा जाता।

'अमृत बाजार पत्रिका' के एडीटोरियल्स को क्यों नहीं छापा गया जो आजतक लगातार इस के विरुद्ध लिखता जा रहा है। 'हिन्दुस्तान टाइम्स' जिस को कांग्रेस का दिल्ली का मुख पत्र माना जाता है उस ने भी इस आर्डिनेन्स के खिलाफ लिखा। उसका कोई जिक्र नहीं है। मैं उन से इस बात का प्रोटेस्ट करता हूं कि शिक्षा विभाग को इस प्रकार मतमतान्तरों को तोड़-मरोड़ कर रखना खत्म करना चाहिये और अच्छा हो कि सूचना विभाग अगर भविष्य में इस प्रकार की चेष्टा न करे, इस प्रकार के गलत आंकड़े न दिया करें तो ठीक है।

टैक्स के सम्बन्ध में कहा गया है कि उत्तर प्रदेश में फी व्यक्ति ३.२७ रुपया लगता है और टैक्सेशन इन्क्वायरी कमीशन की रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि यू० पी० में प्रति व्यक्ति टैक्स ५.९८ है। अब टैक्सेशन इन्क्वायरी कमीशन की मानें या सूचना विभाग की मानें? उसकी बात मानें जिसकी सिफारिशों के आधार पर यह हो रहा है या सूचना विभाग को मानें?

(इस अवसर पर ३ बजकर ७ मिनट पर अधिष्ठाता श्री नेकराम शर्मा पीठासीन हुये।)

अब इस बिल के टैक्सेशन के सिद्धान्तों के विषय में मुझे केवल इतना कहना है कि सरकार को शायद मल्टीप्वाइंट और सिंगिल प्वाइंट टैक्स किसे कहते हैं इसकी परिभाषा तक मालूम नहीं है। मैं ऐसी गुस्ताखी कर रहा हूं माफ कीजियेगा लेकिन मल्टीप्वाइंट सेल्स टैक्स आप लगाते हैं और सिंगिल प्वाइंट सेल्स टैक्स आप लगाते हैं और अगर लगाते हैं तो उसके अनुसार यू० पी० में लग रहा है, यह हमको साफ नजर नहीं आता। इस विधेयक के पहले हमारे प्रान्त की स्कीम यह थी कि मल्टीप्वाइंट सेल्स टैक्स तीन पाई रुपया लगाने का हिसाब था और सिंगिल प्वाइंट सेल्स टैक्स एक आने के हिसाब से रेफ्रीजरेटर्स, मोटर वेहिकिल्स, सिनेमेटोग्राफिक गुड्स, इत्र वगैरह पर लगता था और दूसरे मालों पर तीन पैसे की दर से लगता था। अब आप तारीफ देखिये हमारी सरकार की मल्टीप्वाइन्ट सेल्स टैक्स तब लगता है जब कि सरकार यह निश्चिय करे कि हमको ज्यादा से ज्यादा विक्रेताओं से कर लेना है और अधिक से अधिक कमोडिटीज पर लेना है और कम से कम दर पर देना है। सिंगिल प्वाइंट

टैक्स तब लगता है जब कि सरकार यह फैसला करती है कि हमें कम से कम डीलर्स से लेना है, कुछ खास कमोडिटीज पर, जो बहुमत की वस्तुएं न हों, आन स्पेसिफाइड नम्बर आफ गुड्स पर लगाना है। यह सर्वमान्य नीति है हिन्दुस्तान के दूसरे प्रदेशों में और बाहर के देशों में भी। अब यहां क्या चमत्कार हो रहा है।

टैक्सेशन इन्क्वायरी कमीशन तो यह कहता है कि मल्टीप्वाइंट हाफ परसेंट के हिसाब से लगाइये। हमारी सरकार अधिकार क्या ले रही है? दो पैसे रुपया यानी ६ पाई रुपये के हिसाब से मल्टीप्वाइंट सेल्स टैक्स लगाने की बात कर रही है। टैक्सेशन इन्क्वायरी कमीशन कहता है कि १ पाई रुपये से ज्यादा नहीं होना चाहिये, हमारी सरकार उसे ६ गुना कर रही है। खूब मल्टीप्वाइंट सिद्धान्त माना आपने! अब सिंगिल प्वाइंट सिद्धान्त देखिये। टैक्सेशन इन्क्वायरी कमीशन ने यह कहा कि सिंगिल प्वाइंट ३० हजार की टैक्सेबिल टर्नओवर की लिमिट पर लगना चाहिये और खास स्पेसिफाइड गुड्स पर लगना चाहिये जिसकी दर को सरकार अपने राज्य की हालत को देख कर तय कर ले।

हमारी सरकार सिंगिल प्वाइंट और मल्टीप्वाइंट की लिमिट को एक किये दे रही है। १२ हजार सिंगिल प्वाइंट के लिये भी है और मल्टीप्वाइंट के लिये भी है! इन्क्वायरी कमीशन और सेल्स टैक्स के एक्सपर्ट्स कहते हैं कि मल्टी प्वाइंट और सिंगिल प्वाइंट के टर्नओवर की लिमिट अलग-अलग होनी चाहिये। हमारी यह सरकार दोनों को एक कर देती है। टैक्सेशन इन्क्वायरी कमीशन कहता है कि ३० हजार लिमिट होनी चाहिये और यह सरकार १२ हजार कर देती है। इसके बाद इसी विधेयक में आप धारा 3(a) देखें। अब सिंगिल प्वाइंट टैक्स १ आना रुपया के हिसाब से किसी भी बिक्री के माल पर लगाया जा सकता है पहले ९ पाई था। अब तक एक आना केवल लग्जरी गुड्स पर लगता था लेकिन अब एसेन्शल गुड्स पर भी १ आना लगेगा। तो जो पहले विधेयक में थोड़ा बहुत अक्लमन्दी का काम भी सरकार ने किया था वह भी इस विधेयक के द्वारा खत्म कर दिया गया। सरकार ने एक बहुत बड़ी गुस्ताखी की है कि उसने इसके आब्जेक्ट्स ऐंड रीजन्स में लिख दिया है कि टैक्सेशन इंक्वायरी कमीशन की सिफारिशों के अनुसार तो मैं माननीय वित्त मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि आपने कौन सी उसकी रिकमंडेशन मानी। केवल एक रिकमंडेशन मानी वह भी जब केन्द्र से हुक्म आया। वह कौन सी है? काटन, राहाइड, आयरन स्टील वगैरह रा मैटीरियल हैं। इनसे जो वस्तुएं बनती हैं उनके दाम न बढ़ जायं। इसलिये इसके ऊपर तीन पाई रखा है। इसको छोड़ कर बाकी सारी सिफारिशों में से एक को भी नहीं माना है। मैं इसको दावे के साथ जानना चाहूंगा कि कौन सी रिकमंडेशन मानी है? यह जो एक रिकमंडेशन मानी है वह भी गलत मानी है। चाहिये तो यह था कि जब सेंट्रल का लेजिस्लेशन हो जाता, इंटर--(स्टेट्स लेजिस्लेशन हो जाता, इसके बाद आप इसको लाते) यह भी गलत तरीका है।

अब यहां तक तो रही सिंगल प्वाइंट और मल्टीप्वाइंट की बात। एक नई चीज इसमें जोड़ दी गई है जिसे हमें भूलनी नहीं चाहिये। जो गुड्स का इम्पोर्टर है उसके लिये टैक्सेशन टर्न ओवर की लिमिट खत्म कर दी गई है। नई धारा ३ बड़ी आश्चर्य-जनक है। जैसे वित्त मंत्री महोदय ने जिस समय कहा तो यह मालूम पड़ता था कि बुलन्दशहर और मेरठ में आप न जानें कितना रिलीफ दे रहे हैं। अब यह जो इम्पोर्ट करता है उसके लिये टैक्स की कोई लिमिट टर्न ओवर की नहीं है। अगर एक हजार का माल बेचता है तो उसके ऊपर सेल्स टैक्स नहीं लगेगा। जो इस राज्य का रहने वाला है वह बाहर से कपड़ा मंगाये और उसको बेंचे तो एक हजार रुपये के टर्न ओवर पर सेल्स टैक्स लग जायगा। यह आपने रिलीफ दिया। यह किस की सिफारिश है इसका पता नहीं है। कहीं लेशमात्र भी कमीशन की रिपोर्ट में नहीं मिलता है लेकिन इस विधेयक में मौजूद है।

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

इसके साथ ही साथ आगे चलें तो विधेयक में आर्डिनेंस से भी ज्यादा लिख दिया गया है। एक धारा ४ में नमक पर से टैक्स हटा दिया गया है वहां दूसरी ओर एक्जेम्प्शन की फीस एक हजार रुपये के बजाय चार हजार रुपये कर दी गई है। चौगुनी फीस कर दी गई है। यह आर्डिनेंस में नहीं थी। इसमें जिस प्रकार से सेल्स टैक्स बढ़ाया गया है थोड़ा सा उसका विश्लेषण करें तो मालूम होगा कि कपड़े पर दुगना कर दिया गया है सेल्स टैक्स। अगर यू० पी० के आंकड़े देखे जायं तो मालूम होगा कि सबसे ज्यादा रेवेन्यू इसी से वसूल होती है। यू० पी० में १९५२-५३ में अकेले कपड़े पर से १ करोड़ ३७ लाख १० हजार रुपये की सरकार को आमदनी हुई जब दो पैसा रुपया सेल्स टैक्स था। अब आपने दुगना कर दिया है। अब आप कपड़े को ही ले लें तो यहां का कामन मैन खरीदता है या नहीं। यानी यह भी नहीं कि किसी प्रकार कपड़े को कोर्स क्लाथ करके या और किसी प्रकार से एक्जेम्प्शन का सवाल हो। कपड़े के दाम कितने बढ़ गये हैं यह देखने की बात है। एक सबसे महत्वपूर्ण विषय कपड़े का इसमें मौजूद है। अभी कानपुर कपड़ा समिति का एक मेमोरेन्डम मैं पढ़ रहा था तो उसमें लिखा था कि वहां कितना बड़ा असर इस टैक्स के दुगुना किये जाने का पड़ा है। बम्बई और मद्रास से माननीय मंत्री जी बड़ा प्रेम करते हैं, वहां भी इतनी तादाद में टैक्स नहीं है जितना कि आप लगा रहे हैं। मद्रास, बंगाल, बिहार, पंजाब कहीं भी इतना टैक्स नहीं है। अनाज पर भी इतना टैक्स नहीं है, जितना कि आप लगा रहे हैं। मद्रास में एक पैसा रुपया फूडग्रेन्स पर टैक्स है। बिहार में भी इतना ही है। यहां पर आपने जो हिसाब लगाया २ पैसे के हिसाब से तो मल्टी प्वाइंट कितनी जगह पड़ेगा। कई प्वाइंट होते हैं फूडग्रेन्स के सेल के। मुझे सौभाग्य तो नहीं प्राप्त हुआ गल्ले की दूकानदारी करने का, लेकिन मैंने जो थोड़ी बहुत जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की तो मालूम हुआ कि चार प्वाइंट ऐसे होते हैं कि जहां यह हो सकता है। पक्की आढ़त, कच्ची आढ़त, परचूनिया, वगैरह वगैरह। तो मैं समझता हूं कि इसका नतीजा यह होगा कि गल्ले का मार्केट खत्म हो जायगा। अगर मैं कंज्यूमर हूं तो मैं यह कोशिश करूंगा कि बजाय मंडी में जाकर खरीदने के डाइरेक्ट किसान से ले लूं ताकि टैक्स न देना पड़े। मैं तो सीधे काश्तकार से खरीदूंगा जो अपना फूडग्रेन मंडी में लाता है। तो एक ओर तो व्यापार पर असर पड़ेगा और दूसरी ओर जो ऐसे कंज्यूमर नहीं हैं कि इकट्ठा ले सकें, एक साथ अनाज खरीद सकें, जैसे चपरासी हैं निम्न मध्यम वर्ग के लोग हैं, वह रोजाना खरीदेंगे। तो अगर इसका पूर्णरूप से हम विश्लेषण करें तो मालूम होगा कि जिनकी कम बामदनी है उनके ऊपर इसका सबसे ज्यादा भार पड़ता है। उस चपरासी से लेकर बाल्मीकि मेहतर तक पर इसका भार पड़ने वाला है। माननीय मंत्री जी हमको यह आश्वासन देते हैं कि कुछ दिनों के बाद हम फूडग्रेन्स में सिंगल प्वाइंट टैक्स लगा देंगे। यह मल्टी प्वाइंट से सिंगल प्वाइंट हो जायगा। इस सिलसिले में फिर आप टैक्सेशन इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट को देखें। वह कहता है कि फूडग्रेन्स पर सिंगिल प्वाइंट टैक्स नहीं लगना चाहिये।

निर्माण उपमन्त्री (श्री लक्ष्मीरमण आचार्य)---आपकी राय है कि मल्टी प्वाइंट लगना चाहिये।

श्री नारायणदत्त तिवारी---मैंने अपनी राय पहले कह दी, लेकिन आपकी बुद्धि की तारीफ करता हूं कि आपने यह जो एनाउन्स कर दिया कि सिंगिल प्वाइंट टैक्स लगना चाहिये। सिंगिल प्वाइंट ऊंचे रेट पर लगता है इसलिये मैं यह कहता हूं। आप इसका पेज ६५ देखें। इसमें है :---

"Each State will have to determine its own list of exemptions on the basis of its revenue needs and of the economic conditions, social habits, etc. of its people."

हर राज्य को अपने यहां तय करने का मौका होगा जो कि वह अपने यहां की हालत पर विचार करके करे।

"Only some broad principles can be indicated. The most important exemption, so far as the single point part of the system is concerned would be foodgrains."

सब से आवश्यक मुक्ति, माफी, जो कि बतलाई जा सकती है और जो सिंगिल प्वाइंट, एक सूत्री कर पर होगी, वह फूडग्रेन्स, अनाज, खाने-पीने की वस्तुओं पर होगी। यह टैक्सेशन इन्क्वायरी कमीशन कहता है और हमारे माननीय वित्त मंत्री साहब बड़े तपाक के साथ फरमाते हैं कि हम सिंगिल प्वाइंट टैक्स कर देंगे फूडग्रेन्स के ऊपर। इसका मतलब यह है कि आप फूडग्रेन का रेट ऊंचा करने जा रहे हैं। यह बिल्कुल टैक्सेशन इन्क्वायरी कमीशन की रिपोर्ट के लिखाफ है।

अब जहां तक केरोसिन आयल का सवाल है उसके लिये कल माननीय मंत्री जी ने घोषणा कर दी कि हम बड़ी बड़ी कम्पनी से लेंगे बर्माशेल से लेंगे और कालटैक्स से लेंगे और अगर ४ आने से ४। आने कर दिये तो क्या हुआ और इससे क्या फर्क पड़ता है। सरकार ने जब इस टैक्स को लगाया तो कन्ज्यूमर के हित को सामने नहीं रखा है और कन्ज्यूमर को देख कर निश्चय नहीं किया है। अगर कंज्यूमर की आवश्यकता को देखकर, अमीनाबाद में बिना जूते पहन फटेहाल व्यक्ति को देखकर माननीय वित्त मंत्री जी टैक्स लगाते तो मेरा विश्वास है कि कपड़े पर वह दुगुना न करते और अनाज पर टैक्स न लगाते और न केरोसिन आयल पर लगाते।

मैं आपसे निवेदन करूं कि माननीय हाफिज साहब को इस बात का पता नहीं है कि गरीब मजदूर जो अपने घर में बिजली का इस्तेमाल नहीं करता है और जिसके लिये शारदा से बिजली प्राप्त नहीं होती है और जो मिट्टी का तेल अपने घर में जलाता है उसके पारिवारिक बजट में एक पैसे का भी बहुत महत्व है, जिसको वह कहते हैं कि अगर ४ आने से ४। आना हो गया तो क्या बात है। उसके १२ आना रोज के बजट में एक पैसे की वृद्धि होना भी बहुत बड़ी बात है। क्या माननीय वित्त मंत्री जी इससे इन्कार कर सकते हैं? केवल मिट्टी के तेल पर ही टैक्स होता तो कोई बात नहीं थी और केवल एक ही वस्तु पर होता तो कोई बात नहीं थी, लेकिन वस्तु समूह पर अगर आप एक सिलसिले से शुरू कर दें बिना व्यक्ति समूह की दशा को जांचे हुये तो फिर वहां पर क्या कहा जाय। इससे वही अराजकता हो सकती है जो आज टैक्स के सम्बन्ध में हो रही है और अन्ततोगत्वा जाकर होने वाली है।

माननीय वित्त मंत्री जी ने फरमाया कि इस टैक्स के प्रस्ताव से जो इस विधेयक में वे ले ला रहे हैं ५।। करोड़ रुपये की आमदनी होने वाली है। मैं समझता हूं कि यह उनका अन्दाजा बिल्कुल गलत है। अब मैं यह नहीं कह सकता हूं कि यह सही है लेकिन जो मैंने हिसाब लगाया उसके अनुसार आज भी जिन वस्तुओं पर टैक्स इस विधेयक में लगा हुआ है उनको अगर हम जोड़ें तो मेरा ख्याल है कि ८, ९ करोड़ रुपये की आमदनी राज्य सरकार को केवल इसी सेल्स टैक्स से होने वाली है। मिट्टी के तेल के विषय में यह कहा जाता है कि ७, ८ लाख रुपये की आमदनी होगी, लेकिन जब बर्मा शेल वालों से पूछा गया तो केवल एक कम्पनी जो मिट्टी का तेल यहां पर बेचती है उससे अन्दाजन २३ लाख रुपये की इस केरोसिन आयल से सेल्स टैक्स की आमदनी होगी। इससे अन्दाजा लगा सकते हैं कि कितनी भरमार टैक्स सम्बन्धी दायित्व की यहां की आम जनता पर पड़ने वाली है। और भी अनेक वस्तुयें हैं, गुड़ को आप ले लीजिये, चीनी को आप ले लीजिये और ऐसी आप तमाम आवश्यक वस्तुओं को ले लीजिये कि कितनी उनसे आमदनी होगी। अब मैं जानना चाहता हूं कि सरकार को एक्जम्पशन के बारे

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

में क्या नीति है ? टैक्सेशन इन्क्वायरी कमीशन ने यह कहा कि हर राज्य को कुछ मालों को निश्चित कर देना चाहिये कि यह माल बिल्कुल एक्जेम्प्ट रहेंगे, इन मालों पर किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं लगेगा। क्या सरकार ने कोई लिस्ट हमारे सामने रक्खी है कि यह वस्तुयें ऐसी हैं जिन पर आने वाले वर्षों में सेल्स टैक्स नहीं लगेगा ? किन चीजों को वह जीवन की आवश्यक वस्तुयें समझती है, यह हमें सरकार को बतलाना है। हम कम से कम सरकार से यह तो आशा करते ही हैं कि वह कमीशन की रिपोर्ट के अनुसार हमें यह बतायेगी लेकिन अभी सरकार की कोई एक्जेम्प्शन की नीति ही नहीं है। इसके अतिरिक्त उसको मुक्त करने की नीति भी आश्चर्यजनक है। एक चन्दन का तेल एक्जेम्प्ट किया गया है। इसको सभी जानते हैं कि यह कितनी नैसेसिटी आफ लाइफ का आर्टिकिल है। इसके विपरीत एडीबिल आइल्स को ऐक्जेम्प्ट नहीं किया, उसको मुक्त नहीं कर सके। चन्दन का तेल मैसूर की एक फैक्ट्री बनाती है जो इस प्रदेश में इम्पोर्ट होता है। चन्दन का तेल केवल इत्र बनाने के बेस का काम करता है। इत्र बनाने से पहले वह कढ़ाई में लगाया जाता है। उस चन्दन के तेल को सरकार गरीब जनता के लिये जरूरी समझती है। हो सकता है सन्दल वुड आइल का वह इस्तेमाल करते हों। लेकिन जनता का जहां तक सवाल है इससे कोई असर उसके ऊपर पड़ने वाला नहीं है। चन्दन के तेल को ऐक्जेम्प्ट करना इस बात की कसौटी है कि सरकार की एक्जेम्प्शन की नीति कैसी है तथा इससे यह साबित होता है कि सरकार की नीति अभी तक इस बारे में स्पष्ट नहीं है कि किन चीजों को एक्जेम्प्ट किया जाय।

अब मैं अपीलों के सम्बन्ध में कुछ निवेदन करना चाहता हूं। जो दूसरा प्रावीजन एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में है उसमें यह बताया गया है। इस विधेयक में इस बात की चेष्टा की गयी है कि लिमिटेशन ३ साल के बजाय ४ साल कर दिया जाय। और यह भी एक कंसेशन बताया गया है। कहा गया कि ३ साल के बजाय ४ साल हो गया, यह भी एक बड़ा भारी कंसेशन है। हां, आपको यह जरूर सहूलियत हो गयी कि अगर ३ साल के बाद कोई असेसमेंट नहीं कर सकते तो चार साल के बाद कर लेंगे, लेकिन यह कंसेशन किसी प्रकार से भी नहीं माना जा सकता। इसमें प्वाइंट आफ ला और पौइंट आफ फैक्ट की बात भी कही गयी। आपने कहा कि इस सेल्स टैक्स के मामले में रिवाईजिंग अथोरिटी केवल प्वाइंट आफ ला के बारे में ही विचार करेगी, प्वाइंट आफ फैक्ट के बारे में नहीं। यह भी एक कंसेशन बताया गया और लोग उसको कंसेशन समझ गये। मैं तो कहता हूं कि यह न्याय की हत्या है। अभी तक जो भी फैसले होते हैं वे प्वाइंट आफ ला और प्वाइंट आफ फैक्ट दोनों पर ही होते हैं। वस्तु स्थिति और न्याय स्थिति दोनों हमारे सामने आती हैं। इनकम टैक्स में भी जो फैसले होते हैं उनमें भी दोनों पर ही रिवीजन हो सकता है। आज से पहले सेल्स टैक्स ऐक्ट में भी रिवीजन प्वाइंट आफ फैक्ट और प्वाइंट आफ ला दोनों पर हो सकता था, लेकिन अब वह अधिकार भी आप छीन रहे हैं। तो इसके अर्थ यह होंगे कि अगर आज कोई व्यापारी यह कहता है कि मेरा टैक्सेबिल टर्नओवर १२ हजार नहीं है, बल्कि दस हजार है और इस मसले को लेकर वह कहते हैं और इस कनटेंशन और दलील को लेकर वह अगर रिवाईजिंग अथारिटी के सामने अपील करता है तो वह कहेंगे कि यह तो फैक्ट की बात है, तुम कहते हो कि टर्नओवर १२ हजार नहीं है और सेल्स टैक्स आफिसर कहते हैं कि है इसलिए तुम्हारी अपील नहीं सुनी जा सकती और तुम्हारा केस रिवाइज नहीं हो सकता। यह कानूनी मामला नहीं है यह तो फैक्ट की बात है। तो आप देखें कि कितना अन्याय व्यापारी के लिए है। एक ओर तो सरकार दावा करती है कि आर्डिनेंस को संशोधित करके इस बिल में टैक्सेबिल टर्नओवर की लिमिट को दस हजार से १२ हजार किया गया है और

व्यापारियों को कम्पोजीशन फी देकर कम्पोज कराने की सुविधा दी गई है और दूसरी ओर प्वाइंट आफ फैक्ट की बात से वह रिवीजन का अधिकार भी छीने ले रही है। तो एक हाथ से कनसेशन देना और दूसरे हाथ से उसे और भी सख्ती से वापस ले लेना कौन सी तारीफ और कमाल की बात है। उन्होंने कमाल किया है मैं उनको उनके इस चातुर्य पर बधाई देता हूं कि उन्होंने किस चतुरता से एक हाथ से तो कनसेशन दिया और दूसरे हाथ से वहीं उसको उन्होंने वापस ले लिया।

कम्पोजीशन फी की बात का भी बड़ा प्रचार किया जा रहा है कि १२ हजार और १५ हजार के बीच में जिनका टैक्सेबिल टर्नओवर होगा वह सेल्स टैक्स आफिसर के सामने अर्जी देंगे तो वह कम्पोजीशन फी लेकर उसका केस कम्पोज कर देंगे। ठीक है वह ऐसा करते हैं तो यह एक रिलीफ है, लेकिन यह कैसा रिलीफ है इसका जरा विश्लेषण किया जाय। जैसा कि हमारे आदरणीय साथी पालीवाल जी ने कहा था कि ३१ रुपया की बिक्री वाला भी टैक्सेबिल टर्नओवर वालों में आ जाता है इस नए संशोधन के अनुसार। तो मान लीजिए कि मैं एक व्यापारी हूं और सेल्स टैक्स आफिसर के पास जाता हूं और कहता हूं कि मेरी बिक्री १२ हजार और १५ हजार के बीच में है, मेरा केस कम्पोज कर दिया जाय और मुझसे कम्पोजीशन फी ले ली जाय। तो पहली बात तो यह है कि वह उसके बही-खातों को चेक करेंगे, क्योंकि कोई निश्चित फी एग्जेम्पशन फी की तरह नहीं है और प्रत्येक केस में अलग अलग कम्पोजीशन फी हो सकती है। तो पहले तो सेल टैक्स आफिसर जांच करेंगे कि वह १५ हजार के अन्दर आता है या नहीं और उसके बाद असेस कर देंगे कि तुमको साल में ५०० रुपया देना है। उसके बाद ३० दिन में या तो व्यापारी ५०० रुपया जमा करे, वर्ना जिस तरह से और लोग टैक्स देते हैं वैसे टैक्स दे, अपील की कोई गुंजाइश नहीं है, उसके लिए न तो वह सेल्स टैक्स कमिश्नर से कह सकता है और न किसी तरह के रिवीजन का उसको मौका है और सेल्स टैक्स आफिसर का फैसला ही उसके लिए सुप्रीम कोर्ट का फैसला होगा। जिस तरह से गवर्नमेंट अपील का राइट अपने यहां के लिए देती है वह भी इसमें नहीं है और गवर्नमेंट ने सेल्स टैक्स अधिकारी को ही अन्तिम कर्ताधर्ता बना दिया है। तो आप देखें कि इससे व्यापारी को कितनी तकलीफ होगी। अब आप इस कम्पोजीशन फी के अनुसार कंज्यूमर की परेशानी को लीजिए। ग्राहक को परेशानी। व्यापारी को यह पता नहीं कि आज वह अमीनाबाद या फतेहगंज में फूडग्रेन्स की दूकान खोलता है और यह सोचता है कि मेरा टैक्सेबिल टर्नओवर १२ से १५ हजार के बीच में है, लेकिन जब तक यह फैसला सेल्स टैक्स आफिसर का नहीं होता तब तक मैं क्या जानूं। सेल्स टैक्स टैक्सेबिल टर्नओवर क्या हुआ। वह कह दे कि २० हजार है या कम्पोजीशन फीस फिक्स कर दे और फिर कितना फिक्स कर दे इसका पता नहीं। मैं व्यापारी हूं। सेल्स टैक्स ग्राहक से कितना वसूल करूं, क्या वसूल करूं। अगर मनमाने ढंग से वसूल करूंगा तो गलत होगा—कम होगा या ज्यादा होगा। अगर कम्पोजीशन फीस ग्राहक से वसूल की जाय तो फीस के बारे में निश्चित नहीं। ग्राहक से क्या वसूल करें यह भी निश्चित नहीं। इन बारीकियों की तरफ मैं कैसे कहूं कि सरकार का ध्यान नहीं गया। ये तो मोटी बातें हैं जिनको साधारण बुद्धि के अनुसार हमको अवश्य समझना चाहिये था।

इस विधेयक में कहा गया कि हम कुछ ऐडमिनिस्ट्रेशन को सुधारने की चेष्टा भी करेंगे। एक एडीशनल रिवाइजिंग अथारिटी इसमें बनाई गई। यह ठीक है कि जो एरियर्स बहुत ज्यादा हो जाते हैं उनकी बहुत कम होने की संभावना है, लेकिन न तो आर्डिनेंस के जरिये और न इस विधेयक के जरिये एक भी ऐसी सिफारिश मानी गई जिसके द्वारा कंज्यूमर को फायदा हो, सामान्य व्यापारी को फायदा हो। मिसाल के लिये टैक्सेशन इंक्वायरी कमीशन ने यह सिफारिश की थी एक मत से

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

कि हर प्रदेश में अविलम्ब सेल्स टैक्स ऐडवायजरी बोर्ड बन जाना चाहिये। उस ऐडवायजरी बोर्ड में व्यापारियों के प्रतिनिधि होने चाहिये, कंज्यूमर्स के प्रतिनिधि होने चाहिये। एक ऐडवायजरी बोर्ड इस तरह से बन जाना चाहिये जो कि व्यापारियों की सामान्य दिक्कतों को सरकार तक पहुंचाये। जो नित्यप्रति उठने वाली नियमों में कठिनाइयां होती हैं उनको सरकार तक पहुंचाये। हमारी सरकार का बम्बई और मद्रास की सरकार से बहुत प्रेम है। दोनों जगहों पर बोर्ड बना है। मद्रास में सन् ५० में बन चुका और बम्बई में ऐडवायजरी कमेटी सन् ५३ में बन चुकी, जिनसे हमारी सरकार को बहुत मोहब्बत है।

आर्डिनेंस के जरिये टैक्स बढ़ाने के लिये तो बहुत कुछ विधेयक में आया और सेल्स टैक्स ऐडवायजरी बोर्ड जिसमें खर्चा नहीं होता जिसमें सुविधा पाने का प्रश्न था उसे भूल गये। कोई एक धारा यह भी रख दी होती कि सेल्स टैक्स ऐडवायजरी बोर्ड बन जायगा। वह नहीं हुआ। टैक्सेशन इंक्वायरी कमीशन ने सिफारिश की कि सेल्स टैक्स ट्रायबुनल हो जाना चाहिये। हर राज्य में जिस प्रकार की इनकम टैक्स ट्रायबुनल है उसी प्रकार से सेल्स टैक्स की अपीलों का एक फोरम हो। मद्रास में ट्रायबुनल है और बम्बई में भी ट्रायबुनल है लेकिन वह ट्रायबुनल की बात जो कमीशन ने सिफारिश की वह इसमें नहीं है। अब मैं आपसे क्या कहूं। आप शायद श्रीमन्, इस प्रकार की भावना नहीं पैदा होने देना चाहते कि मैं यह कहूं कि मैं इसलिये सेल्स टैक्स का विरोध कर रहा हूं कि सेल्स टैक्स विधेयक के विरोध के लिये विरोध करना है, लेकिन न तो न्याय की दृष्टि से, न इस राज्य की सामान्य जनता की औसत आमदनी की दृष्टि से, न यहां के किसी टैक्स के सिद्धान्त की दृष्टि से किसी प्रकार यह औचित्य प्रतीत नहीं होता है कि हम आज की हालत में इस प्रकार से सेल्स टैक्स उन वस्तुओं पर बढ़ायें, जीवन की आवश्यक वस्तुओं पर बढ़ायें जिनके द्वारा और जिन-जिन वस्तुओं पर इस विधेयक के द्वारा सेल्स टैक्स बढ़ाया जा रहा है। हमारे माननीय पालीवाल जी ने यह प्रस्ताव रक्खा कि जनमत प्रसार के लिये यह विधेयक भेजा जाय। क्या ही अच्छा होता कि सरकार इस प्रस्ताव को मान लेती लेकिन माननीय पालीवाल जी और अपने कतिपय साथियों से जो अब भी भरोसा रखते हैं कि सरकार जनमत के लिये प्रसार करेगी तो मैं इतना ही कह दूं कि जनमत की फाइल देखनी हो तो यह है मेमोरेंडम इतने मेमोरेन्डम्स जनता के, व्यापारियों के और उपभोक्ताओं के पड़े हुए हैं। आपके पास मुझसे ज्यादा होंगे। तो इतना जनमत हो रहा है सेल्स टैक्स के बारे में कि सामान्य से सामान्य व्यापारी जिसका अपना एक पान का फड़ है, शायद आचार्य जी भी पान खाते होंगे, पान के फड़ से लेकर और एक राह चलते व्यक्ति तक जो तेल खरीदता है, जब वह सवा चार आने लेता है तो वह पूछता है कि चार आने के बजाय सवा चार आने क्यों हो गया तो वह जवाब देता है कि "टैक्स" हो गया है। उसके मत से लेकर परिपूर्णानन्द जी के मत तक सरकार को मालूम है जनमत सब मालूम है। सेल्स टैक्स कमेटी का मत मालूम है। और जनमत अगर सरकार जानना चाहती है तो आगरा और हरदोई के चुनाव में भी उसको जनमत मालूम हो गया जो कि स्वयं यू० पी० के कांग्रेस प्रेसीडेंट को कहना पड़ा कि वहां के चुनाव में हार होने के मुख्य कारणों में आर्डिनेंस भी एक था। शायद अखबारों में रिपोर्टिंग गलत हो। मैंने जेल में पढ़ा था।

हमारे आदरणीय उपाध्याय जी ने यह कहा कि कुछ दिनों तक कांग्रेस मैनों को नजर नहीं आया कि हम क्या कहें आर्डिनेंस के बारे में। यह मैंने अखबार में पढ़ा। हो सकता है कि अखबार गलत हो। मैं तो यह कहूंगा कि मैं इसको प्रवर समिति में भेजने के प्रस्ताव का भी समर्थन नहीं कर सकता हूं। मैं इसके सिद्धान्त को भी स्वीकार नहीं करता। मैं जोरावर वर्मा जी के प्रस्ताव के पक्ष में भी नहीं हूं कि इसको सिलेक्ट कमेटी में भेज

दिया जाय, क्योंकि सेल्स टैक्स जीवन की आवश्यक वस्तुओं पर बढ़ाया जा रहा है। मैं इसके सिद्धान्त को भी स्वीकार नहीं करता। इसलिए प्रवर समिति में जाने का भी विरोध करता हूं। और केवल इतनी प्रार्थना करना चाहता हूं सरकार से कि उसमें तो बहुत ही बुद्धिशाली महानुभाव हैं जिनकी बुद्धि अब भी पलट सकती है और योजनात्मक हो सकती है। उनसे एक ही प्रार्थना करता हूं कि आप कृपया इस विधेयक को वापस ले लें। सेल्स टैक्स कमेटी की रिपोर्ट का इन्तजार करें, टैक्सेशन इन्क्वायरी कमीशन में अपना ह्वाइट पेपर निकालें उसने किन तब्दीलियों की सिफारिश की है, इस राज्य की आर्थिक स्थिति को देखें, फिर तय करें कि कौन टैक्स बढ़ाना है और कौन टैक्स घटाना है। क्षणिक भावना से प्रेरित होकर और किसी दो चार एक्सपर्ट्स की सिफारिश पर इस प्रकार विधेयक लाना तो उचित नहीं होगा; खासकर मैं याद दिलाऊंगा कि आज से कुछ ही दिन पहले डा० विधानचन्द्र राय ने बंगाल की जनता के दो बाई एलेक्संस मिदनापुर और कलकत्ता के पार्लियामेंट्स बाई एलेक्शन के नतीजे पर बंगाल और बिहार के प्रस्तावको वापस ले लिया जो इस सेल्स टैक्स के प्रस्ताव से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण था, कई इस प्रकार के विधेयक पास हो जायं या चले जायं उससे कहीं महत्वपूर्ण बिहार और बंगाल को मिलाने का प्रस्ताव था। लेकिन उन्होंने एक प्रजातान्त्रिक मर्यादा को माना और बिहार और बंगाल के प्रस्ताव को वापस लिया। तो क्या वही कांग्रेस सरकार जो इस प्रदेश में है उससे भी हम यह आशा करें, कांग्रेस पक्ष आशा करे, डा० विधानचन्द्र राय जैसे आदमी आशा करें, कि वह भी जनता के मत को स्वीकार करके इस ईश्यू पर इस मत पर।

(इस समय ४ बजकर ५ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

इस मुद्दे पर, इस विषय पर आगरा और हरदोई के चुनावों में जो यू० पी० की जनता ने अपना मत प्रकट किया है उसके आधार पर इस विधेयक को वापस लेने की कृपा करेंगे?

*श्री मोहनलाल गौतम (जिला अलीगढ़)—माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सवाल जो इस वक्त सदन के सामने है बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें कोई शक नहीं कि यू० पी० कई मानों में काफी पिछड़ा हुआ है और इसमें भी कोई दो राएं नहीं हो सकतीं कि यू० पी० को अपनी उन्नति के लिए मौका मिलना चाहिए। जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना इस प्रदेश में बनी है वह इतनी बड़ी नहीं जिससे इनमें से हर एक भाई संतुष्ट हो सकें।

अगर हमारे साधन आज्ञा देते, तो हम इससे भी बड़ी योजना बनाते ताकि हम जितने पीछे इस वक्त हैं, वह तेजी से आगे बढ़ कर दूसरे प्रदेशों के बराबर पहुंच सकते। यह बात कई बार इस सदन में कही जा चुकी है कि शिक्षा की दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से, अपनी दस्तकारियों की दृष्टि से, कई माने में और पहली पंचवर्षीय योजना में जो उन्नति की है, उसकी दृष्टि से कई माने में हम दूसरे प्रदेशों से पीछे हैं। इसलिए जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना बनी है वह पूरी होनी चाहिए। इससे किसी को मतभेद मुश्किल से ही हो सकता है। इस द्वितीय पंचवर्षीय योजना में जितने रुपये की जरूरत है, उसमें जैसा कि पहले भी बताया गया और कल भी बताया गया, माननीय हाफिज जी ने बताया कि हमको ४४ करोड़ रुपये की इस वक्त टैक्सेज से वसूली करनी है और जो ८७ करोड़ रुपये की कमी है, वह कुछ रेमाल सेविंग से पूरी होगी और कुछ टैक्सेज से। इस बात को दृष्टि में रखते हुए अब हमें यह देखना है कि यह जो सेल्स टैक्स है, यह इस कमी को कहां तक पूरी करता है। सेल्स टैक्स जिस शक्ल में आया उसके बारे में तो अभी मैं राय दूंगा। लेकिन उससे जो आमदनी होगी, वह पहले हमको बताया गया था, कि ५ या साढ़े ५ करोड़ रुपये की होगी। अब जो उसमें संशोधन हुए हैं, जो उसमें तरमीमें हुई हैं, और जो होने वाली हैं, उससे हमको यह नहीं बताया गया कि उसका क्या असर पड़ेगा और वह ५ या साढ़े ५ करोड़ की रकम जो इस टैक्स से वसूल होगी, वह कितनी रह जायगी।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री मोहनलाल गौतम]

बताया यह गया है कि हमारा उद्देश्य यह है कि इसको सिंगिल प्वाइन्ट टैक्स कर दिया जायगा। अगर सिंगिल प्वाइन्ट टैक्स किया गया तो ५ या साढ़े ५ करोड़ के बजाय कितनी आमदनी होगी, अगर यह हमारे सामने बात आ जाती, तो हमको आसानी होती इस सेल्स टैक्स बिल पर अपनी राय देने में। क्यों? क्योंकि हमारा यह टार्गेट पहले रखा हुआ है कि ९ करोड़ रुपये हमें हर साल और वसूल करने हैं, ४५ करोड़ रुपये ५ साल में। अगर इस से आमदनी घट कर ५,५॥ करोड़ के बजाय ३ या पौने तीन करोड़ रह गयी, तो फिर ५ साल में १५ करोड़ रुपये ही इस शक्ल में जो इस वक्त है, और जो सिंगिल प्वाइन्ट होने वाला २, ४ महीने में उससे अगर ५ साल में १५ करोड़ रुपया वसूल हुआ तो ३० करोड़ कहां से आयेगा? यह प्रश्न हमारे सामने रह जाता है और यह प्रश्न हमको फिर परेशान करता है कि हमको ४४ करोड़ रुपये की जरूरत थी, जो केन्द्रीय सरकार ने हमको टैक्स से लेने का अधिकार दिया है, उसमें माननीय वित्त मन्त्री जी के अनुसार हमारे पास कोई दूसरे साधन नहीं हैं जिन पर हम टैक्स लगा सकें। इसलिए हमने सेल्स टैक्स का सहारा लिया और हमारा सहारा लेने के बाद ज्यादा से ज्यादा वस्तुओं पर सेल्स टैक्स लगाने के बाद, और उसमें जिस तरह से संशोधन किया गया, मैं उस बहस में नहीं पड़ना चाहता, उसके बाद १५ करोड़ रुपये की आमदनी ५ साल में हुई। अब १५ करोड़ की आमदनी के बाद हमारे पास और क्या साधन रह जाते हैं जिन पर टैक्स लगाया जायगा? और अगले ५ वर्ष की जो कमी है, ४४ करोड़ रुपये में से करीब २९ या ३० करोड़ की वह कहां से पूरी की जायगी, यह हमारे सामने नहीं आया और हमको बताया नहीं गया, बगैर बताये हुए हमारे लिए मुश्किल हो जाता है कि ह कुछ राय दे सकें; क्योंकि अगर एक तस्वीर पूरी आती, और यह होता कि ४४ करोड़ रुपया इस तरह से वसूल होगा, तो उस वक्त राय देने में आसानी थी और हम बता सकते कि यह यह टैक्स लगाओ। अब यह भी कहा जाय कि फूडग्रेन्स पर माफ कर दें और जैसा बताया गया कि सिंगिल प्वाइन्ट होने वाला है। और वह एक करोड़ रुपया और माफ हो जाय और रह जाय, डेढ़ करोड़ या दो करोड़ रुपया बाकी चीजों पर, तो उसके बाद हमको फिर किन चीजों पर टैक्स लगाना पड़ेगा, जब तक यह समझ में न आये तब तक कैसे राय दी जाय कि किस पर लगाया जाय किस पर हटाया जाय? इसलिए बड़ी मुश्किल हो रही है कि एक तरफ तो हमने पंचवर्षीय योजना बना ली और दूसरी तरफ हमारे सामने उसके खर्चे को पूरा करने के लिए टैक्सों की सूरत पूरी-पूरी नहीं आयी, इसलिए आज जो यह सेल्स टैक्स आया है यह एक अधूरी तस्वीर है और उस से यह तय नहीं हो पाता है कि इसके बारे में हां कहा जाय या ना कहा जाय। हां, कहा जाय, तो यह चीज ठीक है कि गल्ले पर टैक्स लगाया गया, गरीब आदमी, इस प्रदेश में बहुत से आदमी ऐसे हैं जिनको पेट भर रोटी नहीं मिलती और हम क्या यह कहने के लिए तैयार हैं कि उसको भी कुछ न कुछ देना पड़ेगा और अगर यह कहें कि न लगाया जाय, तो यह समझ में नहीं आता कि जो कमी है वह कहां से पूरी होगी। इसलिए बड़ी मुश्किल हो रही है और अगर पूरी मुकम्मिल तस्वीर पंच-वर्षीय योजना की जिस तरह थी, उस तरह से टैक्स की भी आती कि यह ४४ करोड़ रुपया कहां से आयेगा, यह बात समझ में आ जाती, तो हम यह कह सकते थे कि इसको किधर से किधर किया जाय, कमी की जाय या उसे ज्यादा किया जाय।

तो पहली चीज यह है कि यह साफ नहीं है और इतना भी नहीं बताया वित्त मन्त्री ने कि जो अब नयी स्कीम होने जा रही है, वह कब तक होगी, उसमें क्या दिक्कतें हैं; दूसरे उसका क्या असर पड़ेगा और पांच वर्ष में इससे क्या असर पड़ेगा, यह कुछ नहीं बताया गया। अब सवाल यह है कि यह जो नये टैक्स लगाये गये उसमें हमने जनता से यह कहा है कि हमको इस देश का विकास करना है, उन्नति करनी है, पंचवर्षीय योजना को कामयाब करना है, जिससे कि हमारी गरीबी, बेकारी दूर हो। अब यह सही है और इस अपील को जब हम करते हैं तो इसमें कोई दो रायें नहीं हो सकतीं कि यह अपील सही है और हमको अपनी तरक्की करनी है और उसके लिए अगर जरूरत पड़े, तो कुर्बानी भी करनी है। किसी देश की उन्नति नहीं हो सकती

जब तक कि वहां के निवासी कुर्बानी न करें, लेकिन प्रश्न यह होता है कि क्या हमने वैसा वातावरण, मुवासिब ऐटमास्फियर पैदा किया कि हम गरीब से गरीब आदमी से भी कुर्बानी की मांग करें, और वह यह समझे कि हां, जो कुछ हमारा रुपया गया था सरकार के पास उसको उसने सही तौर से इस्तेमाल किया, कोई फिजूल खर्ची नहीं हुई, कोई किसी तरह की ऐसी बात नहीं हुई और जितना उस रुपये से फायदा उठना चाहिए था, जिस तरह से कंजूसी से रुपया खर्च करना चाहिए था, उस तरह से किया है। जब तक हम यह असर जनता पर नहीं डालेंगे तब तक दूसरे नये टैक्सेज जो गरीबों पर लगायेंगे, उनको गरीब जनता खुशी से मंजूर नहीं करेगी, चाहे हम अपनी ताकत से, अपने कानून से और अपने अधिकार से उसको भले ही वसूल कर लें। मेरा यह ख्याल है कि ऐटमास्फियर पैदा नहीं हुआ और उस ऐटमास्फियर को बिगाड़ने में हमने काफी मदद की। मैंने, जब यह बिल पेश हुआ था, उस वक्त भी अदब से अर्ज किया था कि इस वक्त हमारी मजे में गुजर चल रही है, कोई जरूरत नहीं है कि मिनिस्टरों को मेडिकल एड के लिए कन्सेशन दिया जाए, डिप्टी मिनिस्टर को फ्री फर्निश्ड मकान और फ्री मेडिकल एड दी जाय, मेम्बरों को फ्री मेडिकल एड और फ्री रेजिडेंस दिया जाय, यह सारी चीजें क्या असर पैदा करती हैं? यही कि हम यहां बैठे हुए जनता के रुपये को अपने फायदे के लिए कुछ न कुछ लेते चले जा रहे हैं और दूसरों से कहते हैं कि कुर्बानी करो। यह ऐटमास्फियर को अच्छा नहीं बनाता, कुछ खराब ही करता है। किसी तरह से भी हमको उनकी जरूरत नहीं थी और अगर जरूरत थी तो हम भी कुछ कुर्बानी करते और मुसीबत में रह कर कुछ बरदाश्त करते। मेरा ख्याल है कि कुछ आसमान नहीं टूट पड़ता, जिस तरह से अब तक चल रहे थे, उसी तरह से चलते और फिर उस के आगे जो सेक्रेटरीज हैं, डिपार्टमेंटल सेक्रेटरीज हैं आई० सी० एस० और आई० ए० एस० हैं, उनको, कुछ को तो, मिनिस्टरों से भी ज्यादा तनख्वाह मिलती है। उनको एक स्पेशल एलाउन्स मिलता है २५० रु० का, यहां रहने का लखनऊ में, क्योंकि हेडक्वार्टर पर बड़ी जिम्मेदारी से काम उनको करना पड़ता है, ठीक है, लेकिन उसको तीन सौ कर दिया गया। अगर कांस्टीटयूशन में यह चीज जरूरी थी कि जो समझौता था उसको कायम रखा जाता और जो उनकी सुविधायें हैं तमाम उनमें कोई कमी करने की इजाजत हमको कांस्टीटयूशन नहीं देता, तो स्पेशल एलाउन्स कम करने में कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन उसको बढ़ाने का तो कोई जस्टिफिकेशन है ही नहीं। ५० रुपया और बढ़ गया। फिर हेड्स आफ दि डिपार्टमेंट को कुछ मिल गया तो डिप्टी सुपरिन्टेंडेंट पुलिस की भी तनख्वाह कुछ शुरू में बढ़ गयी। स्पेशल कैडर आई० ए० एस० का है वह हजार रुपये से साढ़े बारह सौ का हो गया, उसकी क्या जरूरत थी, हजार रुपया ही काफी थे। फिर उसके साथ ही साथ अब इन्डस्ट्रीज के बारे में कुछ फैसला हुआ नहीं कि क्या-क्या इन्डस्ट्रीज इस प्रदेश में हो सकती हैं और यह भी सामने नहीं आया कि किस-किस जिले में क्या-क्या रा मैटीरियल है और क्या-क्या इन्डस्ट्री हो सकती हैं, लेकिन अब एक गजेटेड आफिसर हर एक जिले में होगा इन्डस्ट्रीज के लिए, जब कि उसके मुताल्लिक कुछ फैसला ही नहीं हुआ। डिस्ट्रिक्ट सप्लाई अफसर थे जब यहां कन्ट्रोल्स थे। अब कन्ट्रोल खत्म हो गये, सिर्फ सीमेंट, लोहा और कोयले पर है। अब उनका क्या किया जाय? तो उनको बनाया गया ए० डी० पी० ओ० (अडिशनल डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग आफिसर)। सवाल पहले यह था कि डी० पी० ओ० न रहे, बल्कि ए० डी० एम० प्लानिंग करे, क्योंकि कलेक्टर और तहसीलदारों से काम लेना है तो जूनियर आदमी सीनियर से काम नहीं ले सकता। तो खयाल यह था कि ए० डी० एम० कर दिया जाय या डी० एम० को चार्ज दे दिया जाय और सीनियर डिप्टी कलेक्टर उसको करे। अब यह ए० डी० पी० ओ० और लगा दिये गये। कितना काम है, यह कह नहीं सकते। इस तरह से यह चीजें बढ़ रही हैं और जिस तरह से कि हर जानदार चीज को अपने खानदान को बढ़ाने की आदत होती है उसी तरह से सिविल सर्विस को भी अपने खानदान को बढ़ाने की आदत होनी ही चाहिए और है, इसमें दो रायें नहीं हो सकतीं। वह बढ़ते रहते हैं। कितना काम हो, क्या हो, इसकी कोई जरूरत नहीं, लेकिन बढ़ते जायेंगे।

आपने कारें दीं कमिश्नर्स को और बहुत सों को। अगर हमारे गरीब मुल्क में लैन्डमास्टर ही दे दिये जाते, हिन्दुस्तान १० हजार रुपये का, और बड़ी-बड़ी कारें न दी

[श्री मोहनलाल गौतम]

जातीं तो मुझे यकीन है कि कोई गलत काम नहीं होता। आप कहेंगे कि तू मिनिस्टर था, तू ने क्या किया? अगर मैंने गलती की तो की, लेकिन मिनिस्टर को, कमिश्नर को और हर एक प्लानिंग आफिसर को और कन्सालिडेशन अफसर को आज कारें दी जा रही हैं। अगर गवर्नमेंट यह बताये कि सन् ५५–५६ में कितनी कारें खरीदी गयीं हर डिपार्टमेंट में, तो मैं समझता हूं कि इतनी कारें किसी साल नहीं खरीदी गयी थीं, और ५६–५७ में जितनी खरीदी जायंगी, वह उससे ज्यादा रहेंगी जो ५५-५६ में खरीदी गयी थीं, ऐसा मेरा अन्दाज है। सवाल हजार, दो हजार का नहीं है। सवाल इसका नहीं है कि यह क्यों दी गयीं? सवाल यह है कि ऐटमास्फियर क्या पैदा हो रहा है? जब हम इन गरीब आदमियों से कहते हैं कि नहीं, तुमको कुर्बानी करनी पड़ेगी, कुछ न कुछ और रुपया देना पड़ेगा क्योंकि देश को बनाना है तब उसके लिए ऐटमास्फियर क्या पैदा हो रहा है, यह देखने का सवाल है।

फिर इकोनोमीज का सवाल आता है। उसके बारे में दिक्कत है। इकोनोमी कमेटी बनती है। अब तक उसकी कोई रिपोर्ट सामने नहीं है। एस्टिमेट्स कमेटी, मेरे दोस्त नवल किशोर जिसके चेयरमैन हैं, उसमें बड़ी मेहनत उन्होंने की है और ८, ९, १० किताबें उन्होंने लिखीं। वह मैंने पढ़ी नहीं, क्योंकि मैंने उसका महत्व ही नहीं समझा। सेन्टर में अभी लोक सभा में स्पीकर महोदय ने रेलवे मिनिस्टरी को यह कहा था कि इस हाउस को यह बताया जाय कि एस्टिमेट्स कमेटी की रिपोर्ट पर क्या-क्या कार्यवाही हुई। उन्होंने डिमान्ड किया था और हाउस की यह मांग थी कि जो एस्टिमेट्स कमेटी की रिपोर्ट है उस पर क्या-क्या कार्यवाही हुई है, यह बताया जाय। लेकिन यहां की एस्टिमेट्स कमेटी की रिपोर्ट पर क्या हुआ है अब तक हमको नहीं मालूम।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि आप इस हाउस के अधिकारों की उसी तरह से रक्षा करें जैसी सेन्टर में हाउस आफ दि पीपिल में स्पीकर महोदय ने रेलवे मिनिस्ट्री से मांग की थी कि जो-जो उन्होंने कार्यवाही की है वह हाउस को बतायें। उसी तरह से आप हाउस की रक्षा करें और हमारे अधिकारों को सुरक्षित रखने में हमारी मदद करें। जो सेकेन्ड फाइव ईयर प्लान है, उसमें भी १२ सौ आइटम्स हैं और क्योंकि यह मामला पहले डिस्कस हो चुका है इसलिए अधिक न कह कर इतना तो मैं महसूस करता हूं कि अगर साढ़े बारह सौ में से सब आइटम्स फाइनेंस कमेटी में गये होते तो मुमकिन था कि उसमें भी कुछ कमी आ जाती और कुछ एकानामी हो गयी होती। सौ आइटम्स कमेटी के सामने गये उनमें से कुछ कमी हुई, लेकिन बगैर फाइनेंस कमेटी में पेश किये हुए यह आ गया है। क्यों फाइनेंस कमेटी बनायी गयी और क्यों नहीं उसके सामने पेश किया गया? सिर्फ टाइम टेबिल पर बहस हो सकती है कि वक्त नहीं था। मेरा ख्याल है कि वक्त हो सकता था और वक्त होना चाहिए था। यह दलील का वक्त नहीं है, लेकिन मैं यह जरूर कहता हूं कि हम ऐसी परिपाटी डाल रहे हैं कि जिससे आगे के लिए फाइनेंस कमेटी बेकार हो जाती है।

दूसरी पंचवर्षीय योजना का स्वरूप इस समय हमारे सामने आ रहा है और फाइनेंस कमेटी जैसी इम्पार्टेंट कमेटी में बगैर उन आइटम्स को भेजे हुए यहां ले आना यह कोई उचित बात नहीं है। अगर १,२०० आइटम्स यहां पहुंच जाते तो जैसे १०० आइटम्स में दो चार की कमी हुई थी, वैसे ही उसमें भी बचत हो सकती थी। अभी कुछ सबेरे पढ़ कर सुनाया गया कि अगर हम सही-सही अपने एकाउन्ट्स को रखें और सख्ती करें, तो पब्लिक एकोउन्ट्स कमेटी की सिफारिशें अगर हम सुनें, और उन पर अमल करें तो बचत हो सकती है। एकानोमी कमेटी, एस्टिमेट्स कमेटी, फाइनेंस कमेटी और पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी, इनमें अगर कुछ मद लाये जायें, तो कुछ न कुछ रास्ता निकल सकता है और करोड़, दो करोड़, तीन करोड़ की बचत हो सकती है। इस तरह से आज जो हो रहा है उसमें कुछ ऐसा अन्दाज होता है कि रुपया हमारे पास काफी है, खर्च की कमी नहीं है, जितना चाहें खर्च कर लें और जितना चाहें ले लें। जब इस तरह का ऐटमास्फियर हो तब यह कहना कि नमक पर भी टैक्स लगे, अन्न पर भी टैक्स लगे,

मेडिसिन पर भी टैक्स लगे यह लोगों की समझ में और समझाने वालों की समझ में मुश्किल से आता है । इसलिए मेरी यह प्रार्थना है कि इस तरह का ऐटमास्फियर बनाया जाय और जब तक ऐसा ऐटमास्फियर नहीं बन जाता तब तक इस टैक्स को समझने में हर एक को दिक्कत पैदा होगी और इसको समझाने में भी।

एक और मसला भी आ गया है कि हमारे प्लानिंग मिनिस्टर जाते हैं और किसी जिले में गये और कहीं ५० हजार, कहीं ६० हजार और कहीं कुछ रुपया बांट आये। कोई पहले से उनकी दरख्वास्त नहीं थी बजुज इसके कि कुछ लोग जो खुशकिस्मत थे, जो अपने जिले में उनको ले जा सकते थे ले गये और कुछ खुशकिस्मत जो उनको मान-पत्र दे सकते थे उन्होंने दिया और उनको रुपया मिल गया। लेकिन बदकिस्मत वे जिले हैं जहां वे नहीं पहुंचे और मेरा ख्याल है कि हमारा रुपया तो लिमिटेड था नहीं और इस तरह से बगैर हिसाब-किताब के, बगैर प्लान के प्लानिंग मिनिस्टर बांटते रहेंगे तो कुछ के साथ ज्यादती होगी और कुछ के साथ जरूरत से ज्यादा फेवरिटिज्म हो जायगा। हम जब इस तरह का ऐटमास्फियर बना रहे हैं तो कैसे हम इन टैक्सेज को लगाने की बात कहते हैं ? हमने यह कहा था और अब भी कहते हैं कि हम "सोशलिस्ट पैटर्न आफ सोसाइटी" बनाना चाहते हैं और सोशलिज्म हमने अपनाया है। और शुरू में जब हमारे यहां नये चीफ मिनिस्टर साहब बने थे, तो उन्होंने एक बात का विश्वास दिलाया था और वह यह था कि वे नहीं जानते कि सोशलिज्म में क्या बातें होती हैं और क्या नहीं होतीं, लेकिन इनकम में जो गैप, सैलरी का जो गैप है, उसको कम करने की कोशिश करेंगे। अब हम यह देखते हैं कि हायस्ट पेड आफिसर्स की तादाद बढ़ रही है और हायस्ट पेड आफिसर्स का एलाउन्स ढाई सौ रुपये से तीन सौ रुपये हो गया और ५० रुपये ज्यादा तरक्की हो गयी, लेकिन चपरासियों को सिर्फ दो रुपये मिले और बहुत से मुलाजिम ऐसे भी हैं जिनका २० रुपये से २२ रुपये नहीं हुआ। अब उनके दो रुपये बढ़े और उनके ५० रुपये बढ़ गये। तो जो गैप था वह और बढ़ गया। और अब दो रुपये जिनके बढ़े थे, उनसे हम कहते हैं कि तुम्हारी रोटी पर भी टैक्स लगेगा और मिट्टी के तेल पर भी टैक्स लगेगा तो जब लोग यह देखते हैं कि एक तरफ तो इस तरह से खर्चे बढ़ रहे हैं, अमीरी में कोई कमी नजर नहीं आती और दूसरी तरफ सब चीजों पर टैक्स बांधते हैं, तो उनकी समझ में यह बात आती नहीं है। तो यह ऐटमास्फियर जो आज हमने बना रखा है उसको जब तक काबू में नहीं करेंगे और जब तक हम यह साबित नहीं करेंगे कि हमने जो पहले पैसा लिया था उसका एक-एक पैसा बहुत अच्छी तरह से खर्च किया और उससे जनता को पूरा फायदा पहुंचाया है और अब हम तुमको ज्यादा फायदा पहुंचाना चाहते हैं, इसलिए हम अपील करते हैं कि कुछ और कुरबानी करो, यह अगर ऐटीट्यूड हो तो सही होगा और अगर हम यह साबित नहीं कर सके तो हमारी दिक्कतें बढ़ जायगी। जनता से हम दूर हो जायेंगे, जनता हमारा विश्वास खो बैठेगी और हमारी दिक्कतें बढ़ जायंगी। हम जनता का विश्वास नहीं खोना चाहते। हमें जनता को साथ लेकर पंचवर्षीय योजना को पूरा करना चाहिए और अगर जनता का विश्वास खोते हैं, तो पंचवर्षीय योजना का उतना नुकसान नहीं होगा जितना कि जनता का साथ खो देने से हमें नुकसान होगा, क्योंकि दिक्कत तो यह है कि कांग्रेस को छोड़ कर कोई और पार्टी तो है नहीं, और अगर कांग्रेस पर भी विश्वास नहीं रहा तो इस देश का खुदा ही हाफिज है।

अब एक सवाल यह है कि यह आर्डिनेंस निकला और उसके बाद बिल आया। कुछ संशोधन जो आर्डिनेंस में थे, वे बिल में कर दिये गये और कल वित्त मन्त्री जी ने एक लम्बी-चौड़ी फेहरिस्त दी और उन चेन्जेज को बताया जो उन्होंने किये हैं। उसमें खास बात यह थी कि यह सेल्स टैक्स सिंगिल प्वाइन्ट टैक्स होगा, लेकिन यह अभी से नहीं हो सकता, उसके लिए हमें कानून लाना पड़ेगा, और संगठन करना पड़ेगा। मेरी यह प्रार्थना है कि यह जो नुकसान इससे होगा, और जिस तरह से इस मल्टी प्वाइन्ट से नुकसान और जनता में असन्तोष फैला, उसको कम करने के लिए जितनी जल्दी हो सके सिंगिल प्वाइन्ट टैक्स लगा देना चाहिए। अब कहा यह जाता है कि कोई संगठन होगा। तो उस संगठन की जरूरत तो अब भी होगी।

[श्री मोहन लाल गौतम]

मल्टी प्वाइन्ट टैक्स है। इसके माने हैं कि हर प्वाइन्ट पर लगता है और उसमें वह प्वाइन्ट भी शामिल होना चाहिए जिस प्वाइन्ट पर वह सिंगिल प्वाइन्ट पर लगेगा। सोर्स से लेकर कन्ज्युमर तक जितने भी प्वाइन्ट्स हों, उसमें क्या वह प्वाइन्ट नहीं शामिल है, जिस पर जब वह सिंगिल प्वाइन्ट हो जायगा तब लगेगा? अगर है, तो जिस तरह से आज मल्टी प्वाइन्ट टैक्स में उस प्वाइन्ट पर रियलाइज़ होता है, उसी तरह से जब वह सिंगिल प्वाइन्ट टैक्स हो जायगा तो उस पर रियलाइज़ होगा। क्या दिक्कत होगी, यह भी हमारी समझ में नहीं आया। और कानून बनाने में महीनों लग जायं, तब तो हम को सोचना पड़ेगा कि कानून बनाने के स्टाफ में दो चार और आदमी रख दिये जायं। महीनों लगेंगे उस कानून के बनाने में और महीनों लगेंगे सिंगिल प्वाइन्ट टैक्स लगाने में और तब तक साल खत्म हो जायगा और जो कुछ नुकसान होना होगा, वह हो जायगा। उसके बाद हम पोल्स पर चले जायेंगे, और जो गलती हमको अब दिखायी दे रही है, उसको दुरुस्त करके जनता से यह न कह पायेंगे कि जो गलती थी, वह हमने दुरुस्त कर दी है, अब सिंगिल प्वाइन्ट टैक्स रहेगा। यह बड़ी दिक्कत हो रही है। इस लिए ऐसा मेरा ख्याल है कि इसको जल्द से जल्द कर दिया जाय। मुझे तो कुछ ऐसा दिखायी देता है कि जितने भी टैक्सेज लगे हैं, और जो नये संशोधन पेश हैं, और जिस तरह से रकम दिखायी दे रही है, और मैं हिसाब जानता नहीं हूं, क्योंकि वह बतलाया नहीं गया है, समझने की कोशिश करने पर भी मैं समझ नहीं पाया कि उसके सिंगिल प्वाइन्ट हो जाने पर वह कितना रह जायगा। लेकिन अगर वह आधा रह जाय, तो मेरा दिमाग यह कहता है और दिल यह कहता है कि अगर इस टैक्स को लगाये बगैर इकानोमी कर ली जाय, और कस कर खर्चा किया जाय, जितना रुपया इस बजट में है, तो यह पूरा हो सकता है। कुछ कानून की बात है, कुछ लीकेज होता है और जो स्कीम बनी है, वह पूरी न हो पाये, तो इन सब चीजों में मैं यह महसूस करता हूं बगैर आंकड़ों में जाते हुए इस बजट में से इतना रुपया निकल सकता है और यह अवस्था जो तीन, पौने तीन करोड़ रुपया वसूल करने से होगी, वह बगैर टैक्स लगाये हो सकती है अगर फिजूल खर्ची न की जाय, और कस कर खर्च किया जाय। इसके लिए मैंने कहा कि मेरे पास आंकड़े नहीं हैं, लेकिन मेरा दिमाग कहता है और मैं सोचता हूं कि यह टैक्स लगाये बगैर हम मैनेज कर सकते हैं और जो नतीजा तीन, पौने तीन करोड़ रुपया आने पर होगा, वह पूरा हो सकता है।

अध्यक्ष महोदय, यह सिंगिल प्वाइन्ट टैक्स के बारे में राय दी। अब मुझे यह अर्ज करना है कि जहां तक इस आर्डिनेंस का ताल्लुक है, वह गवर्नमेंट ने लगाया और हाई कोर्ट ने फैसला कर दिया कि जो कुछ है, वह कानून की हद के अन्दर उनको अधिकार था। लेकिन मैं इस हाउस में अपने अधिकारों की रक्षा के लिए यह कहना चाहता हूं कि अगर यह आर्डिनेंस न लगाया गया होता, तो अच्छा होता। हमारे कांस्टीटचूशन की दफा २१३ है जिसके अनुसार यह आर्डिनेंस लगाया गया है, वह यह है कि :—

"If at any time except when the Legislative Assembly of a State is in session, or where there is a Legislative Council in a state, except when both Houses of Legislature are in session, the Governor is satisfied that circumstances exist which render it necessary for him to take immediate action, he may promulgate such Ordinance as the circumstances appear to him to require."

हुजूरवाला, हमारे बजट में नौ, साढ़े नौ करोड़ रुपये की कमी है। यह कोई नयी बात नहीं है। वाकई बात यह है कि यह आर्डिनेंस बजट के सप्लिमेंट को कम्प्लीट करने के लिए है, यह बजट का एक हिस्सा है। बजट की कमी को पूरा करने की कोशिश है। यह चीज गवर्नमेंट के सामने पहले भी होनी चाहिए थी और थी और यह सामने था और यह बजट सेशन था और अगर बजट सेशन न होता, तब भी कोई बात थी। इसकी जांच करने के लिए दोनों

हाउस बैठे हुए थे और होनी चाहिए थी। अब दोनों हाउसेज के सामने बजट प्रोपोजल्स आये और कानून का पेट पूरा हो गया कि एक हाउस को ऐडजर्न करके आर्डिनेंस निकाला। लेकिन यह चीज बजट के हिस्से के तौर पर आनी चाहिए थी। बिल की शक्ल में यह नहीं आता . . .

श्री नारायणदत्त तिवारी—यह फाइनेंस बिल है।

श्री मोहनलाल गौतम—यह फाइनेंस बिल है और मैं बजट का हिस्सा कह रहा हूं। बहरहाल, मुझे लफ्जों की ज्यादा जांच नहीं है। इसलिए मेरी गलती को माफ करें।

अब कहा यह जाता है कि दो कारण थे जिनके लिये यह आया; एक कारण तो यह था कि इसको पहली अप्रैल से लागू होनी चाहिये था और दूसरा कारण यह बताया गया कि इसके ऊपर स्पैकुलेशन नहीं होना चाहिये।

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि आप इसके संक्षेप में जायें क्योंकि इस पर यहां बहस हो चुकी है और सदन इसके ऊपर एक बार विचार कर चुका है।

श्री मोहनलाल गौतम—श्रीमन्, यह सही है कि इस आर्डिनेंस पर बहस हो चुकी है, लेकिन इसके जरिये से एक सिद्धान्त की बात हमेशा के लिये की जा रही है। संक्षेप में यह है कि अगर पहली अप्रैल से कोई टैक्स आने वाला था तो गवर्नमेंट को इसके लिये तैयार होना चाहिये था। सरकार को ऐसा कोई रास्ता निकालना चाहिये था कि जिससे यह पहली अप्रैल को लागू हो जाता। यह आमतौर पर सेन्ट्रल पार्लियामेन्ट में होता है और बजट के बारे में वहां यह है कि आखिरी दिनों ३० या ३१ तारीख को बिल पेश हो जाता है तो यहां पर भी वह बिल पेश हो सकता था। यह विधेयक ३०, ३१ तारीख को यहां पर पेश होता और उसी रोज से लागू हो जाता या यह हो जाता कि यह बिल यहां पर पेश होता और यह हाउस वोट आन एकाउन्ट कर देता और बजट बाद को पास हो जाता या फाइनेंस बिल पेश हो जाता या और कोई रास्ता निकाला जाता, लेकिन ऐसे रास्ते निकालने चाहिये थे जिससे पहली अप्रैल को यह टैक्स लागू हो जाता और वह आर्डिनेन्स के द्वारा न होता बल्कि बिल के द्वारा होता।

दूसरी बात यह कही गयी कि स्पैकुलेशन होने की सम्भावना थी। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बड़े सिद्धान्त का सवाल है। जितने भी टैक्स होते हैं वह दो हिस्सों में बांटे जा सकते हैं। एक तो वह जिन पर स्पैकुलेशन हो सकता हो और दूसरे वे जिन पर नहीं हो सकता हो। अब वह टैक्स जिन पर स्पेकुलशन हो सकता है क्या हम उस आर्डिनेन्स के द्वारा दुनिया के सामने एक प्रिन्सिपल कायम कर रहे हैं कि वह तमाम टैक्स जिन पर स्पैकुलेशन हो सकता हो वह सब तमाम दुनियां की पार्लियामेंट के लिये फार आल टाइम टु कम तमाम वक्त के लिये सिर्फ आर्डिनेन्स के जरिये से लागू हो सकते हैं और मामूली कानून से नहीं हो सकते। यह हमने एलान करके एक बहुत बड़ा प्रिन्सिपल दुनिया के सामने रखा है। मेरा यह ख्याल है कि यह प्रिन्सिपल हमको नामंजूर करना चाहिये और इससे हम जितनी दूर रह सकें उतनी दूर रहें। इसलिए कि यह प्रिन्सिपल हमको कहां ले जायगा। क्या आर्डिनेन्स से स्पैकुलेशन नहीं हो सकता? बहुत से टैक्स हैं क्या सब आर्डिनेन्स से हुआ करेंगे? यह बात बिलकुल गलत है; इसलिए यह दोनों दलीलें पहली अप्रैल को और स्पेकुलेशन की दोनों हालतों में अर्डिनेन्स द्वारा यह प्रिन्सिपल दुनिया के सामने लाना गलत है। बिल के द्वारा लाना चाहिये था और उसके कई रास्ते हो सकते हैं और वह रास्ते डिस्कस किये जा सकते हैं और उनमें कोई दिक्कत नहीं है। जो रास्ता बतलाया जाय उस रास्ते से वह पहली अप्रैल को बिल द्वारा हो सकता है और आर्डिनेन्स के द्वारा यह नहीं होना चाहिये।

अब सवाल यह रह जाता है कि यह आप टैक्स लगा रहे हैं इसका क्या असर हमारी इंडस्ट्रीज पर पड़ेगा? एक तरफ तो हम इंडस्ट्रीज को बढ़ा रहे हैं; उनको बढ़ाने के लिये ग्रान्ट देते हैं, लोन्स देते हैं और बहुत सी उनको सहूलियत देते हैं, लेकिन दूसरी तरफ हमको यह देखना

[श्री मोहनलाल गौतम]

चाहिये कि कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है कि इन टैक्सेज से कोई हमारी इंडस्ट्री खत्म हो रही हो। यह बड़ा भारी सवाल है। हमारे लिये यह देखने की चीज है कि किस इंडस्ट्रीज पर क्या क्या असर पड़ेगा, यह विचारने की चीज है। लेकिन हम यह भी चाहते हैं कि गवर्नमेन्ट हमको यह समझा दे कि इस टैक्स से इन इंडस्ट्रीज पर इस हद तक असर पड़ेगा और यह इंडस्ट्रीज हमारे सूबे से गायब तो नहीं हो जायंगी, जिनकी हमारें यहां मोनोपाली है और जो इंडस्ट्री हमारें यहां तरक्की पा रही है वह तरक्की पायेगी और उसका फायदा होगा और किसका नुकसान होगा। एक तरफ तो हम उनको ३ करोड़ रुपया देने जा रहे हैं और उनका एक्सपर्ट देने की बात करते हैं और दूसरी तरफ इस तरह से टैक्स की बात हम करते हैं तो यह सारा समन्वय इंडस्ट्रीयल पालिसी के बारे में होना आवश्यक है कि कितने को नुकसान होगा, किनको फायदा होगा। किन-किन का डेवलेपमेंट होगा। अगर यह सारी बातें हाउस के सामने रखी जायं तो इससे कुछ फायदा हो सकता है।

इन शब्दों के साथ में निवेदन करता हूं कि जिस बिल पर इतने दिनों तक विचार हुआ है मैं समझता हूं कि कुछ थोड़ा और विचार हो जाय और सेलेक्ट कमेटी के सामने यह चला जाय तो मुनासिब होगा ताकि हम इस पर गौर करके एक फाइनल शक्ल पेश कर दें और जल्दी से ऐसा कानून न पास कर दें जिससे नुकसान होने का डर हो।

*श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—माननीय अध्यक्ष महोदय, आज प्रातःकाल से इस बिल पर सदन के माननीय सदस्यों के विचार विनिमय और विचारोत्पादक विचारों को सुनने का मुझे अवसर मिला। मेरा सौभाग्य है कि कम से कम माननीय पालीवाल जी, नारायणदत्त जी और श्री गौतम जी के विचार मैं सुन सका। शेष विचार भी मैंने कुछ सुने। इसके पूर्व कि इस सेल्स टैक्स से संबंधित बिल के संबंध में मैं चर्चा इस सदन के सामने करूं, मैं इतना कहना आवश्यक समझूंगा कि माननीय नारायणदत्त जी ने बार-बार यहां टैक्सेशन इंक्वायरी कमीशन का और श्री पालीवाल जी ने कुछ कमेटीज का जिक्र किया है। मैं चाहता था कि यदि समय होता तो उनके कुछ उद्धरण भी मैं सदन के सामने प्रस्तुत करता, लेकिन शायद इसके लिये सदन का समय लेना मैं पसन्द न करूं, लेकिन इतना मैं जरूर कह देना चाहता हूं कि टैक्सेशन के बारे में चाहे हम किसी कमीशन की रिपोर्ट को पढ़ें या न पढ़ें या हम किन्हीं कमेटीज की रिपोर्ट्स को पढ़ें या न पढ़ें जो कि सन् १९२५ में या सन् १९३५ या सन् ५२ में लिखी गईं, लेकिन आज के हालात में, आज की परिस्थितियों में हम बहुत सी चीजों को सहज बुद्धि से समझ लेंगे। बहुत मोटा प्रश्न है कि टैक्स चाहिए या नहीं; टैक्स यदि लगाया जाय तो किन वस्तुओं पर लगाया जाय; टैक्स यदि लगाया जाय तो किन व्यक्तियों पर उसका असर पड़े? यदि लगाया जाय तो उसका सदुपयोग होगा या नहीं और इसके अतिरिक्त जो बिक्री कर लगाने की आज व्यवस्था है इससे इस प्रदेश को लाभ होगा या नहीं? मुझे स्मरण है यदि मैं गलती नहीं करता कि हमारे समाजवादी दल का एक वक्तव्य मुझे पढ़ने का अवसर मिला था। उन्होंने उसमें कहा था कि हमको इसमें एतराज नहीं है कि टैक्स लगना चाहिये, लेकिन जिस तरह से आपने लगाया है वह गलत है।

मुझे यदि ठीक स्मरण है तो इस संबंध में जितनी चर्चायें चलीं उनमें भी कुछ इस प्रकार की चर्चा मुझे देखने को मिली कि यदि विकास और निर्माण कार्य के लिये आवश्यकता है तो टैक्स तो लगे लेकिन वह टैक्स जो कि आज लगाया गया है गलत है। यदि हम इन सभी चर्चाओं को कुछ भागों में विश्लेषण के लिये विभक्त कर लें, यदि आज उनका विभाजन कर लें तो संभवतः इस सदन के सामने भी कुछ चर्चा करना सरल हो जायगा। टैक्स हमको चाहिये। माननीय पालीवाल जी ने कहा कि टैक्स तब लगाया जाय जब कि सारे साधन समाप्त हो जायं। मैं स्वीकार करता हूं कि उनकी बात सही है। मैं यह भी ख्याल करता हूं कि यदि हमें और किसी

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

साधन से कहीं आमदनी मिल सके, कहीं यदि हमको धन मिल सके उन कार्यों को पूरा करने के लिये तो टैक्स लगाना उचित न होगा। आज हम यदि इसका विश्लेषण करें कि किन दूसरे साधनों से आज हम इस रकम को पूरा करें जिसकी आज हमको आवश्यकता है, तो श्रीमन्, मैं बहुत नम्रता से आज इस बात को स्वीकार करने को प्रस्तुत नहीं हूं। जैसा कि माननीय गौतम जी ने कहा कि उनको मालूम नहीं है कि आंकड़े कितने हैं कितने सही हैं, कितने गलत हैं और इन-इन चीजों को बताया जाय। तब वह अपनी राय बना सकते हैं कि यह टैक्स लगाना चाहिये या नहीं, लेकिन इतना जरूर यह सदन विचार कर ले कि जैसा कुछ बजट माननीय वित्त मंत्री जी ने यहां रखा था उसके अनुसार हमको ५ वर्षों में ४० या ४५ करोड़ रुपये की आवश्यकता है। मोटे तौर पर ९ करोड़ रुपये की आवश्यकता है उस बजट वर्ष के लिये जो इस सदन के सामने रखा गया। आज जिस मार्ग की ओर पालीवाल जी ने इशारा किया है यदि हम उन सारे साधनों का विश्लेषण करें और यदि वह साधन प्राप्त हो जाये तो इन टैक्सों को लगाने की आवश्यकता न होगी। उनका यह भी कहना है कि सन् ५२ में जो एक यू० पी० एकोनोमिक इंश्योरेंस एण्ड रेसोर्सेज कमेटी बैठी थी उसने कहा कि रुपया बचत करके बचाया जा सकता है, इसके अतिरिक्त रिकरिंग रुपया और भी होगा। लेकिन मैं बहुत नम्रतापूर्वक कहता हूं कि ऐसी कोई बात इस रिपोर्ट में है नहीं, मुझे तो पढ़ने को मिली नहीं। यदि हम इस रिपोर्ट का आगे चल कर विश्लेषण करें और उस पूरी रिपोर्ट को सदन के सामने रक्खें तो बहुत थोड़ी ही एकोनोमी हो कर सकते हैं, जितनी कमी हो सकती हो वह करें लेकिन उसके लिये मार्ग ? क्या सदन के सामने केवल बातें कहने से मार्ग निकल सकता है ? उसका मार्ग तो यह है कि कमेटी बने, उसको कुछ सुझाव दिये जायं, हम उसको आज अपने शासकीय ताने-बाने में उतारें और चेष्टा करें कि यदि उसके द्वारा कहीं कुछ कमी हो सकती हो, यदि कहीं धन उपलब्ध हो सकता हो तो उसको प्राप्त करने की चेष्टा करें या केवल मात्र कहने से धन प्राप्त हो जायगा ? उन्होंने कहा कि ४–५ करोड़ रुपया यू० पी० एकोनोमिक इंश्योरेंस एन्ड रिसोर्सेज कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर काम करने से प्राप्त हो सकेगा, यह सुन कर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ ! कौन सा वह ४–५ करोड़ रुपया, और किधर से हम उसको पायें, कहां से उसको उपलब्ध करके प्राप्त करें और उससे अपने कार्यों को करें ?

संयोग से उन्होंने पी० डब्ल्यू० डी० की एक्सीजेंसी के ५ प्रतिशत को कम करने का सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि यह ५ प्रतिशत रुपया अगर कम कर दिया जाय तो हमको ३–४ करोड़ रुपया मिल जायगा। मुझे आश्चर्य हुआ कि आखिर ऐसी बातें इस सदन में कैसे रक्खी जाती हैं ! उनको यह मालूम होना चाहिये कि सन् ५४ से पी० डब्ल्यू० डी० में ऐक्सीजेंसीज के लिये ५ प्रतिशत के स्थान पर केवल ३ प्रतिशत रुपया ही रक्खा जाता है और यह ३ प्रतिशत रुपया इसलिये रक्खा जाता है कि यदि उस कार्य में कहीं जरूरत हो, कहीं चूना लगते लगते कम पड़ जाय, कहीं दूसरी तरफ से रास्ता निकालना आवश्यक हो तो उसके लिये दोबारा ऐस्टीमेट बनाना न पड़े, एक वर्ष के लिये उसको टालना न पड़े बल्कि उस कार्य को पूरा कर लिया जाय और पूरा करने के बाद उसकी सूचना दे दी जाय। यदि आज हम ऐक्सीजेंसी के धन को निकाल दें तो आखिर वह कौन सा साधन होगा जिससे हम उन कार्यों को कर सकेंगे ?

दूसरी बात यह है कि हम पी० डब्ल्यू० डी० में १० करोड़ रुपये का कार्य करते हैं जिसमें ऐक्सीजेंसीज का धन केवल ३५–४० लाख रुपया होता है। अब सदन यह समझ सकेगा कि तीन चार करोड़ की एक्सीजेंसी पी० डब्ल्यू० डी० के पास कहां से आयेगी। आज हम इस अवस्था में नहीं है कि उसके द्वारा इतने रुपये की बचत कर सकें अथवा किसी और तरह से इन कामों को कर सकें। हम उनकी व्यावहारिक कठिनाइयों को जानते हैं, हम यह भी चाहते हैं कि एक्सीजेंसी में हम कम से कम रुपया रक्खें लेकिन काम में कितनी देर उससे होगी यह भी विचारणीय बात है। मैं सदन को यह बताना चाहता हूं कि यह चीज भी गलत है कि एक्सीजेंसी का धन

[श्री लक्ष्मी रमण आचार्य]

अनिवार्य रूप से काम में ले लिया जाता है। प्रतिवर्ष इस धन को कम से कम खर्च करने की चेष्टा की जाती है और अन्त में काफी रुपया इस ऐक्सीजेंसी में बचत होती है।

उन्होंने एक बात और कही कि एस्टीमेटिंग में ढाई प्रतिशत रुपये की कमी हो सकती है। एक्सीजेंसी में ५ प्रतिशत और एस्टीमेटिंग में ढाई प्रतिशत यह कमी की जा सकती है, उन्होंने कहा। अगर केवल सदन में कहने के लिये यह बात थी तब तो मुझे कोई एतराज नहीं है और एस्टीमेट्स जिनको कई विशेष अधिक बनाकर सदन के सामने लाते हैं, जिनके सम्बन्ध में अधिक से अधिक सतर्कता बरती जाती है और वह ठीक भी है और यह कि जब वह सदन में आते हैं तो पहले वह फाइनेन्स विभाग और दूसरे स्थानों से हो कर आते हैं और जिनके सम्बन्ध में स्वयं सदन ने एक कमेटी बिठा रखी थी जिसका नाम रेट्स कमेटी था, जिसके प्रेजीडेंट मुख्य मंत्री बाबू सम्पूर्णानन्द जी थे। उस कमेटी ने भी इस प्रश्न को देखा। उन्होंने कहा कि यह सम्भव है कि पी० डब्ल्यू० डी० के रेट्स को कम करें और एस्टीमेंट्स में कमी की जाय। वह रिपोर्ट मेरे पास है जिसमें अतिन्म रूप में यह निर्णय हुआ कि पी० डब्ल्यू० डी० के जो रेट्स है वह सब विभागों से कम हैं हालांकि मोटे तौर पर ऐसा मालूम होता है कि वह ज्यादा है, लेकिन उनके बारे में अन्त में निश्चित रूप से यह निर्णय किया गया कि वह जिन पर एस्टीमेट्स आधारित किये जाते हैं वह सारे विभागों से कम हैं।

उधर श्री झारखंडे राय जी अपने मस्तिष्क पर हाथ फेर कर शायद यह जताने की चेष्टा कर रहे हैं कि मेरी यह बात बहुत हस्यास्पद है, लेकिन मैं उनको बताना चाहता हूं कि यदि उनके मस्तिष्क में इस पर कोई संशय है तो वह जरा बाबू सम्पूर्णानन्द की कमेटी की रिपोर्ट को देखने की चेष्टा करें और अगर कहीं वह बतायें कि रेट्स कम हैं तो मैं उसको स्वीकार करने को तैयार हूं। उन्होंने और गौतम जी दोनों ने सदन के सामने सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाहों में एकोनामी की बात कही।

गौतम जी ने यह भी जिक्र किया कि माननीय सम्पूर्णानन्द जी ने कहा था कि उनको जो डिसपेरिटी है, विषमता जो वेतनों में है उसको कम करेंगे। शायद उनका कहना यह था कि समाजवादी आर्थिक व्यवस्था को यहां स्थपित करेंगे तो वेतनों में जो विषमता है उसको कम किया जायगा। माननीय पालीवाल जी ने भी उसका जिक्र किया। उन्होंने कहा कि यह जो बढ़े हुए खर्चे हैं उनको कम करने से बहुत धन मिल सकता है। गौतम जी ने कहा कि सेक्रेटरीज का वेतन बढ़ाया गया, मिनिस्टर्स को मेडिकल एड मिलने लगी, उनको फर्निश्ड हाउसेस मिलने लगे। उनका कहना था कि मैं यह नहीं कहता कि यह गलत है या ठीक, लेकिन यह इस समय न किया जाता तो अच्छा था, क्योंकि हमें अभी कुछ दिनों में जनता के सामने जाना है। मैं नम्रतापूर्वक यह कहूंगा कि हमें जनता के सामने जाना है तो यही झोली लेकर जाना है जिस झोली में हम यहां सदन में खड़े हैं। तो क्या उनके कहने के अनुसार हम जनता के सामने कुछ कह कर और कुछ कर के जायं? क्या यह उपयुक्त होगा कि मिनिस्टर्स को मेडिकल ऐड मिले और जनता के सामने जायं तो वह यह कहें कि ऐसा कोई कानून नहीं है? यह क्या उपयुक्त होगा कि फरनिश्ड हाउसेज में मिनिस्टर्स, डिप्टी मिनिस्टर्स या माननीय सदस्य रहें लेकिन जिस समय वे जनता के सामने जायं तो यह कहें कि हम फरनिश्ड हाउसेज में वहां नहीं रहते? यह बात भी विचारणीय है कि आज जो यह डिसपेरिटी का प्रश्न है, इस सदन का कौन सदस्य है जो नहीं जानता और कौन ऐसा व्यक्ति है कि जिसने समाजवादी आर्थिक ढांचे की रूप-रेखा को समझ कर इस सम्बन्ध में विचार न किया होगा कि यह विषमता समाप्त होनी चाहिए? यदि हम उस अनुपात को १–१० बना सकें, १–१५ बना सकें तो शायद कुछ ठीक हो, लेकिन गौतम जी को, मेरा खयाल है, कि इस बात का ज्ञान होगा कि इस सम्बन्ध में हमने अमृतसर में कहा था कि हमको आय और भूमि की लिमिट लगाना है और सीलिंग मुकर्रर करना है यानी यह कि आमदनी निर्धारित करनी है कि वह अधिक से अधिक कितनी हो और भूमि की सीमा भी निर्धारित करनी है कि वह एक व्यक्ति

के पास अधिक से अधिक कितनी हो। हमें एक व्यापक समाजवादी ढंग का ढांचा जनता के सामने लाना है यानी हम समाजवाद का एक व्यापक रूप समाज के सामने लाकर उपस्थित करेंगे। परन्तु मान लें कि आज हमारे पास कुछ विशेषज्ञ हैं जिनको हम ज्यादा वेतन देते हैं; उनको हम तनख्वाहें देते हैं—किसी को दो हजार, किसी को डेढ़ हजार और किसी को ढाई हजार देते हैं। आज यदि उन सारे विशेषज्ञों से हमने यह कहा कि हम तुमको हजार रुपया देना चाहते हैं, तो क्या आज हमको विशेषज्ञ मिल सकेंगे ? जब तक आप सीलिंग और इनकम वाली बात को पूरा न कर दें, जब तक आप इनकम टैक्स के संबंध में यह तै न कर दें ....

श्री ब्रजभूषण मिश्र—अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जब तक आपकी स्पीच खत्म न हो जाय तब तक हम लोग बैठें।

श्री अध्यक्ष—कोई समय का आप निर्धारण कर दें, अगर वे ४ घंटे बोलें तो क्या होगा ?

श्री ब्रजभूषण मिश्र—साढ़े ५ बजे तक हम लोग बैठें।

श्री जगन्नाथ मल्ल—मैं इसका विरोध करता हूं।

श्री अध्यक्ष—आप विरोध करते हैं। मैं समझता हूं कि आज इसकी आवश्यकता नहीं। मैं इसकी इजाजत नहीं देता। आज आपको ५ बजे खत्म करना है और कल आप भाषण दें।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—तो, श्रीमन्, मैं जिक्र कर रहा था इस बात का कि आज यदि इन विशेषज्ञों की उनकी तनख्वाहों को कम करने की चेष्टा करें तो कल हमको यह विशेषज्ञ नहीं मिलेंगे। फिर एक दूसरी कठिनाई। आज क्या यू० पी० की स्टेट अपने यहां इस डिस्पेरिटी को खत्म कर इस देश में जीवित रह सकती है ? जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसका अपनी तनख्वाहों का स्केल है, दूसरी गवर्नमेंट्स हैं उनके अपनी तनख्वाहों के स्केल्स हैं, क्या आज वे विशेषज्ञ या विशेष अधिकारी जिनको हम एक निर्धारित तनख्वाह देते हैं—यदि हम आज उसको कम करें तो क्या आज वे हमको प्राप्त हो सकेंगे ? एक बात और, श्रीमन्, डिस्पेरिटी कम करने वाली बात समाजवाद की एक अंतिम अवस्था की बात है।

श्री अध्यक्ष—अब आप अपना भाषण कल जारी रक्खेंगे।

(इसके बाद सदन ५ बजे अगले दिन के ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

लखनऊ ;
९ मई, १९५६ ।

मिट्ठनलाल,
सचिव, विधान मंडल,
उत्तर प्रदेश।

नत्थी 'क'

(देखिये अल्पसूचित तारांकित प्रश्न ४ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४९५ पर)

D. O. No. 1751/II-A—448-1956.

U. P. CIVIL SECRETARIAT :
APPOINTMENT (A) DEPARTMENT.
Dated Lucknow, March 16, 1956.

DEAR SIR,

I AM desired to say that some instances have recently come to the notice of Government in which Members of the Legislature were compelled to wait and take their turn along with other visitors when they visited some Heads of Departments and local heads of offices at their residence or office. You are probably aware that Members of the Legislature who have to devote much of their time to public service, can ill afford to wait for long.

2. Government would like all their officers to realise that courtesy and consideration to representatives of the public are desirable in the larger interests of the people. District Magistrates and Superintendents of Police will, it is hoped, realise that in view of the important position they hold, their responsibility in this matter is greater than that of officers of other departments and they should, as far as possible, avoid giving the impression to the Members of the Legislature that they have been improperly treated. They should give preference to the Members of the Legislature over all other visitors. Similar consideration should be shown to the Members of Parliament.

3. I am also to request you kindly to bring these instructions to the notice of all officers subordinate to you.

Yours sincerely,
A. N. JHA,
Chief Secretary.

To—

(1) All Heads of Departments and all other Principal Heads of Offices, Uttar Pradesh.
(2) All Commissioners of Divisions, the Deputy Commissioner in charge, Kumaun Division and the Collector in charge, Jhansi Division.
(3) The Inspector General of Police, Uttar Pradesh, Lucknow.
(4) All Deputy Inspectors General of Police, Uttar Pradesh.
(5) All District Magistrates, Uttar Pradesh.
(6) All Superintendents of Police, Uttar Pradesh.

No. 1751(1)/II—A—448-1956

COPY forwarded to all Departments of the Secretariat.

By order,
A. N. JHA,
Chief Secretary to Government,
Uttar Pradesh.

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न १५ का उत्तर पीछे पृष्ठ ५०२ पर)

खरीफ १९५४ में प्राप्त एवं भिन्न-भिन्न जिलों में बांटी गयी खाद की मात्रा का ब्योरा

क्रम संख्या	जिला	मूत्रज (टन)	सुपर (टन)	मिश्रित (टन)
१	आगरा	—	१०	२०
२	इलाहाबाद	—	६	२०
३	अलीगढ़	—	१	४
४	अल्मोड़ा	—	६	२४
५	आजमगढ़	—	११	२५
६	बदायूं	—	६	२०
७	बहराइच	—	२	४
८	बलिया	—	२०	३०
९	बांदा	—	१	४
१०	बाराबंकी	—	२	४
११	बस्ती	—	६	२४
१२	बरेली	—	१	४
१३	बनारस	—	१	४
१४	बिजनौर	—	१	४
१५	बुलन्दशहर	—	१	४
१६	देहरादून	—	२	४
१७	देवरिया	—	२०	३०
१८	एटा	—	१०	२५
१९	इटावा	—	२०	३०
२०	फतेहपुर	—	१	४
२१	फैजाबाद	७	१५	२५
२२	फर्रुखाबाद	—	१०	२५
२३	गढ़वाल	—	६	२४
२४	गाजीपुर	—	२०	३०
२५	गोंडा	—	२	४
२६	गोरखपुर	—	२०	३०
२७	हमीरपुर	—	१	४
२८	हरदोई	—	१	४
२९	जौनपुर	—	१	४
३०	जालौन	—	१	४
३१	झांसी	—	१५	३०
३२	कानपुर	—	१	४
३३	लखीमपुर	—	१	४
३४	लखनऊ	—	१	४
३५	मैनपुरी	—	१०	२०

क्रम-संख्या	जिला	मूत्रज (टन)	सुपर (टन)	मिश्रित (टन)
३६	मेरठ	—	१	४
३७	मिर्जापुर	—	३	१०
३८	मुरादाबाद	—	१	४
३९	मथुरा	—	१	४
४०	मुजफ्फरनगर	—	१	४
४१	नैनीताल	—	२	१
४२	प्रतापगढ़	—	२	४
४३	पीलीभीत	—	१	४
४४	रायबरेली	—	१	४
४५	रामपुर	—	१	४
४६	सहारनपुर	६	१०	२०
४७	शाहजहांपुर	—	२	४
४८	सीतापुर	—	१	४
४९	सुल्तानपुर	—	१०	२५
५०	टेहरी गढ़वाल	—	६	२४
५१	उन्नाव	—	१	४
	योग ..	१३	२७७	६३५

रबी १९५४ में प्राप्त एवम् भिन्न-भिन्न जिलों में बांटी गयी खाद की मात्रा का ब्योरा:

क्रम-संख्या	जिला	मूत्रज (टन)	सुपर (टन)	मिश्रित (टन)	अमोनियम सल्फेट (टन)
१	२	३	४	५	६
१	आगरा	३	५	१०	२
२	इलाहाबाद	—	१०	४०	१०
३	अलीगढ़	—	५	१०	२
४	अल्मोड़ा	—	५	१०	६
५	आजमगढ़	६	१०	३०	१०
६	बदायूं	३	१०	२०	१०
७	बहराइच	—	५	५	१०
८	बलिया	—	१०	३०	१०
९	बांदा	—	५	१०	३
१०	बाराबंकी	—	५	१२	३
११	बस्ती	—	१०	३०	१०
१२	बरेली	५	५	१०	३
१३	बनारस	—	५	१०	३

क्रम-संख्या	जिला	मूत्रज (टन)	सुपर (टन)	मिश्रित (टन)	अमोनियम सल्फेट (टन)
१	२	३	४	५	६
१४	बिजनौर	५	५	१०	३
१५	बुलन्दशहर	—	५	१०	२
१६	देहरादून	१	५	१०	२
१७	देवरिया	१	१०	३०	१०
१८	एटा	—	१०	२५	१०
१९	इटावा	१५	२०	३०	१०
२०	फतेहपुर	—	५	१०	२
२१	फैजाबाद	—	१०	३०	१०
२२	फर्रुखाबाद	१०	१०	२०	१०
२३	गढ़वाल	५	५	१०	५
२४	गाजीपुर	—	१०	३०	१०
२५	गोंडा	—	५	१०	२
२६	गोरखपुर	—	१०	३०	१०
२७	हमीरपुर	—	५	५	२
२८	हरदोई	—	५	१०	२
२९	जौनपुर	—	५	१०	२
३०	जालौन	—	५	५	२
३१	झांसी	—	१०	१५	१०
३२	कानपुर	—	१०	१०	५
३३	लखीमपुर	—	५	१०	२
३४	लखनऊ	—	५	१०	३
३५	मैनपुरी	१०	१०	३०	१०
३६	मेरठ	५	५	१०	३
३७	मिर्जापुर	—	५	१०	३
३८	मुरादाबाद	—	५	१०	२
३९	मथुरा	२	५	१०	२
४०	मुजफ्फरनगर	५	५	१०	२
४१	नैनीताल	—	५	१०	३
४२	प्रतापगढ़	—	५	१०	३
४३	पीलीभीत	—	५	१०	२
४४	रायबरेली	—	५	१०	२
४५	रामपुर	—	५	१०	२
४६	सहारनपुर	१०	१०	३०	१०
४७	शाहजहांपुर	—	५	१०	२
४८	सीतापुर	५	५	१०	३
४९	सुल्तानपुर	—	१०	३०	१०
५०	टेहरी-गढ़वाल	—	५	१०	२
५१	उन्नाव	—	५	१०	२
	योग ..	१०२	३५०	८००	२५०

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न ६५ का उत्तर पीछे पृष्ठ ५११ पर)

तालिका

क्रम संख्या	मिल का नाम	सीजन १९५५-५६ के सुरक्षित किये गये गन्ना क्रय केंद्र
१	बस्ती	केवल गेट पर गन्ना खरीदती है।
२	वाल्टरगंज	टिनिच तथा गेट।
३	मुन्डेरवा	दईसांड तथा गेट।
४	बभनाम	गौर तथा गेट।
५	खलीलाबाद	१—भटनी, २—पयागपुर, ३—चिलबरिया, ४—बहराइच, ५—रिसिया, ६—भटेरा, ७—नानपारा, ८—मिहिनपुरवा, ९—सहजनवा, १०—जगतबेला, ११—मोहली, १२—सेंका, १३—मुखलिसपुर तथा गेट।

नत्थी 'घ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ७७ का उत्तर पीछे ५१२ पृष्ठ पर)

चीनी मिलों का नाम	धनराशि			
		रु०	आ०	पा०
१—आनन्द शुगर मिल्स लि०, खलीलाबाद	..	१,१६,३६७	४	०
२—कुन्दन शगर मिल्स लि०, अमरोहा ..	..	२,३२,०७५	४	०
३—आयरा शुगर मिल्स लि०, आयरा ..	..	१,६७,८७२	०	०
४—अयोध्या शुगर मिल्स लि०, बिलारी ..	..	३,७५,६१८	३	६
५—अमृतसर शुगर मिल्स लि०, राहनाकलां	..	५,२१,५३६	१३	३
६—बस्ती शुगर मिल्स लि०, बस्ती ..	..	१,४६,७१२	१२	३
७—बरहनी शुगर मिल्स लि०, बरहनी ..	..	१,०७,५२०	१२	०
८—बलरामपुर शुगर मिल्स लि०, तुलसीपुर	..	१,३१,२४५	१२	०
९— ,, ,, बलरामपुर	..	१,२२,०७७	८	०
१०—बुढ़वल शुगर मिल्स लि०, बुढवल ..	..	२,१२,७३७	१४	३
११—देवरिया शुगर मिल्स लि०, देवरिया ..	..	१,८८,४६७	४	०
१२—डैमेन्ड शुगर मिल्स लि०, पिपरेच ..	..	१,९४,७३०	४	०
१३—दीवान शुगर मिल्स लि०, टांडा ..	..	३,१९,४८६	४	०
१४—दौराला शुगर मिल्स लि०, दौराला	..	६,२४,२९०	४	०
१५—गनेश शुगर मिल्स लि०, फरेंदा ..	..	१,३८,७६७	१२	०
१६—गंगा शुगर कोरपरेशन लि०, देवन्द ..	..	४,३९,७६३	८	०
१७—हिन्दुस्तान शुगर मिल्स लि० गोलागोकरननाथ	..	६,५२,५५८	१४	०
१८—एम०ए०शुगर मिल्स लि०, बरेली ..	..	२,४१,१६३	८	०
१९—ईश्वरीखेतान शुगर मिल्स लि०,लक्ष्मीगंज	..	१,५९,०६२	०	०
२०—जगदीश शुगर मिल्स लि०, पटकुइयां	..	१,३१,२३४	०	०
२१—जसवन्त शुगर मिल्स, मलियाना	..	४,३५,१०३	०	०
२२—कानपुर शुगर मिल्स लि०, गौरीबाजार	..	१,८४,५२६	९	३
२३—के० एम० शुगर मिल्स लि०, मरोधा	..	१,५२,३७५	०	०
२४—किशोरी शुगर मिल्स लि०, बहेरी ..	..	३,६४,८८५	८	०
२५—एल०डी० शुगर मिल्स लि०, चिटौनी	..	१,४३,६६४	१२	०
२६—सेठ जेड० एम० एंड संस शुगर मिल्स लि०, जर्वलरोड	..	१,९१,५३४	४	९
२७—शुगर मिल्स लि०, हरदोई ..	..	३,८६,६३४	५	०
२८— ,, ,, महोली	..	३,४९,५७७	११	०
२९— ,, ,, पीलीभीत	..	५,५५,६३४	४	०
३०— ,, ,, काशीपुर	..	१,३८,७९०	१२	६
३१— ,, ,, सहारनपुर	..	४,८४,५३९	०	०
३२— ,, ,, सिसवाबाजार	..	१,४७,५७७	८	०
३३—शुगर मिल्स लि० रामकोला, खेतान ..	..	१,७०,९८१	८	०
३४— ,, ,, ,, मुंडेरवा ..	..	१,०३,२८३	१२	०
३५— ,, ,, ,, बेगमाबाद ..	..	३,४७,०६३	४	०
३६— ,, ,, ,, भटनी ..	..	५१,५२६	०	०
३७— ,, ,, ,, नवाबगंज ..	..	२,५६,९३४	०	०
३८—न्यौली शुगर मिल्स मानपुर नगरिया ..	..	२,६२,०८४	४	०
३९—शुगर मिल्स लहसर ..	..	३,८५,३८१	४	०
४०—शुगर मिल्स हरगांव ..	..	३,८८,९१९	६	०

चीनी मिलों का नाम	धनराशि		
	रु०	आ०	पा०
४१—शुगर मिल्स, मिरवा	३८,९६१	०	०
४२—पंजाब शुगर मिल्स, घुघली	१,८६,१८८	०	०
४३—पडरौना राजकृष्णा शुगर वर्क्स, पडरौना ..	१,७१,३३५	८	०
४४—रामकोला शुगर मिल्स, रामकोला (पंजाबी) ..	२,४६,००६	०	०
४५—शुगर मिल्स, बाराबंकी	३,४०,७१५	१२	०
४६— ,, ,, , रौसा	१,५१,६०३	१२	०
४७—रजा एन्ड बुलन्द शुगर मिल्स, रामपुर ..	५,५९,५३१	७	०
४८—शुगर मिल्स, मोहद्दीनपुर	३,४२,२७३	४	०
४९— ,, ,, शाहगंज	२,११,४९३	१४	०
५०— ,, ,, मुजफ्फरनगर	४,४२,६८३	०	०
५१— ,, ,, शामली	४,६१,८८७	४	०
५२— ,, ,, बैतालपुर	२,०७,२८४	८	०
५३—सराया शुगर मिल्स, सरदारनगर	४,९९,०७६	०	०
५४—शंकर शुगर मिल्स, कैप्टेनगंज	२,२७,२३८	०	६
५५—बभनान शुगर मिल्स, बभनान	१,६०,८१४	१२	०
५६—विसवां शुगर मिल्स, विसवां	२,७४,४२२	१४	९
५७—विजनौर शुगर मिल्स, विजनौर	३,९१,३१२	१३	०
५८—सिम्भौली शुगर मिल्स, सिम्भौली	३,७३,३५५	२	९
५९—सिवराही शुगर मिल्स, शिवराही	२,४२,१०७	१२	०
६०—सिवहारा शुगर मिल्स, सिवहारा	५,६५,९७३	१३	३
६१—खतौली शुगर मिल्स, खतौली	५,४०,७०२	८	०
६२—खड्डा शुगर मिल्स, खड्डा	१,६८,४६७	८	०
६३—देवाला शुगर मिल्स, देवाला	६७,३२७	५	०
६४—वाल्टरगंज शुगर मिल्स, वाल्टरगंज	१,१२,१०१	४	६
६५—अब्दुल्लापुर शुगर मिल्स, अब्दुल्लापुर	१,४१,८५८	१२	०
६६—रिसर्च स्टेशन, विलारी	३४	१	६
६७—गुटट्या शुगर मिल्स, गुटइया	६,२४९	१५	६
६८—रोहतास इन्डस्ट्रीज	९४६	७	०
६९—विहार शुगर मिल्स, पचौली	१,२५८	११	३
७०—सितालपुर शुगर मिल्स, सितालपुर	७१५	११	६
७१—पिपरैच शुगर मिल्स, पिपरैच	७७,९१३	०	०
कुल योग ..	१,८२,३५,३८६	११	३

नत्थी 'ङ'

(देखिये पीछे पृष्ठ ५१२ पर)

GOVERNMENT OF THE UNITED PROVINCES
RURAL DEVELOPMENT (CANE) DEPARTMENT

No. 3321—S/XVII-S 188—1948

Dated Lucknow, January 19, 1949.

NOTIFICATION

MISCELLANEOUS

IN continuation of notification no. 3072-S(2)/XIIS—188-1948, dated November 26, 1948, and in exercise of the power conferred by sub-rule (8-A) of rule 20 of the United Provinces Sugar Factories Control Rules, 1938, The Governor is pleased to direct as follows:

(1) Within a week of the close of each fortnight the amounts deducted during a fortnight from the price of cane payable to Cane Growers or a Cane-growers' Co-operative Society, as the case may be, shall be deposited by the Occupier or the Manager of a factory in the nearest Government Treasury where the factory is situated, the personal ledger account opened in the name of the United Provinces Provincial Co-operative Bank Limited, and a copy of the Treasury Challan together with the statement in form I given below shall be sent to the U. P. Provincial Co-operative Bank Ltd., Lucknow. A copy of the statement in Form I shall also be sent to the Cane Development Officer of the range. A similar statement in form I pertaining to the quantity of cane purchased from the Cane growers' Co-operative Societies and deductions made thereof shall also be furnished simultaneously to each Society.

Explanatory Note—The fortnights may be taken as 1st to the 15th of a month and 16th to the end of the month.

(2) As soon as a Cane-grower or a member of the Cane-grower Co-operative Society has completed its supplies for the season, the factory shall prepare a statement in form II given below, showing the names of the growers, the quantity of the cane supplied by them individually, the rate of reduction and the total amount deducted for investment for each grower. This statement shall be sent to the United Provinces Co-operative Bank Ltd., Lucknow, the Cane Development Officer of the range and also to the Cane-growers' Co-operative Societies concerned in respect of their members.

(3) On receipt of the statement referred to in para. (2) above the Bank shall issue bonds to individual Cane-grower for the entire amount deducted from the cane price during the season. No withdrawals shall be permissible during the first 12 months of the date of issue of the Bonds. The Bonds may be dischargeable by the Bank after one complete year on giving three months' notice to the depositor, unless the amount of the bonds has been reinvested by the depositor. No interest

shall accrue if the Bond is not cashed within three months of the notice of discharge given by the Bank to the depositor.

(4) The total amount deposited in the name of each individual cane-grower in the United Provinces Provincial Co-operative Bank as it should on 1st of June, 1949, shall bear interest at 1½ per cent for the first 12 months, 2 per cent for the succeeding 12 months and 2½ per cent for the third year calculated on completed rupees and for complete 6 months during which the money remained in deposit after 1st June, 1949. The rate of interest on Bonds reinvested after they have been in force for three years shall be 2½ per cent per annum.

(5) In case of investment of payment of the amount deducted to which the procedure prescribed above cannot apply shall be dealt with as may be directed by the Government.

पी० एस० यू० पी० ए० पी०—५३ एल० ए०—१९५६—७९६ ।